बरकात ए तक़लीद

मुसन्निफ़:-

सूफी कलीम राजवी हनफ़ी

अनुवादक:-डॉ तारीक हुसैन

Scanned by CamScanner

तमाम बिरादरान ए अहले सुन्नत वल जमाअत को फ़क़ीर डॉ तारिक़ हुसैन का सलाम। सूफी कलीम राजवी साहब हनफियत पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे है जब भी हनफियत पर कुछ हमला होता है हज़रत किला लड़ाने खड़े हो जाते हैं अल्लाह ताला उन्हें खूब तरक़्क़ी आता फरमाए और इल्में नाफे में खूब इज़ाफ़ा फरमाए हमारे अक़ाबेरीन का साया हम पर कायम व दायम फरमाए।

किताब की तर्जुमानी इस फ़क़ीर ने अपने मोबाइल से की हे इसे तर्जुमाँ करने में काफी मशक्कत लगी बाब 2 और 3 तो दो बार लिखना पढ़े, लिखते लिखते आंसू भी निकल आते थे। हो सकता हे लिखने में खतअन कुछ गलती हो गयी हो।

लिहाज़ा इस फ़क़ीर की टाइप करने में किसी तरह की लफ़ज़िश ए खता हुई हो तो अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके में मुआफ़ फरमाए। अमीन।

अपनी दुवाओं में इस फ़क़ीर को ज़रूर याद रखें।

Scanned by CamScanner

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم

बाबा:1

हक़ीक़त ए तक़लीद

इस्लाम का असल मुतालबा ये है के अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम ख़म कर दिया जाये, जिसका वाहिद तरीका ये हे के अल्लाह और रसूल पर ईमान ला कर अल्लाह व रसूल के दिए गए अहकाम की मुकम्मल इताअत की जाये।

फिर सवाल पैदा होता है के इस मक़सद के हुसूल के लिए आइम्मा ए अरबा की तक़लीद ज़रूरी क्यों समझी गयी?

आइम्मा ए अरबा की तक़लीद में कोनसी हिक़मत व मसलेहत है? इसको बारह तेरह सो साल में फैली हुई मुसलमानो की अमली ज़िन्दगी की तारीख में तलाश करना चाहिय्ये के आखिर बारह सो साल से उम्मत ए मुस्लिमा की ग़ालिब अक्सरियत ने तक़लीद आइम्मा में कोनसी हिक़मत ए इलाही देखी के बिला तनक़ीद इसे क़ुबूल करके अमलन अपनी ज़िन्दगीयों में नाफ़िज़ किया।

Scanned by CamScanner

बल्कि बारह सो साल में फैले हुवे हज़ारो ओलमा,फ़ुक़ह, हिक्मा,आइम्मा ए फन, मोहद्देसीन, मुतकल्लेमीन, ओलिया ए कामेलीन, और मुक्तादायान ए उम्मत की लाखो सफहात में फैली हुई तहरीरों में इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहिय्ये, जिन्होंने तक़लीद आइम्मा की अहमयत व ज़रुरत और उसमे खुदा की हिकमत व मसलेहत के सबूत पर इतना कुछ लिख दिया हे की अब मजीद की गुंजाइश नहीं।

तक़लीद ए आइम्मा क्यों ज़रूरी है?---आईय्ये पहले इस मसले को हल करते हैं।

अल्लाह व रसूल की तरफ से जो अहकाम हम तक पहुंचे, उन की हैसियत दो तरह की है:-

1) अक़ाईद 2) अहकाम पर मुतालबा ए अमल

अक़ाईद मसलन तौहीद बारिताला, रिसालत मोहम्मदी, वजूद ए मलाइका, हश्र व नशर, क़यामत, आसमानी क़ुतुब व सहीफ के साथ नमाज़ पंज वक़्त,सोम (रोज़े) रमज़ान, फरज़ियत ज़कात व फरज़ियत हज, ज़कात वगैरह के मुताल्लिक़ खुदा व रसूल के अहकाम पर गौर करना और मुराद ए इलाही की ताईद करके उसकी मर्ज़ी के मुताबिक़

Scanned by CamScanner

मुराद ए इलाही की ताईद करके उसकी मर्ज़ी के मुताबिक़ उस पर अमल करना।

पहली किस्म में तक़लीद नहीं हो सकती और न इस किस्म में तक़लीद जाएज़ है, बल्कि जो भी अक़ीदह हो वह यकीन ए क़तई से हो। जो इल्म तक़लीदन हासिल होता है वह ज़िन्नी होता है। लिहाज़ा उसूल ए अक़ाईद में तक़लीद जाएज़ नहीं।

साहिब ए तफ़सीर रुहुल बयान फरमाते हैं-

قالوا وجلرنا اباءنالها عابدين0 قال لقد كنت انتم وآباءكم فى ضلال مبين0

(الانبياء آيت53-54)

بل قالوا انا وجدنا أباءنا على أمةوانا عل اثار هم مهترون0 (الزخرف)

की तफ़सीर में फरमाते हैं:-

واعلم ان التقليد قبول قول الغير بلا دليل وهو جائز فى الفروع والعمليات ولا يجوز في اصول

Scanned by CamScanner

الدين والاعتقاديات بل لابد من النظر والاستدلال (ج٥، ص ٤٩١)

وفيه ذم للتقليل وهموفيه ذم للتقليل وهم قبول قول الغير بلاديل وهو جائز في الفروع والعمليات (الى آخره) (ج٨، ص ٣٦١)

यानि मज़कूरा दोनों आयात में गैर शरई नाज़रयात में गैर की तक़लीद की मुज़म्मत है। बिला तलब दलील गैर की बात तस्लीम कर लेना तक़लीद कहलाता है। ये मसाइल ए फुरुईया इज्तेहादिया में जाएज़ है। उसूल ए अकाईद में जाएज़ नहीं बल्कि अपने तौर पर गौर व फ़िक्र करके इसकी सदाकत का यकीन हासिल करे फिर अक़ीदह बनाए।

दूसरी किस्म में गैर मुजतहिद बगैर तक़लीद के अपने आमाल खुदा की मुराद के मुताबिक अंजाम दे ही नहीं सकते। क्योंके मुतालबा ए अमल के बाब में अल्लाह ताला ने क़ुरआन की बहुत सी आयात व अल्फाज़ मे एक से ज़्यादा मानी व मुराद की गुंजाइश रखी है और एक ही अमल के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व

Scanned by CamScanner

सल्लम से कई कई मुख़्तलिफ़ रिवायतें मिलती हैं। वहां एक आम आदमी का ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है के आखिर किस मानी व किस रिवायत पर अमल करे। इस किस्म की आयत व अलफ़ाज़ के अंदर मुराद ए इलाही की तालीम और एक अमल के मुताल्लिक मुताद्दिद मुख़्तलिफ़ रिवायात की वजे से खुद सहाबा इकराम की ज़िन्दगी में अमली इख़्तेलाफ सामने आया।

अब सवाल ये उठता है के ऐसे मक़ामात में एक आम आदमी जो दर्जये इज्तेहाद पर फाइज़ न हो वह क्या करे? ऐसे शक्स के लिए फ़ितरी तौर पर सलामती का यही एक रास्ता है के आइम्मा ए मुजतहेदीन में से जिन पर इसको दिली इत्मीना हो, उनकी क़ुरआन व हदीस की तश्रीहात पर एतमाद करके अमल करे। इसी को उर्फ में तक़लीद कहा जाता है।

मशहूर हनफ़ी आलिम अल्लामा अब्दुल गनी ना बलसि रहमतुल्लाह ताला इसी किस्म के मसाइल के हवाले से तहरीर फरमाते हैं:-

तर्ज़ुमा:-

Scanned by CamScanner

पस वह मसाइल जिन का दीन से होना सरहतन मालूम हो उन में चार इमाम में से किसी की तक़लीद की ज़रुरत नहीं। मसलन नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज्ज, वगैरह की फरज़ियत और ज़िना, शराब नोशी, क़तल, चोरी, गसब वगैरह की हुरमत। दर असल तक़लीद की ज़रुरत उन मसाइल में पढ़ती है जिनमे ओलमा का इख़्तेलाफ रहा हो।

अल्लाह ताला की वहदानियत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत व रिसालत पर ईमान लाना क़ब्र व हश्र व क़यामत पर ईमान लाना, वजूद ए जन्नत व जहन्नुम,तक़दीर व मलाईका पर ईमान लाना नीज़ नमाज़, रोज़ा, हज्ज, व ज़कात का फ़र्ज़ होना और शराब, ज़ुल्म गसब,ज़िना,सूद का हराम होना......ये ऐसे मसाईल हैं जिनका दीन से होना साबित है। इन पर एतक़ाद व ईमान के लिए न तक़लीद हो सकती है, न तक़लीद जाएज़ हे। लेकिन फुरूई व इज्तेहादि मसाईल में एक आम आदमी पर आइम्मा ए साबेक़ीन वाजिब है। इसके बगैर वह शक्स खुदा व रसूल की इताअत का फ़रीज़ा अंजाम दे ही नहीं सकता।

Scanned by CamScanner

इमाम उल हिन्द शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि इस पहलु पर रोशनी डालते हुवे फरमाते हैं:-

तर्जुमा:-

अहकाम शरा की मारेफ़त के लिए उम्मत ने बिल इत्तेफ़ाक़ अगले बुज़ुर्गों पर एतमाद किया है। चुनांचे ताबेईन ने सहाबा पर,तबे ताबेईन ने ताबेईन पर एतमाद किया। इसी तरह बाद वाले ओलमा अपने मुतकद्दमीन ओलमा पर भरोसा करते आए हैं। और अक़्ल भी इसी को अच्छा समझती है। क्योंकि शरियत बगैर नक़ल और इस्तिनबात के मालूम नहीं हो सकती। और नक़ल उसी वक़्त सही होगी जब बाद वाले अगलों से बतौर इत्तेसाद (सिलसिला बा सिलसिला) लेते चलें आएं।। (अक़्दुल जय्यद, सफा-32)

हज़रत शाह वाली उल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी इल्मी शक्सियत अहले सुन्नत वल जमात के अलावा फिर्क़ाए देवबंद और फिर्क़ाए गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक भी मुस्तनद व मो अतमद है। तक़लीद के हवाले से शाह साहब की मज़कूरा बाला

Scanned by CamScanner

तशरीह की सदाक़त से शायद उन दोनों फ़िरक़ों के लोग भी इनकार न कर सकेंगे। तक़लीद एक लगाम है जो इंसान को बेराहरवि, खुद पसंदी, और खुद सरी से रोकती है। तक़लीद खुदा की एक एसी नैमत है जो ज़हनी आवारगी और मज़हबी आज़ाद खयाली से बाज़ रखती है।

क़ुरआन व हदीस मैं मुराद ए इलाही व मुराद ए रसूल के बिल मुक़ाबिल तफ़सीर बिल राये और मन मानी तश्रीहात के तमाम मुमकिने फ़तवों का सद्द ए बाब अगर कोई चीज़ कर सकती है तो वह सिर्फ तक़लीद है। दुनिया के तमाम उलूम व फुनून, काम काज तभी सीखे और सिखाये जा सकते हैं जब सीखने वाला सिखाने वाले की तक़लीद करे।

बच्चे का मकतब में पहला दिन है, उस्ताज़ के सामने बैठा, उस्ताज़ ने कहा: बैटा पढ़ो, अलीफ। बच्चा कहे मौलाना ! इसी का नाम अलीफ है और वाक़ई यही अलीफ है, इसकी क्या दलील है? मुझे इसकी दलील दीजिये के यही अलीफ है, वरना में अलीफ को अलीफ नहीं मानूँगा।

कलेजे पर हाथ रख कर कहिय्ये, क्या ये बच्चा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकता है? हर गिज़ नहीं। यक़ीनन नहीं। कभी नहीं। कोई इल्म हो, कोई फन हो,

Scanned by CamScanner

कोई पेशा हो उसके माहिर का इत्तिबा किया जाये तभी उसमे काबिल महारत हासिल की जा सकती है। जो पहले दिन ही गैर मुक़ल्लिद बन कर गया तो सारी ज़िन्दगी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जायेगा, उसको कोई फन की हवा तक न लगेगी।

तक़लीद किन चीज़ों में की जाती है, गुज़िश्ता सत्रों में बताया गया। तक़लीद का एक महदूद दायरा है। दीन का असल मरकज़ी हिस्सा जो उसके क़तई, यकीन ए अहकाम पर मुश्तमिल है, उसमे तक़लीद की कोई ज़रुरत नहीं। उसके बर खिलाफ वह मसाईल जिनको ओलमा की इस्तिलह में इज्तेहादि मसाईल कहते हैं, जिनमे साहबा या आइम्मा का इख़्तिलाफ़ है, बस इन्हीं मसाईल में तक़लीद की जाती है। इल्म ए हदीस के मशहूर इमाम हज़रत ए खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं:-

तर्जुमाँ:- शरियत के अहकाम की दो किस्में हैं, पहली किस्म में वो अहकाम हैं जो दीन का यक़ीनी हिस्सा हैं, और क़तई तौर पर इज्माँई है(यानि उनमें कोई इख़्तेलाफ नही)। मसलन पाँचों वक़्त की नमाज़ों की फर्जीयत, ज़कात रमज़ान के रोज़े, हज्ज..... और ज़िना व शराब की

Scanned by CamScanner

हुरमत,इन जैसे गै़र इख़्तेलाफि मसाईल में तक़लीद जाएज़ नहीं और न की जाती है। और दूसरी किस्म में वह इजतिहादि मसाईल हैं जिनमे किसी एक राय तक पहुँचने के लिए इस्तिदलाल व इस्तनबात की ज़रुरत होती है।जैसे इबादात व मामलात व मुआश्रात की जुज़्वी व शरई अहकाम। इन में तक़लीद जाएज़ है, इसकी दलील खुद अल्लाह के इरशाद में मौजूद है-

आयत:- فاسئلوا آهل االذّکر ان کنتم تعلمون٥

तर्जुमा:- अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो

अगर हम फुरूई मसाईल में भी तक़लीद से मना करें तो अवाम को इल्म ए दीन के हासिल करने में मशगूल होना और इन मसाईल का तफसीलि इल्म हासिल करना ज़रूरी होगा। निज़ाम ए हयात दिरहम बिरहम हो और खेत किसान का सिलसिला बंद हो जाएगा। और ऐसा हुक्म नहीं दिया जा सकता। (अल फ़िक़्या वल मुतफक़्क़्त, जिल्द 1 सफा416)

अवाम तो अवाम अब ओलमा पर भी लाज़िम व वाजिब हे के वह सल्फ की तहक़ीक़ात पर एतमाद करें और

Scanned by CamScanner

मुजतहेदीन की तहक़ीक़ात के खिलाफ तहक़ीक़ के दर पे न हो, वरना उम्रें ख़त्म हो जाएँगी और एक मसले की भी तहक़ीक़ न हो सकेगी।

अंधे के पास किबला पहचानने का जरिया क्या है? सिवाए इसके की आँख वाले की माने।

गैर मुक़ल्लिद बताएं अँधा सिमते किबला मालूम करने में आँख वालों की तक़लीद न करे तो तहक़ीक़ किस तरह करे।

(गैर मुक़ल्लिद इसका जवाब ज़रूर दें)

मेरे दोस्तों मरीज़ पर तबीब (डॉक्टर) की तक़लीद और उसकी इत्तिबा ज़रूरी है अगर मरीज़ ही तबीब की तजवीज़ में कीढ़े निकाले, उस पर नुक्ता चीनी करे तो ऐसा गैर मुक़ल्लिद मरीज़ कभी सेहत का मुह देख सकता है?

इसी तरह गैर तबीब (जो डॉक्टर न हो) के लिए ज़रूरी नहीं की डॉक्टरी की किताबों के सिर्फ उर्दू तराजूम देख कर अपना इलाज करे या फिर अपना मतब(डिस्पेंसरी) खोल कर बैठे। ऐसा अनाड़ी और जाहिल शख्स लोगों की ज़िन्दगी से खेलेगा। शहर के कब्रस्तान उसकी जहालत और हिमाकत से आबाद होने लगेंगे।और

Scanned by CamScanner

इस से बढ़ कर वह नादान होगा जो इससे इलाज कराये।

ठीक इसी तरह क़ुरआन व हदीस के रुमूज़ व निकात सहाबा ने समझे। ताबेईन ने समझे...... इमाम अबु हनीफा ने समझे...... उनके सदके इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल ने समझा। अब उन पर एतमाद न करके आज के इल्म व इज्तेहाद से कोसों दूर आज के मुल्लाओं के बहकावे में आकर क़ुरआन व हदीस की तहक़ीक़ में लगना हिमाकत पर हिमाकत है और अल्लाह पाक हम सब को ऐसी हिमाकतों से महफूज़ फरमां कर अपने अस्लाफ की रह चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।

ऊपर शरई अहकाम पर मसाईल की जो दो किस्में बताई गई है उनमें दूसरी किस्म को मजीद मिसालों से समझें ताकि तक़लीद की हक़ीक़त और फि ज़माना उसकी हक़ीक़त समझ में आ जाए।

क़ुरआन व हदीस में बाज़ मक़ामात ऐसे वाज़ेह और ज़ाहिरुल मानी हैं के बगैर उलझन के मतलब समझ में आ जाता है। ऐसे मक़ाम में न कोई इजमाल होता है न कोई इबहाम। ऐसे मक़ामात पर जो अक़ीदह मिलेगा उसमें

Scanned by CamScanner

किसी की तक़लीद जाएज़ नहीं। मसलन क़ुरआन में है:-

تبرك الذى بيده الملک وهو علاكلى شيئ قدير

(سورة الملک، آيت1)

तर्जुमाँ:- बड़ी बरकत वाला है वह जिस के क़ब्ज़े में सारा मुल्क और वह हर चीज़ पर क़ादिर है।

हर शख्स समझता है के यहाँ कौन मुराद है???

सिर्फ अल्लाह पाक और उसके सिवा किसी की ये शान नहीं। ये ऐसी आयात ए करीमा है जिस में कोई इबहाम नहीं, न कोई दूसरी दलील इस से टकराती है।

लेकिन अब दुसरे मक़ाम पर देखें किस तरह एक से ज़ायेद मानी पैदा होते हैं:-

والمطلقت يتر بصن با نفسهن ثلثة قروؤ-(سورة البقره، آيت:٢٢٨)

तर्जुमाँ:- जिन औरतों को तलाक दी गयी वह तीन "कुरु" गुज़रने तक इंतज़ार करें।

Scanned by CamScanner

इस आयत ए करीमाँ में तलाक वाली औरतों की इद्दत बयां की गयी है,और उसके लिए कुरु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन "कुरु"का लफ्ज़ अरबी में दो मानी में इस्तेमाल होता है। एक हैज़ के लिए दूसरा पाक़ी के लिए।

अगर पहला मानी लिया जाये तो आयत का मतलब होगा की तलाक़ वाली की इद्दत तीन हैज़ गुजरने से पूरी हो गयी और दुसरे मानी के हिसाब से तीन तहर(पाक़ी)गुजरने से इद्दत पूरी हो गई। अब ये सवाल उठता है की आम लोग किस माना पर अमल करें? यही वह मौक़ा है जहाँ आम लोगों को तक़लीद की ज़रूरत का अहसास होता है।

इसको हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीस ए मुबारका में समझें। एक हदीस में है:-

बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है (अल हदीस)

इस हदीस ए मुबारका को कोई भी बा आसानी समझ सकता है क्योंकि न इसके कई माने हैं, न इसकी मुखालिफ कोई और हदीस है।

लेकिन मंदर्ज ज़ैल अहदीस पर गौर कीजिये। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं:-

Scanned by CamScanner

من كان له امام فقراء ةالامام له قراءة- (ابن ماجه)

तर्जुमाँ:- जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की किरात(क़ुरआन पढ़ना) उसकी भी किरात है।

इस हदीस ए मुबारक़ से पता चलता है की मुक्तदि इमाम के पीछे क़ुरआन न पढ़े। बल्कि खामोश खड़ा रहे।
दूसरी जानिब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही का इरशाद है:-
لا صلوة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب.(صحى بخاري)

तर्जुमाँ:- उस शख्स की नमाज़ नहीं हो सकती जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी।
यहाँ दो हदीसों में बा ज़ाहिर टकराओ है। गैर मुक़ल्लिदीन, आइम्मा ए मुजताहेदीन की तो जिहात व ततबीकात का सहारा ले कर दोनों हदीसों पर बैत वक़्त अमल करके दिखाएँ। जिनकी हम तक़लीद करते हैं वह यूँ ततबीक देते हैं की पहली हदीस मुक्तादि के लिए है और दूसरी हदीस मुंफरीद या इमाम के लिए है।।

Scanned by CamScanner

आपने देखा क़ुरआन व हदीस से मसाईल निकालने में कितनी दुश्वारी आती है। अब एक सूरत ये है की हम अपनी बसीरत पर एतमाद करते हुवे इस किस्म के मुआमलात में अज़ खुद फैसला करें और इस पर अमल करें। और दूसरी सूरत ये है के खुद फैसला करने के बजाये अपने अस्लाफ के कौल को अपनाएं। चूँकि जो इन्होंने समझा,वह बेहतर और सही है हमारी समझ के मुक़ाबिल में। अगर इन्साफ पसंदी और दयानत दारी से काम लें तो हमारे ख़याल से इसमें कोई शक नहीं के इन दो सूरतों (1) क़ुरआन व हदीस की खुद साख्ता तफ़सीर करके इस पर अमल करना (2) आइम्मा ए मुजताहेदीन से मंकूल तफ़सीर व तोज़िह पर अमल करना, में से पहली सूरत खतरनाक है---और दूसरी सूरत बहुत मुहतात है।

ये एक ना क़ाबिल ए इनकार हक़ीक़त है के इल्म व फहम, ज़कावत व हॉफ़ज़ा, दीन व दयानत, तक़वा और परहेज़गारी हर ऐतबार से हमारा दामन खली और हमारा उन बुज़ुर्गों से कोई मुक़ाबला नहीं।

वह फ़ुक़ह व मुजतहेदीन जिनकी तक़लीद का हार हमारे गले की ज़ीनत है वो उस मुबारक माहोल के करीब

Scanned by CamScanner

के लोग हैं जिस मुबारक माहोल में क़ुरआन नाज़िल हुवा, वह ज़माना ए सहाबा के क़रीब के लोग हैं और सहाबा वह मुबारक जमात है जिसने माथे की आँखों से जमाल ए नबुव्वत का मुशाहीदह किया, रसूल ए अकरम सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के क़लाम ए मुबारक को सुना, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, देखा और उसे अपने बाद वालों को बताया। इमाम ए आज़म अबु हनीफा नोमान बिन साबित रदियल्लाहो अन्ह तो तबई हैं, 20 साहबा की (दुर्रे मुख्तार) ज़ियारत की। ज़माना ए नजूल ए क़ुरआन व अहद ए रिसालत से क़ुर्ब की बिना पर क़ुरआन व हदीस का जो मलका इन्हें हासिल था उसका करोड़वां हिस्सा भी हमें नसीब नहीं। चूँकि हम ज़माना ए रिसालत के बहुत बाद पैदा हुवे, इसलिए क़ुरआन व हदीस का मुक़म्मल पस मंज़र, उसके नुज़ूल का माहोल, उस ज़माने की तर्ज़ ए ज़िन्दगी, तर्ज़ ए गुफ्तगू का समझना बल्कि उसका तसव्वुर हमारे लिए मुहाल है।

हालाँकि दीन की किसी बात को समझने के लियें मज़्कूरह बातों का समझना और उसकी पूरी वकफियत हमारे लिए इंतेहाई ज़रूरी है।

Scanned by CamScanner

इन तमाम बातों का लिहाज़ करते हुवे अगर हम अपनी समझ पर भरोसा करने के बजाए क़ुरआन व सुन्नत के मुख़्तलिफ़ इज़हार व पेचीदा अहकाम में वह मतलब अपनाएँ जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनाया तो कहा जाएगा के हमने उनकी तक़लीद की है।

ये हे तक़लीद की हक़ीक़त..........यानी मुश्किल अहकाम में किसी इमाम का दामन थामना।जो क़ुरआन व हदीस से साबित है। लेकिन बाज़ कम फहम, महदूद मुताल्लाअ व सोच रखने वाले अफ़राद तक़लीद को सराहतन शिर्क से ताबीर करते हैं। जबकि हर शक्स दुनियावी मुआमलात में किसी न किसी शक्स की तक़लीद करता नज़र आता है। ये कैसी दोगली पॉलसी है की जो अमल दुनियावी कामो में शिर्क नहीं, वह दीनी कामों में शिर्क कैसे बन सकता है?

अल्लाह ताला तमाम मुक़ल्लिदीन को गैर मुक़ल्लिदीन के तक़लीद बेज़ार फ़ितने से महफूज़ रखे, अमीन या रब्बुल अलामीन बे जाहुल नबिय्यि सलल्लाहो अलैहि व सल्लम।

Scanned by CamScanner

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم.

बाब 2

क़ुरआन और तक़लीद

ऐसा हरगिज़ नहीं है के हम तक़लीद सिर्फ अक़लन और क़यासन साबित करते हैं बल्कि इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई अल्लाह की मुक़द्दस किताब करती है, हमे क़ुरआन ही से तक़लीद का मिज़ाज मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है:-

وما کان المؤ منونلیُنفرُوا کآفَّةً. فالولا نفر من کُلّفر قةٍمّنهم طآ فةٌ لّیتفقّهو ا فی الدّین ولیُنذرُوا قومهُو اذارَجعوٓاالیهم لعلّهُم یحزرُون0 (سورہ التوب،آیت ۱۲۳)

तर्जुमाँ:- और मुसलमानों से तो ये हो नहीं सकता के सब के सब निकलें (दीन सीखने) तो क्यों न हो के उनके हर गिरोह से एक जमात निकले की दीन की समझ हासिल करें, और वापस आ कर अपनी क़ोम को डर सुनायें इस उम्मीद पर की वह बचें(अल्लाह की न फ़रमानी से)।

इस आयत ए करीमां में इस बात की ताकीद आई है. के

Scanned by CamScanner

सारे मुसलमान एक ही काम में न लगें बल्कि एक जमाअत रोज़ व शब दीन की समझ हासिल करने में लग जाये और अपना ओढ़ना बिछौना इल्म को बना लें, और फिर ये जमाअत उन लोगों को दीन सिखाए जो कस्बे माश की मसरूफियतों की वजह से इल्म ए दीन सीखने के लिए वक़्त नहीं निकाल पाते।

इस आयत में एक को दीन सिखाने और दुसरे को उनसे सीख कर अमल करने का हुक्म दिया गया है, और इसी का नाम तक़लीद है। इस आयत पर गुफ्तगू करते हुवे इमाम अबु बकर जसास रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं:

इस आयत में अल्लाह पाक ने आम लोगों पर वाजिब किया की ओलमा उनको (अहकाम ए दीन बता कर होशियार करें तो वो(अल्लाह की न फ़रमानी से बचें) और ओलमा की पैरवी(तक़लीद) करें। (अहकामुल क़ुरआनुल जसास, बाब इताअत ए रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम, जिल्द 2, सफा नंबर 263)

क्या इस आयत में कहीं ऐसा भी है की ओलमा जब बताएं तो उनसे दलील भी पूछो? नहीं उनके क़ोल को

Scanned by CamScanner

बिला दलील तस्लीम करो क्यों की वो खुदा और रसूल अलैहिस्सलाम के शारेह हैं, उन पर एतमाद और एतबार ज़रूरी है, अब वह लोग(गैर मुक़ल्लेदीन) जो डायरेक्ट क़ुरआन व हदीस से दीन को समझने की दावत देते हैं इस आयत से नसीहत हासिल करें और बजाये मुहक़्क़ीक़ बनने के मुक़ल्लिद बनें।

एतमाद व भरोसा बड़ी चीज़ है वरना बड़ी ज़िल्लत उठाना पढ़ेगी।

इस दुनियाए रंग व बू में खानदानों,क़बीलों, और घरानों निज़ाम और औलाद के नसब की हिफाज़त भी तक़लीद की बरकत है।

किसी खानदान में कोई बचा पैदा हो तो जिस माँ ने उसे पैदा किया है,उसकी बात पर भरोसा करते हुवे उस खानदान का फर्द क़रार दिया जाता है।

अगर कोई गैर मुक़ल्लिद बच्चा अपनी माँ से कहे में अपने ही बाप के नुत्फे से हूँ इसकी मुझे दलील चाहिय्ये वरना में आपके दावे को मान कर फलां का बैटा नहीं बन सकता। खुदारा बताओ क्या उस बच्चे का मुतालबा सही है? क्या इसकी माँ इसके मुतालबे को दलील से मुदल्लल

Scanned by CamScanner

व मुबर्रहन कर सकती है? अब तो पूरी दुनिया मिलकर भी इसे हलाल ज़्यादा साबित नहीं कर सकती, इसके हलाल ज़्यादा होने की एक ही सूरत है, के वह इस मसले में अपनी माँ की तक़लीद ए शकसी करे।

दुनिया में हर बच्चा बालिग.होने पर या पहले इस तरह के गैर मुक़ल्लिदाना मुतालबे करे तो क्या खानदानों और क़बीलों का निज़ाम ए नसबि दुरुस्त रह सकता है? ओलमा ए अहले हदीस इस मसले में क्या फरमाते हैं? इसे माँ की तक़लीद करनी चाहिय्ये या अपने हलाली होने की तहक़ीक़? अगर तक़लीद करे तो मुशरिक होगा और अगर तहक़ीक़ करेगा तो हरामी। और क्या मौजूदा ओलमाए अहले हदीस ने अपने नुत्फ़ो की तहक़ीक़ की या फिर इस मसले में अपनी माँओ की तक़लीद कर रहे हैं? जवाब देकर हमारी तशफि फरमाए।

अल्लाह पाक अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है:-

يآيّهاالّذين أمنُو آطيعُواللّه و آطيعُواالرّسُول وأُولى الأمر منكُم.0 (سورة النسا ،ايت ٥٩)

तर्जुमाँ:-ए ईमान वालो! हुक्म मनो अल्लाह का, और हुक्म

Scanned by CamScanner

मनो रसूल का और जो तुममे "उलिउल अम्र" हैं उनका।

इस आयत में जो उलिउल अम्र आया है उसकि तफ़सीर में बाज़ हज़रात ने फ़रमाया इसमें फ़ुक़ह मुराद हैं, या दूसरी तफ़सीर में सहाबा में जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ए अब्बास, ताबेईन में हज़रत मुजाहिद, हज़रत अता बिन रबाह, हज़रत हसन बसरी और हज़रत अबुल आलिया और दूसरे बहुत से मुफ़स्सिरीन से मनकूल है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसी तफ़सीर को मुताद्दिद दलाईल से तरजीह देते हुवे लिखा है:-

इस आयत में उलीउल अम्र से ओलमा व फ़ुक़हा मुराद लेना ओला (बेहतर) है।

(तफ़सीर अल कबीर, जिल्द 3, सफा 334)

बहर हाल इस तफ़सीर के मुताबिक इस आयत में मुसलमानो से कहा गया है के वो अल्लाह व रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की इताअत करें और उन ओलमा व फ़ुक़हा की इताअत करें जो अल्लाह व रसूल अलैहिस्सलाम के कलाम के शारेह हैं, और इसी इताअत को इस्तिलाः में तक़लीद कहते हैं।

इस क़दर वाज़ेह इरशाद के बाद कोई ओलमा व

Scanned by CamScanner

फ़ुक़हा की तक़लीद और तक़लीद मज़ाहिब ए अरबाह को शिर्क कहे,तो इसका कोई इलाज नहीं क़ुरआन हमें साफ़ हुक्म दे रहा है के अल्लाह व रसूल की गैर मश्रूत इताअत करो और तुममें जो अहले फिक़्ह और इज्तेहाद हैं उनकी बातें बिना दलील तस्लीम करो। मगर आज कल तहक़ीक़ और तलब ए दलील का ये मर्ज़ आम होता जा रहा है। दोस्तों दुनिया भर में जितने इदारे, कंपनीज़, ऑफिसेस हैं दीनी हो या दुनियावी, सरकारी हो या गैर सरकारी, अहम हो या गैर अहम वो सिर्फ और सिर्फ तक़लीद की बरकत ही से चल रहे हैं।

हर इदारे का एक सर बराए आला (बिग बॉस) होता है, अगर वह बिग बॉस अपने किसी मात हत (मुलाज़िम) को हुक्म दे की फुलां काम करो, और उस वक़्त वह मुलाज़िम बजाए हुक्म मानने के यूँ कहे की जनाब में आपकी बात तभी मानूँगा जब आप मुझे इसकी दलील बताएँगे वरना में आपकी तक़लीद से क़ासिर हूँ। फिर उसका देखा देखि इदारे के तमाम मुलाज़िमीन यही ज़िद्द करने लगें तो बताईय्ये क्या उस इदारे का बेडा गर्क नहीं होगा? खुदारा बताईय्ये ऐसे नाफरमान और गैर मुक़ल्लिद

Scanned by CamScanner

नोकरों को खड़े खड़े बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जायेगा?

जिस कंपनी या ऑफिस में ऐसे बे लगाम और गैर मुक़ल्लिद हज़रात हो, वह कंपनी या ऑफिस कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती।

जिस तक़लीद का दिन रात रोना रोया जाता है, कोसा जाता है उसी तक़लीद की बरकत से गैर मुक़ल्लिदीन के भी दीनी व दुनियावी इदारे चल रहे हैं।

जब तक़लीद ज़रूरी है हर काम, हर शोबे, हर हुनर में तो फिर दीन में ज़रूरी क्यों नहीं होगी? और क्या बगैर तक़लीद के दीन समझा जा सकता है?

अल्लाह जल्ले मुज्दाह इरशाद फ़रमाता है:-

وا إذا جآءهُم امرٌمّن الامن اوالخوف اذاعُوا به. ولو ردُّوهُ إلى الرّسول وا إلى أُولى الامر منهُم لعلمهُ الّذين يستنمبطُو نهُ منهم0

(سورة انسا، ايت ٨٣)

तर्जुमाँ:- और जब उनके पास कोई बात इत्मीनान और डर की आती है तो उसका परचार कर बैठते हैं. और अगर ये

Scanned by CamScanner

उस मामले को रसूल या अम्र वालो की तरफ लोटा देते तो उन में जो अहले इस्तिम्बात हैं, ज़रूर उसकी हक़ीक़त जान लेते ये जो बाद में काविश करते हैं।

इस आयत ए करीमाँ का शान ए नुज़ूल ये हे के मदीना मुनव्वरा के मुनाफ़ेक़ीन जंग व अमन के बारे में अफवाहें उढाते रहते थे, जिससे मदीना मुनव्वरा का सुकून बर्बाद होता रहता था।

इस आयत ए मुबारका में अहले ईमान को इस बात की तलकीन फ़रमाई गयी के जब ऐसी कोई बात आये तो उस पर अमल करने के बजाए उसे अम्र वालों तक पहुंचाए, और उन में जो अहले इस्तिनबात है वो मामले की तह तक पहुँच कर लोगों को हक़ीक़त से बा खबर करें।

ये आयत अगरचे एक ख़ास मौके के लिए नाज़िल हुई है, लेकिन उसूल ए तफ़सीर व उसूल इ फ़ुक़हा का ये मुसल्लम क़ायदा है के आयत से अहकाम व मसाईल निकालने के लिए शान ए नुज़ूल के खुसूसी हालात के बजाये आयत के उमूमि अलफ़ाज़ का एतबार करते हैं, इसलिए इस आयत से ये उसूली हिदायत मिल रही है की जो लोग तहक़ीक़ की सलाहिय्यत नहीं रखते वो लोग

Scanned by CamScanner

अहले इस्तिनबात व इज्तिहाद से रुजू करें। और ओलमा व फ़ुक़हा अपनी इजतिहादि बसीरत से जो भी फैसला फरमाएं बकिया लोग उनकी इताअत करें।

बस इसी का नाम तक़लीद है और क़ुरआन मजीद हमें इसी बात का दर्स दे रहा है। इस आयत की तफ़सीर करते हुवे इमाम फख्र उद्दीन राज़ी रहमतुल्लह अलैहि फरमाते हैं:-

तर्जुमाँ:- साबित हुवा की इस्तिनबात हुज्जत है और कयास या तो इस्तिनबात होता है या इसमें शामिल होता है, लिहाज़ा वो भी हुज्जत है, जब ये बात तय हो गयी तो हम कहते हैं ये आयत चन्द उमूर की दलील है, एक ये के नित नए पेश आने वाले मसाईल में बाज़ उमूर ऐसे होते हैं, जिनका हुक्म नस से सरहतन मालूम नहीं होता, बल्कि इसके लिए इस्तिनबात की ज़रूरत पढ़ती है, दूसरा ये की इस्तिनबात हुज्जत है, तीसरा ये की आम आदमी पर वाजिब है की वो पेश आने वाले मसाईल में ओलमा की तक़लीद करे। (तफसीरुल कबीर, जिल्द 3, सफा 373)

इमाम फकरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि किस पाये के आलिम है ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपकी ज़ात गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक भी मोअतबर हैं।

Scanned by CamScanner

आप इस आयत से अवाम को तक़लीद वाजिब करार दे रहे हैं, और गैर मुक़ल्लिदीन जिन्हें क़ुरआन व हदीस के इल्म की हवा तक नहीं लगी तक़लीद को शिर्क कह रहे है।

और हक़ तो ये है की इस आयत ए करीमा से तक़लीद का रोशन सबूत मिल रहा है। और इमाम फक्र उद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि का इल्मी कमाल देखिये, आप इस आयत से क़ुरआन व हदीस के बाद इज्माँ व क़यास को भी साबित फार्मा रहे हैं।

अहले इस्तेम्बात जब कोई मसला बताएं जैसे हमारे अईम्मए अर्बाह तो उसे बिला चु व चरा मान लेना ये क़ुरआन की तालीम है तहक़ीक़ तो इन्होंने की है हमें बस तक़लीद करना है।

गैर मुक़ल्लेदीन जो क़ुरआन व हदीस पर चलने के दावे दार हैं, और भोली भली अवाम को तक़लीद से रोक कर डायरेक्ट क़ुरआन व हदीस पर चलने की दावत दे रहे है क्या वह भूल गए?

हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सबसे बड़ा मसला खलीफा के इंतेखाब का था, हज़रत ए उमर फारूक रदियाल्लाहो अन्हो ने तमाम सहाबा के मजमें में

Scanned by CamScanner

तक़रीर की और हज़रत ए अबु बक़र रदियल्लाहो अन्हो को खिलाफत का सही हक़ दार बताया इस मौके पर आप ने हज़रत ए अबु बक़र की खिलाफत पर क़ुरआन की कोई आयत पेश की न हदीस बल्कि क़यास से साबित किया की हुज़ूर की हयात ए ज़ाहिरी में ये हमारी नमाज़ों के इमाम थे तो अब ये ही हमारे खलीफा व इमाम होंगें। फिर आपने हज़रत ए अबु बक़र रदियाल्लाहो अन्हो की बैत की फिर तमाम सहाबा ने हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहो अन्हो की तक़लीद ए शख्सी करते हुवे हज़रत ए अबु बक़र की बैत की।

क्या इस मौके पर सहाबा ने हज़रत ए उमर से दलील का मुतालबा किया?

नहीं बल्कि तमाम सहाबा ने तक़लीद की और उस दिन तमाम सहाबा का तक़लीद ए शख्सी की सेहत (सही होने) पर इज्मा हो गया।

अब जो तक़लीद ए शख्सी का मुनकिर है गोया वो सहाबा के इज्मा का मुनकिर है, और जो तक़लीद को शिर्क कहता है गोया वो नाऊज़ो बिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा को मुशरिक कहता है ऐसा इंसान अपना ठिकाना जान ले।

Scanned by CamScanner

क्योंकि सहाबा वह मुक़द्दस जमात है जिनके फ़ज़ाईल व मरातिब क़ुरआन व हदीस में मौजूद हैं, सुने अल्लाह के प्यारे रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम इरशाद फरमाते हैं:-

मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो,और इन्हें मेरे बाद निशाना न बनाओ, जिसने इनसे मुहब्बत की उसने मुझसे मुहब्बत की जिसने इनसे बुग्ज़ रखा उसने मुझसे बुग्ज़ रखा, जिसने इन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को इज़ा दी, और जो अल्लाह को इज़्न दे अनक़रीब अल्लाह उसे गिरफ्त(अज़ाब) में ले लेगा। (जामे तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द2 साफ 225)

अल्हम्दुलिल्लाह हम तक़लीद का हार पहन कर सहाबा की सुन्नत पर चल रहे हैं, अब गैर मुक़ल्लिदीन बताएं की अगर वो तक़लीद को शिर्क मानते हैं, तो फिर वो हज़रत ए अबु बक़र रदियल्लाहो अन्हो की खिलाफत को मानते हैं या नहीं, अगर मानते हैं तो क़ुरआन व हदीस से साबित करें बिना तक़लीद।

दामन पर कोई छींटा न खंजर पे कोई दाग

Scanned by CamScanner

दामन पर कोई छींटा न खंजर पे कोई दाग
तुम क़त्ल करो हो या करामत करो हो।

खुदा वंद ए कुद्दूस इरशाद फ़रमाता है:-

तर्जुमाँ:- ए लोगो इल्म वालो से पूछो अगर तुम्हे इल्म न हो। (तर्जुमाँ कन्जुल ईमान, सुराः ए अम्बिया, आयत 7)

अल्लामा अलूसि रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत के मुताल्लिक फरमाते हैं:-

तर्जुमाँ:- इस आयत से इस बात पर इस्तदलाल किया गया है की जिस चीज़ का इल्म खुद न हो उसमें ओलमा से रुजू करना वाजिब है, और अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब अलअकलील में लिखते हैं इस आयत पर इस्तदलाल किया गया है, के आम आदमी के लिए फुरुई मसाईल में तक़लीद जाएज़ है। (रुहुल मानी, जिल्द 14, सफा 148)

हज़रत ए खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं:-

तर्जुमाँ:- रहा ये मसला के तक़लीद किसके लिए जाएज़ है? सो वह आम शख्स है जो अहकाम इ शरिया के मसाईल नहीं जानता।

बस इसके लिए जाएज़ हे के वो किसी आलिम की

Scanned by CamScanner

तक़लीद करे, इस लिए की अल्लाह पाक ने फ़रमाया, ए लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। (अल फकीह वल मुतफक़्क़्त लिल खतीबुल बगदादी मतबुआ दारुल इफ्ता सउदिया अल रियाज़,1389 हिजरी,जिल्द 2,सफा 68)

आयत ए करीमा की रौशनी में ओलमा इकराम व मुफस्सिरान ए इकराम और ओलमाए इस्लाम ने उम्मत के लिए ये फरमान जरी किया की वह क़ुरआन व सुन्नत पर चलने के लिए ओलमा की इत्तिबा करें, यही वजह है की उम्मत के अकाबिर ए ओलमा ने तक़लीद के लिए चार हस्तियों को चुना और ये चार मुजतहिद मुतलक़ थे, और इनकी तक़लीद पर इज्मा हुवा, अब इन्हीं में से किसी एक की ता हयात तक़लीद ए शख्सी वाजिब है।

तक़लीद ए शख्सी को हराम व कुफ्र व शिर्क कहने वाले गैर मुक़ल्लिदीन ये कैसे भूल जाते हैं? की अमीरुल मोमिनीन सयेदना अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहो अन्हो की खिलाफत का क़याम हज़रत ए उमर रदियल्लाहो अन्हो की तक़लीद ए शखसी की बरकत से हुवा।

और जब हज़रत ए अबु बक़र सिद्दीक़ रदियल्लाहो

Scanned by CamScanner

अन्हो का भी वक़्त ए विसाल आया तो आपने भी एक तहरीर लिखवाई के मेरे बाद हज़रत ए उमर खलीफा होंगें, अजीब बात है हज़रत ए अबु बक़र हज़रत ए उमर के हक़ ए खिलाफत को न क़ुरआन से साबित कर रहे हैं और न हदीस से।

आपने वसीयत नामाँ में न क़ुरआन की कोई आयत लिखी न हदीस ए रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम, तमाम सहाबा ने हज़रत ए अबु बक़र रदियल्लाहो अन्हो की बात को बिला दलील मान कर हज़रत ए उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहो अन्हो को अपना दूसरा खलीफा माना और इस मामले में तमाम सहाबा ने हज़रत ए अबु बक़र रदियल्लाहो अन्हो की तक़लीद ए शख्सि की, अगर तक़लीद ए शख्सि शिर्क हे तो गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक सहाबा क्या हैं?

हज़रत ए उमर ने भी अपने विसाल से पहले 6 सहाबा के नाम पेश किये थे इनमे से दो हज़रत ए उस्मान रदियल्लाहो अन्हो, और हज़रत ए अब्दुल रहमान बिन ओफ़ भी हैं। हज़रत ए अब्दूल रहमान बिन ओफ़ ने फज्र की

Scanned by CamScanner

नमाज़ के बाद मस्जिद ए नबवी में तमाम सहाबा के सामने हज़रत ए उस्मान रदियल्लाहो अन्हो के हाथो पर बैत की, और तमाम सहाबा ने अब्दुल रहमान बिन ओफ़ रदियल्लाहो अन्हो की तक़लीद ए शख्सी करते हुवे मुसलमानो का तीसरा खलीफा हज़रत ए उस्मान रादियल्लाहो अन्हो को माना।

एक सवाल

अब गैर मुक़ल्लेदीन हमे बताएं की तुम लोग हज़रत ए अबु बक़र रदियल्लाहो अन्हो को अपना पहला खलीफा, हज़रत ए उमर रदियल्लाहो अन्हो को दूसरा खलीफा, हज़रत ए उस्मान रदियल्लाहो अन्हो को तीसरा खलीफा मानते हो या नहीं? अगर मानते हो तो क़ुरआन व हदीस से दलील लाओ, अगर बिला दलील मानते हो तो ये तक़लीद हुई या नहीं?

और अगर तक़लीद शिर्क है तो असहाबीए रसूल जिन्होंने तीन खलीफाओं पर तक़लीद ए शख्सी की उन पर क्या हुक्म है?

दोस्तों गैर मुक़ल्लिद दरअसल छोटे राफ़ज़ी(शिया) है, और इस हक़ीक़त का बहत कम लोगों को इल्म है. गैर

Scanned by CamScanner

मुक़ल्लिदीन का सिर्फ ओलमाँ व फ़ुक़हा, और हदीस ए रसूल ही से नहीं बल्कि सहाबा से भी ज़बरदस्त इख़्तिलाफ़ है।

इस बाब के इख़्तेताम पर क़ुरआन मजीद से मजीद कुछ आयतें तक़लीद के हवाले से पढ़ें:-

1) क़ुरआन में क़ुरआन की तक़लीद का हुक्म

और उसकी पैरवी करो जो अच्छी से अच्छी तुम्हारे रब से तुम्हारी तरफ उतारी गयी(क़ुरआन) क़ब्ल इसके की तुम पर अज़ाब आये।(सूरह मरयम, आयत 55)

2) क़ुरआन में रसूल की तक़लीद

ए महबूब तुम फरमा दो अगर अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ (सुन्नत की ताबेदारी करो) अल्लाह तुम्हे दोस्त रखेगा।। (आले इमरान, आयत 31)

3) क़ुरआन में सहाबा की तक़लीद का हुक्म

और सब में अगले पहले मुहाजिर,और अंसार और जो भलाई के साथ उनके पेरो कार (मुक़ल्लिद) हुवे अल्लाह उनसे राज़ी वह अल्लाह से राज़ी। (सुरा: ए तौबा आयत 100)

Scanned by CamScanner

4) क़ुरआन में ओलमा व फ़ुक़हा व मुजतहेदीन की तक़लीद

1 ए मेरे बाप बे शक मेरे पास व इल्म आया जो तुझे न आया तो तू मेरी इत्तिबा (तक़लीद) करता की दिखाऊं तुझको राह सीधी। (सुराः मरयम आयत 43)

2 आप से पहले भी हम मर्दों को ही भेजते रहे(नबी बना कर) जिन की तरफ हम वही करते, तो ए लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हे इल्म न हो। (सुराः नहल आयत 43)

क्या क़ुरआन पाक से क़ुरआन की, अंबिया की, सहाबा की, ओलमा फ़ुक़हा मुजतहेदीन की, इत्तिबा (तक़लीद/पैरवी) साबित नहीं हुई?

तक़लीद को शिर्क कहने वाले अपनी खेर मनाएं।

अल्लाह के फ़ज़ल से ये बाब पूरा हुवा। فالحمد لله

Scanned by CamScanner

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم.

बाब 3

हदीस और तक़लीद

बाब अव्वल में तक़लीद की हक़ीक़त कुछ अकली मिसालों और कुछ फ़ुक़हा के अक़वाल से और बाब दो में तक़लीद असल क़ुरआन से मेने साबित की, और इस सिलसिले में बहुत से ओलमा और मुफस्सेरीन के हवाले भी मेने पेश किये अब ज़रूरी है के हम तक़लीद को हदीस से भी साबित करें।

आगे बढ़ने से पहले आपको तक़लीद का लुगवि और शरई माना और कुछ ज़रूरी बातें समझनि होंगीं,

तक़लीद का लुग़त में माना आता है:

قلا دہ در گردن بستن

"किसी का पट्टा या (हार) गले में डालना"

लफ्ज़ तक़लीद का माद्दह قلا دہ है,

लेकिन जब ये क्लादः किसी इंसान के गले में होगा तो मानी हार वाला किया जाएगा, और जब कलादह जानवर के गले में होगा तो माना पट्टे का लिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

हम चूँकि इंसान हैं इसलिए इंसान वाला मानी लेंगे,
जानवरो को जानवर वाला माना पसन्द है।
एक बात ये भी मलहूज़ रहे की तक़लीद, इत्तिबा,
पैरवी,इताअत,इक़्तेदा, सब हम मानी अलफ़ाज़ हैं।

तक़लीद का शरई हुक्म

ओलमा फरमाते हैं:

तर्जुमाँ:- तक़लीद का मतलब ये है की जिस शक्स का क़ोल मखिज़ ए शरियत में से नहीं हैं, उस शक्स के क़ोल पर बगैर दलील के मुतालबा के बगैर अमल करना। (तेसिर उल तहरीर 4/352)

इस तारीफ़ ने वाज़ेह कर दिया के मुक़ल्लिद अपने इमाम के क़ोल को मखिज़ ए शरियत नहीं समझता क्योंकि मखिज़ ए शरियत सिर्फ और सिर्फ क़ुरआन और सुन्नत है।

हाँ मुजतहिद का क़ोल इज्तिहाद या कयास होता है जो क़ुरआन व सुन्नत की रौशनी ही में लिया जाता है, अलबत्ता मुक़ल्लिद मुजतहिद के क़ोल को ये समझ कर अमल करता है के चूँकि वह क़ुरआन व सुन्नत के उलूम का माहिर है इसलिए मेरे इमाम ने जो क़ुरआन व सुन्नत

Scanned by CamScanner

का मानी समझा है वो मेरे लिए ज़्यादा क़ाबिल ए एतमाद है।

तक़लीद की इस तारीफ़ के मुताबिक़ रावी की रिवायत को क़ुबूल करना तक़लीद फि रिवायत है, और मुजतहेद की दरायत को क़ुबूल करना तक़लीद फिल दरायत है, मोहद्दिस् की किसी राये से हदीस को सही या ज़ईफ़ मानना या किसी रावी को सिक़ मज़हूल या ज़ईफ़ मानना भी तक़लीद ही है, किसी उम्मत के बनाये हुवे उसूल ए तफ़सीर, उसूल ए हदीस, उसूल ए फिक को मानना भी तक़लीद है।

तक़लीद जाएज़ और न जाएज़

जिस तरह गधी व कुतिया के दूध को भी दूध कहा जाता है उसी तरह गाये भैंस के दूध को भी दूध कहा जाता है, मगर दूध में हराम व हलाल का फ़र्क़ है। इसी तराह तक़लीद की भी दो किस्में हैं, अगर कोई हक़ की मुखालिफत में किसी की तक़लीद करे तो ये हराम है जैसे कुफ्फार व मुशरेकीन अल्लाह व रसूल की मुखालिफत में अपने बाप दादा की तक़लीद करते हैं।

अगर कोई इस नियत से किसी मुजतहिद की तक़लीद

Scanned by CamScanner

करे की में खुद क़ुरआन व सुन्नत से कोई मसला नहीं निकाल सकता, और मुजतहेदीन मुझसे ज़्यादा क़ुरआन व हदीस में अल्लाह और रसूल की मुराद को समझते हैं, तो ऐसी तक़लीद न सिर्फ मुबह व जाएज़ बल्कि इस ज़माने में वाजिब भी है।

किन मसाईल में तक़लीद की जा सकती है

सिर्फ मसाईल ए इज्तिहादिया ही में तक़लीद की जा सकती है, मुफस्सिल ब्यान बाब 1 में हक़ीक़त ए तक़लीद के तहत गुज़र चूका।

हज़रत ए माज़ बिन जबल की हदीस (जो इंशा अल्लाह आगे तफ़सील से आएगी) में इज्तिहाद का मक़ाम मुतय्यिन है, के जिन नो पैदा मसाईल का हुक्म सराःतन क़ुरआन व हदीस से न मिले उनका हुक्म क़ुरआन व हदीस की रौशनी में मुजतहेदीन कयास व इज्तिहाद से इस्तिम्बात करें।

नोट:-मोहद्देसीन का उसूल ए हदीस बनाना, किसी हदीस को सही या ज़ईफ़ कहना,किसी रावी को सिका या मजरूह करार देना, ये मुहद्दिसीन का इज्तिहाद है।

बताया जा चूका है की तक़लीद सिर्फ मसाईल ए

Scanned by CamScanner

इज्तिहादिया में ही की जा सकती है, और जो मुजतहेदीन ए इकराम (जैसे चार इमाम) वो फरमाते हैं:

القياس مظهر لامثبت(شره عقاعدنسفي)

हम कोई मसला अपनी ज़ाती राये से नहीं बल्कि हर मसला क़ुरआन व सुन्नत और इजमां से ज़ाहिर करके बयान करते हैं, और मुजतहेदीन कहते हैं हम मसला पहले क़ुरआन से लेते हैं अगर वहां न मिले तो फिर सुन्नत की तरफ रुजू करते हैं अगर वहां न मिले तो फिर सहाबा के इजमां से, अगर असहाब ए इकराम में इख़्तिलाफ़ हो तो फिर जिस तरफ हज़रत ए खोलफाए राशेदीन हो से लेते हैं अब अगर यहां भी न मेले तो इजतिहादि कायदों और उसूलों से इस मसले का हुक्म तलाश करते हैं।

जिस तराह एक माहिर ए हिसाब, हिसाब के नए नए मसलो का हल इल्म ए रियाज़ी के कवाईद के ज़रिये करता है, ये जवाब उसकी ज़ाती राए नहीं बल्कि उस फन से हासिल जवाब है, ज़ाहिर है हिसाब के सवाल का जवाब हिसाब दान देगा, जो हिसाब दान नहीं वह हिसाब दान से पूछ कर उसकी तक़लीद करेगा, उसी तराह किताब व सुन्नत पर अमल की दो ही सूरतें हैं, एक या तो ख़ुद ही

Scanned by CamScanner

मुजतहिद हो और इजतिहादि क़ाइदों से मसाईल का हल निकाल कर उसपर अमल करे, अगर मुजतहिद नहीं तो ज़ाहिर है उसमें इस्तिम्बात की सलाहियत नहीं, तो अब लाज़िम हे की वो मुजतहिद की तक़लीद करे।

और जो मुक़ल्लिद मुजतहिद की बात मानता है तो वो जानता है की मुजतहिद ने कोई ज़ाती राये नहीं दी बल्कि वो जानता है की मुजतहिद ने अल्लाह व रसूल की सही मुराद बताई है।

इज्तिहाद,मुजतहिद व मुक़ल्लिद का सही माना समझने के बाद अब गैर मुक़ल्लिद होना भी समझें-

जो न मुजतहिद हो न मुक़ल्लिद हो ऐसा शख्स ला मज़हब होता है, यानी ऐसा शक्स जिसका कोई मज़हब नहीं,उर्फ़ में ऐसे ही शख्स को गैर मुक़ल्लिद कहा जाता है। और ऐसे ला मज़हब गैर मुक़ल्लिदीन खुद को विक्टोरियन अहले हदीस कहलाना पसंद करते हैं, हालांकि इनके अमल से ये बात साबित हो चुकी है की यही लोग हदीस ए रसूल के सबसे बड़े दुश्मन हैं।

देखिये मस्जिद में नमाज़ ए बजमात एक इमाम होता है बाकि मुक्तदि, जो शक्स न इमाम हो न मुक्तादि बल्कि

Scanned by CamScanner

कभी इमाम को गलियां देता हो कभी मुक्तदियो से लडे ऐसा शक्स होता है गैर मुक़ल्लिद।

ऐसे ही मुल्क में एक हाकिम होता है और बाकी महकूम, अब जो न हाकिम हो न महकूम बने वह मुल्क का बागी होता है यही मुक़ाम गैर मुक़ल्लिद का है।

अब पढ़े अहदीस में तक़लीद ए शख्सी के रोशन दलाईल जो दिन रात हदीस हदीस की रट लगाते हैं, उन्हें इनकार ए तक़लीद की हिमाकत की जुरअत नहीं करनी चाहिय्ये।

अल्लाह के प्यारे महबूब सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

إن اللّٰه لا يقبدل العلم أ نتذا عاينتزعه من العباد،ولكن يقبض العلم يقبض العلما،حتى إذا لم يبق عالما اتخز الناس رؤسا جهالا فسُلو فأافتوا بغير علما فضلّوا أضلُّوا.

तर्जुमाँ:- बे शक़ अल्लाह ताला (क़यामत के क़रीब) इल्म को (दुनिया से) ऐसे नहीं उठाएगा के उसे सीनों से निकाल ले, बल्कि इल्म इस तराह उठेगा के ओलमा को उठा लेगा (इल्म वाले इंतेक़ाल होंगें) यहां तक की जब कोई आलिम

Scanned by CamScanner

बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलो को अपना सरदार बनाएंगे, उनसे सवालात होंगें तो वो बगैर इल्म के फतवा देंगे। वो खुद भी गुमराह होंगें और दूसरों को भी गुमराह करेंगें। (मिश्कात उल मसाबिह, किताब उल इल्म, फसल अव्वल सफा38)

इस हदीस की रौशनी में मालूम हुवा की फतवा देना सिर्फ आलिम का काम है, और लोगों का काम ये है की उनसे अहकाम ए शरिया पूछें, और वो जो बताएं लोग उस पर अमल करें यही तक़लीद का हासिल है।

हदीस ए मज़कूरा में ये बात काबिल ए गौर है की नबी अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे ज़माने की खबर दी की ओलमा खत्म हो जायेंगे, और जाहिल किस्म के लोग फतवा देना शुरू करेंगें, अब सवाल ये उठता है की उस पुर फितन दौर में दीन पर चलने की क्या सूरत बाकी रह जाती है?

सिर्फ यही सूरत बाकी रह जाती है की गुज़रे हुवे आइम्मा मुजतहेदीन की तक़लीद करें क्योंकि जब जिन्दो में कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो उनकी तरफ रुजू करना मुमकिन न होगा, और अज़ खुद क़ुरआन व हदीस से कोई मसला नहीं निकाल सकता तो ऐसे वक़्त में यही

Scanned by CamScanner

सूरत बाकी रह जायेगी के अगर दीन बचाना होगा तो चाहे तुअन हो या करहन किसी ऐसे इमाम की तक़लीद की जायेगी जिनका मज़हब किताब की शक्ल में बाकी मिलेगा।

हदीस का हासिल ये है के जब तक ओलमाए इज्तिहाद मौजूद हों उनसे मसाईल पूछें, और जब वो गुज़र जाएं और कोई आलिम (मुजतहिद) न बचे तो ना समझ लोगों को मुजतहिद समझ कर उनसे मसले पूछने की बजाए गुज़रे हुवे ओलमा में से किसी की तक़लीद की जाए।

एक शुबा:

मुमकिन है इस हदीस को पढ़ कर कोई कहे जनाब इसमें तो सिर्फ ओलमा से पूछने की बात है चार इमाम की तक़लीद का ज़िक्र कहाँ है? और इस ज़माने में तो ओलमा मौजूद हैं फिर हमे तक़लीद की क्या ज़रूरत? जिस दौर में ओलमा नहीं होंगे उस दौर में तक़लीद का सोचा जायेगा।

मालूम होना चाहिय्ये की इस दौर में जो ओलमा हैं वो इज्तिहाद की सलाहियत के मालिक नहीं, अब तो अवाम व ओलमा सभी को चारो इमाम में से किसी एक की तक़लीद वाजिब है। गौर कीजिये क्या अला हज़रत सरकार कोई

Scanned by CamScanner

छोटे मोटे आलिम थे?

वह भी मुक़ल्लिद थे क्या इम्मुल हिन्द शाह वली उल्लाह, हुज़ूर ख़वाजा मोईनुद्दीन, दाता गंज बख्श, हुज़ूर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैहि अजमाइन मामूली दर्जे के पढ़े लिखे थे? इनके दिलों में तो इल्म व फनून के दरिया मोजज़न थे, फिर भी मुक़ल्लिद रहे ऐसा क्यों?

हज़रत शाह वली उल्लाह मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं:

हिजरी 300 के बाद कोई मुजतहिद ए मुतलक न हुवा, और चारों इमामो का मज़हब किताबी शक्ल में आ गया, अब ओलमा व अवाम को इन्ही चारो मज़हब की तक़लीद वाजिब कर दी गई। (हुज्जतुल्लाह अलबालिग)

और सुनिए ओलमाए रिजाल के इमाम अल्लामा शम्स उद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं:

तक़लीद के क़ाबिल तो सहाबा हैं...
फिर इमाम अबु हनीफा, मालिक, औज़ाई और फिर क़ाज़ी युसूफ, इमाम शाफ़ई, फिर अहमद वगैरह फिर इस दर्जे के बाद इज्तिहाद कम होता गया, और फ़ुक़हा ने तक़लीद को इख़्तियार किया.... अब तो सिर्फ यही चार मज़हब बचे हैं,

Scanned by CamScanner

और इनको जानने वाले भी कामयाब हैं, इज्तिहाद तो दूर की बात है। (सीर आलाम अल नबरा अ 92/8)

गैर मुक़ल्लेदीन को इमाम शम्स उद्दीन पर बढ़ा एतमाद है, अवाम आज के ओलमा से मसाईल पूछे और ओलमा अपने इमाम के मज़हब की रौशनी में मसाईल बताएं, और इसी तराह सभी लोग इन्हीं चार मज़ाहिब के पैरोकार हों, न नया मज़हब न नया मुजतहिद।

हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है:-

عن حذيفة قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه تعالى عله وسلم انى لا أدري مابقائ فيكم، فا قتدوابا لذين من بعدي. واشارالي أبى بكر وعمر.

तर्जुमाँ:- हज़रत ए हुजैफा रदियल्लाहो अन्हो से रिवायत है के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया:-

मुझे मालूम नहीं(तनबिया के लिये) में तुम्हारे बीच कितना अरसा रहूँ, तुम मेरे बाद दो लोगों की इक्तिदा(तक़लीद) करना, अबु बक़र व उमर। (रदियल्लाहो अन्हो अजमाइन) (सुनन ए तिर्मिज़ी, अब्वा बुल मनाकिब, सफा नं 1399, हदीस नं 3663, दारुल मारेफ़त,बैरूत)

Scanned by CamScanner

हदीस मज़कूर में लफ्ज़ इक्तिदा इस्तेमाल हुवा है, जिसका मतलब है दीनी उमूर में किसी की तक़लीद करना।

अल्लामा इब्न ए मंज़ूर अरबी लुग़त के मशहूर आलिम हैं लिखते हैं:

القُدوۃوالقدوۃ ما تسننت به

यानी क़द्वह उस शक्स को कहते हैं जिसकी सुन्नत पर तुम चलोगे।

क़ुरआन मजीद में यही लफ्ज़ अंबिया व सालेहीन की पैरवी के लिए आया है:

اولٰئك الّذین ھدی اللّٰه فبھدا ھم اقتدہ.

तर्जुमाँ:- यही हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की, तो तुम इनकी राह चलो। (तर्जुमाँ कन्जुल ईमान, सुरा: अल अनाम आयत नं 90)

मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हज़रत ए अनस रदियल्लाहो अन्हो से मारवी है के हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया:-

अभी तुम्हारी मजलिस में एक जन्नती शक्स दाखिल होगा, चुनांचे एक अंसारी सहाबी दाखिल हुवे, दुसरे रोज़ भी ऐसा ही ह़ुवा,और तीसरे रोज़ भी ऐसा ह़ुवा, इस पर एक

Scanned by CamScanner

दिन हज़रत ए अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहो अन्हो उनके घर तशरीफ़ ले गए और रात वही क़याम किया,ख्याल ये था की बहुत इबादत गुज़ार होंगें..

लेकिन ऐसा हुवा की सोते वक़्त उन्होंने कुछ अज़कार पढ़े और फज्र तक सोते रहे....

इस पर इब्न ए उमर ने उनसे कहा:

में तो इस इरादे से तुम्हारे यहां रुका था की तुम्हारा अमल देखूं, और उसकी पैरवी करूँ। (मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिल्द 3, साफ 167, मुसनदात हज़रत अनस बिन मालिक रादियाल्लाहो अन्हो)

मज़कूरा तमाम मक़ामात पर लफ्ज़ इक्तिदा दीनी कामों में किसी की तक़लीद के लिए आया है। अहदीस ए करीमा और क़ुरआन ए पाक की रौशनी में ये बात अज़हर मिन अश्शमस हो गयी है, हमें अपने बड़ों की तक़लीद करनी है, और बे इसके कोई चारा नहीं।

हुज़ूर सरवर ए आलम सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया:-

من أفتى بغير علم كان اثمه على من افتاه.

Scanned by CamScanner

तर्जुमाँ:- जिसको बगैर इल्म फतवा (मसला) बताया गया तो उसका गुनाह बताने वाले पर होगा। (मिश्कात उल मसाबिह, किताबुल इल्म, अल्फसलुसानि)

ये हदीस तक़लीद के जवाईज़ (जाइज़ होने पर) पर वाज़ेह दलील है, इस लिए के तक़लीद अगर जाएज़ न होती, और अगर किसी के फतवे पर बिना तहक़ीक़ अमल जाएज़ न होता तो ऐसी सूरत मे सारा गुनाह फतवा देने पर क्यों होता?

सोचिये जिस तराह मुफ़्ती पर बिना इल्म के फतवा देना गुनाह है उसी तराह साइल (सवाल पूछने वाले) को भी गुनाह होना चाहिय्ये के उसने फतवे की सेहत की तहक़ीक़ क्यों नहीं की?

इस हदीस ने मसले को साफ़ कर दिया के जिसे क़ुरआन व हदीस का इल्म न हो,वो माहिर ए क़ुरआन व हदीस से पूछे, और अगर आलिम गलत बताएगा तो गुनाह आलिम ही को होगा पूछने वाले को नहीं।

हज़रत सहल बिन माज़ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, की एक खातून बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुई और और अर्ज़ किया:-

Scanned by CamScanner

يا رسوللله (صلى الله عليه وسلم) انطلق
زوجى غازياوكنت اقتدي بصلا ته اذاصلي وبفعله
كلاه فا خبرني بعمل يبلغني عمله حتى
يرجع...الخ

तर्जुमाँ:- या रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम मेरा शौहर जेहाद के लिए गया है, जब वो नमाज़ पढता तो में उसकी इक्तिदा करती, और उसके तमाम अफआल (दीनी उमूर में इक्तिदा) करती...

अब आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे उसके अमल(जिहाद)के बराबर पहुंचा दे।

(अल मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि, जिल्द 3, सफा 439, मुसनद माज़ बिन अनस रदियल्लाहो अन्हो)

उस औरत ने सराहत के साथ हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम से अर्ज़ की की तमाम बातो में अपने शौहर की मुक़ल्लिद हूँ, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे रोका नहीं....

हज़रत ए अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहो अन्हो से रिवायत है की हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद

Scanned by CamScanner

फ़रमाया जिसमें दो आदतें होंगी अल्लाह ताला उसे साबिर व शाकिर लिखेगा।

من نظر فی دینه الی من هوفر قةفاقتدي به ونظر فی دنیاه الی من هودونه فحمد اللّٰه علی مافضلهٗ به.

तर्जुमाँ:- जो शक्स दीन के मामले में अपने से बुलन्द रुतबा शख्स को देखे और उसकी इक्तिदा (तक़लीद) करें, और दुनिया के मुआमले में अपने से नीचे वाले शक्स को देखें तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, के उसने मुझे इससे अच्छि हालत में रखा....(जामे तिर्मिज़ी जिल्द 4, हदीस नं 2512, मतबुआ मुस्तफा अल बाबी अल हल्बी मिस्र)

क्या इस हदीस ए पाक में बड़ों की तक़लीद का खुला हुवा सबूत नहीं मिल रहा? और हम तो ऐसे बड़ों के मुक़ल्लिद हुवे जिन पर 11 सदियों से आलम ए इस्लाम का इज्मा व इत्तेफ़ाक़ है तो उस पर इतना चराग पाहुने और बौखलाने वाली कौनसी बात है? आप किस किस्म के अहले हदीस हैं जो हमें हदीस ए पाक पर अमल से रोक रहे हैं?

अल्लाह पाक हमें हदीस ए पाक पर अमल की

Scanned by CamScanner

तौफ़ीक़ अता फरमाए। अमीन।

Scanned by CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم.

बाब 4

सहाबा और तक़लीद

सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाही ताला अजमाइन वह पाक सूरत, पाक सीरत, पाक नुफूस हस्तियां हैं, जो इस्लाम के काफिले अव्वल के शुर्का हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने माथे की आँखों से रूखे वद्दुहा की ज़ियारत की, ज़ुल्फ़ वल लैल को देखा, जमाल ए नबुव्वत का मुशाहीदा किया।

ये वह जमात है जिसने सोहबत ए रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम का शरफ पाया,फिर ये इतने मक़बूल, व महबूब हुवे की अल्लाह उनसे राज़ी हुवा, ये इतने कामयाब व कामरान हुवे के रसूले अकरम सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इन्हें आसमान ए हिदायत के सितारे फ़रमाया, इतने पर ही बस नहीं बल्कि उनकी राह चलने वाले को बशारत दी।

क़ुरआन ए पाक में दसियों आयत इनके मक़ाम ए राफेअ की शहादत दे रही है।

क़ुरआन

और सब में अगले पहले मुहाजिर व अंसार और जो

Scanned by CamScanner

भलाई के साथ उनके पैरोकार हुवे (उम्मत के बाक़ी लोग) अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी और उनके लिए तैयार रखे हैं बाग, जिनके नीचे नहरे बहें, हमेशा हमेशा उनमे रहें। (पारा 11, सुराः ए तौबा, आयत नं 100, तर्जुमाँ कन्जुल ईमान)

ये आयत मुहाजिरीन, अंसार के ईमान, आमाले सालेह की क़ुबूलियत,फ़ज़ीलत व अदालत नस (दलील) होने के साथ साथ उनके मुक़तदा व पेशवा होने की हैसियत भी बता रही है। और जो लोग नेक आमाल में इनकी तक़लीद करेंगें वो भी जन्नतुन्नईम में अब्दीयत और फेज़ ए अज़ीम से माला माल होंगें।

सहाबा के अज़ीम मर्तबे को तफ़सील से हमारी किताब "सहाबा के दुश्मन" में पढ़ें।

यहां मोज़ू तक़लीद है और चूँकि सहाबा में भी तक़लीद का चलन था ये बताने से पहले सहाबा की अज़मत का मुख़्तसर ब्यान क़ुरआन व हदीस से किया जा रहा है।

रसूल ए अकरम सलल्लाहो अलैहि व सल्लम फरमाते हैं-

اصحابی کالنجوم فبایهم اقتدیتم اهتدیتم.

Scanned by CamScanner

तर्जुमाँ:- मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं पस जिसकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे।

(मिश्कात उल मसाबिह, सफा 554)

एक मकाम पर सरकार ए दो आलम सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-

اليكم بسنّتي و سنّةالخُلفإ الراشدين محتديين
تمسكو ابهاوعضواعليها بلنوا جذ.

तर्जुमाँ:- तुम पर लाज़िम (ज़रूरी) हे मेरी और मेरे हिदायत याफ्ता खोल्फा ए राशेदीन की (हज़रत ए अबु बक़र,हज़रत ए उमर, हज़रत ए उस्मान,हज़रत ए अली रदियल्लाहो ताला अन्हो अजमाइन) की सुन्नत की पैरवी उनको खूब थाम लो और दाढ़ों से मज़बूत पकड़ो। (मिशकातुल मसाबिह, रवह अबु दाऊद, अलतिर्मिज़ि, व इब्न ए माजाह,वल निसाई)

क़ुरआन व हदीस से ये तो पता चला की दीन में सहाबा का अमल भी हुज्जत है, गैर मुक़ल्लिदीन का यहां भी हम से शदीद इख़्तिलाफ़ है, अगरचे आजकल ये धोका देने के लिए हैं ये लोग कहते हैं के हम क़ुरआन व हदीस के बाद इज्मए सहाबा के भी क़ायल हैं हालांकि ये सिर्फ ज़बानी

Scanned by CamScanner

दावा है अगर होते तो 20 रकअत तरावीह के मुनकिर क्यों होते?

और एक वक़्त में दी गयी तीन तलाक को एक ही क्यों मानते जबकि 20 रकअत तरावीह और एक मजलिस में दी गई तीन तलाक को तीन ही मानने पर तमाम सहाबा का इज्मा है, यही नहीं बल्कि तमाम आइम्मा ए अर्बह का भी इज्मा है।

यहां मामला कुछ और है, मामला ये हे के जैसे अहल ए क़ुरआन (क़ुरआन पर चलने का दावा करने वाले) ही मुनकिर ए क़ुरआन हैं ऐसे ही अहल ए हदीस (हदीस पर चलने का दावा करने वाले) हदीस के मुनकिर हैं। सहाबा का मक़ाम गैर मुक़ल्लिदीन (नाम के अहल ए हदीस) के नज़दीक क्या है? पढ़ें उनके ओलमा के सिर्फ दो हवाले-

इनकी जमात के खत्मुल मोहद्देसीन, शेखुल कुल मियां नज़ीर हुसैन देहलवी का फरमान:

यानी अगर ये मान लिया जाए की इस फतवे की सनद सही है, तब भी उससे दलील लेना सही नहीं, इस वजह से की सहाबा का क़ोल हुज्जत नहीं। (फतवा नज़ीरिया, जिल्द अव्वल, सफा 340)

Scanned by CamScanner

इमाम ए अहले हदीस नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली के बेटे नवाब नूरुल हसन ख़ाँ भोपाली लिखते हैं:

उसूल में ये बात ते होगई की सहाबा का क़ोल हुज्जत नहीं।

एक जगह और लिखते हैं:

सहाबा का इज्तिहाद उम्मत के किसी फर्द के लिए हुज्जत नहीं (उरफुल जादी सफा 207, ब हवाला तारीफ़ ए अहले हदीस)

क्या इसके बाद भी किसी को शक़ की गुंजाइश है, के गैर मुक़ल्लिद न सिर्फ सहाबा की अज़मत के मुनकिर नहीं, बल्कि उनकी आलमी मरतबत बारगाह के बद तरीन गुस्ताख भी हैं....

सहाबा का मुक़ाम क़ुरआन व हदीस से समझने के बाद और ये जान लेने के बाद की सहाबा की पैरवी का हुक्म हमे क़ुरआन व हदीस से मिल रहा है,अब देखिये सहाबा ने तक़लीद की या नहीं। की और बे शक़ की(जैसा आगे आ रहा है) फिर उनकी सुन्नत की पैरवी में हमने तक़लीद का हार पहना तो कोनसा शिर्क किया?

Scanned by CamScanner

मुझसे न होगा बातिल का अहतराम,
मेरी ज़बानों के लिए ताले खरीद लो।

सरकार ए दो आलम सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की हयात ए ज़ाहिरी में सहाबा को जो भी मसाईल पेश आते सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से रुजू करते...

आपके विसाल ए ज़ाहिरी के बाद सहाबा इकराम में तक़लीद का अमल कसरत से पाया जाने लगा जिसकी चंद नजीरें पेश है:

वो सहाबा जो तहसील ए इल्म में वक़्त नहीं दे पाते, या किसी ख़ास मसले के समझने में दिक़्क़त पेश आती तो दुसरे बड़े सहाबा से पूछ कर अमल करते।

इस तराह अहद ए सहाबा में भी तक़लीदे मुतलक़ व तक़लीदे शख्सी दोनों सूरतो में ज़िक्र मिलता है, और ख़ुसूसन तक़लीदे मुतलक़ तो इस क़दर आम थी के इसके जुमला वाकेआत नक़ल किये जाएं तो दफ्तर के दफ्तर तैयार हों...

عن ابن عباس رضی اللّٰہ تعالی عنه،قال ختب عمر بن الختاب الناس بالجابية وقال ياأيهاالناس من أرادأن يسأل عن القران فليأت أبي بن كعب

Scanned by CamScanner

رضی اللہ تعالی عنه،ومن أرا دأن یسأل عن
الفرأض فلیأت زید بن ثابت رضی اللّٰہ تعالی
عنه،ومن أرادأن یسأل عن الفقه فلیأت معاذبن
جبل رضی اللّٰہ تعالی عنه، ومن أرادأن یسأل عن
المال فلیا تني فان اللّٰہ جعلنی له ولیاوقاسما.

तर्जुमाँ:- हज़रत इब्न ए अब्बास रदियल्लाहो अन्हो फरमाते हैं, हज़रत ए उमर फारूक रदियल्लाहो अन्हो ने जाबिया के मक़ाम पर ख़ुत्बा दिया, और फ़रमाया, ए लोगों! जो शख्स क़ुरआन के बारे में कुछ पूछना चाहता है, वो अबी बिन काअब के पास जाये, जो मीरास के मसाईल के बारे में कुछ पूछना चाहता है वो ज़ैद बिन साबित के पास जाए, और जो शक्स इल्म ए फिक़्ह के बारे में जानना चाहता है वो माज़ बिन जबल के पास जाए, और जो शक्स माअ (गनीमत) के बारे में जानना चाहता है मेरे पास आये, इस लिए की अल्लाह पाक ने मुझे इसका वली और तक़सीम करने वाला बनाया है। (मजमुआ अल्ज़वाईद, जिल्द 1, सफा 313)

एक मर्तबा फिर पढ़ें हज़रत ए उमर रदियल्लाहो ताला अन्हो जिनके बारे में हदीसों में आता है, के हुज़ूर सलल्लाहो

Scanned by CamScanner

अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर होते, एक हदीस में आया के उमर की ज़बान व क़ल्ब पर अल्लाह ताला ने हक़ को जारी फ़रमाया है। उमर वो हैं जिन्हें देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है।

कल भी उमर के रास्ते से शैतान भागता था, आज उसकी जुर्रीयत भी रहे उमर से भाग रही हैं, मसला बीस रकअत तरावीह का हो या तीन तलाक का, या तक़लीद का शैतान और उसकी आल को फैसला ए फारुकी मंज़ूर नहीं।

यही हज़रत उमर हैं जो उम्मत के लिए चार सहाबा का मुक़तदा की हैसियत से इंतिखाब फरमा रहे हैं।

क्या वो ज़माना खेर का नहीं था? क्या वो ज़माना करिबे नुज़ूल ए क़ुरआन व तद्वीन ए हदीस का नही था? फिर बजाए इसके की हर एक को क़ुरआन व हदीस से मसाईल समझने की दावत दी जाए, हज़रत ए उमर तक़लीद ए शख्सी की दावत क्यों दे रहे हैं, हज़रत ए उमर ने भी चार ही का इंतिखाब किया और उम्मत ने भी चार ही को चुना, और तक़लीद जब खेर उल कुरून में शिर्क नहीं थी, तो इस ज़माना ए पुर फितन में क्यों शिर्क हो गयी?

Scanned by CamScanner

हज़रत ए उमर रदियल्लाहो ताला अनह ने आम तौर पर ये हिदायत जारी फ़रमाई के तफ़सीर, फराईज़, और फिक् के मुआमले में इन जय्यिद ओलमा से रुजू करें, इनसे दीन को समझें। हालांकि ख़िताब सहाबा की जमात से था, जब सहाबा को बगैर तक़लीद का सहारा न था तो आम लोग किस कतार में शुमार है?

और एक बात ये भी के हज़रत ए उमर का ये क़ोल दोनों सूरतों में शुमार है, की कुछ लोग मुज तहीद सहाबा से दलाईल भी सीखें...दूसरा ये की बकया लोग मुजतहिद सहाबा से सिर्फ मसाईल पूछें और उनकी बातों पर बिला तलब ए दलील अमल करें....

तक़लीद और किसी चीज़ का नाम है?

ज़माना ए सहाबा में लोग सिर्फ बड़े सहाबा के अक़वाल ही की तक़लीद नहीं करते थे बल्कि उनके अफाल(काम) की भी तक़लीद करते थे,

1- एक मर्तबा हज़रत ए उमर फारूक रदियल्लाहो ताला अन्हो ने हज़रत ए अब्दुल रहमान बिन ओफ़ रदियल्लाहो अन्हो को ख़ास किस्म के मोज़े पहने देखा तो फ़रमाया:

तर्ज़ुमाँ:- में तूम्हें कसम देता हूँ की इसे उतार दो,मूझे डर है

Scanned by CamScanner

की लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी इक्तिदा करेंगें।(अल इस्तियाब इब्न ए अब्दुल बर तहतुल अस्बात, जिल्द 2, सफा 315, वला असा बह हाफिज इब्न ए हजर,जिल्द 2, सफा 361, व अल्लामा मोक़ई इब्न ए क़य्यूम, जिल्द 2, सफा 171)

वो सहाबा जो फ़हम क़ुरआन व हदीस और इल्म व फिक् में खुसूसी मक़ाम रखते थे उनके न सिर्फ अक़वाल की नहीं बल्कि अफाल की भी तक़लीद की जाती थी। सिर्फ इतनी सी बात की फलां ख़ास किस्म का मोज़ा अब्दुल रहमान बिन ओफ़ ने इस्तेमाल फ़रमाया है, बस दीगर लोग भी उनकी तक़लीद में उस किस्म के मोज़े इस्तमाल करना शुरू कर देंगे और क़ुरआन व हदीस से दलील मालूम करने की ज़हमत भी न करेंगे। बस इसी लिए हज़रत ए उमर ने उन्हें कसम दे कर मना फ़रमाया।

इसी लिए ये हज़रात खुद भी मोहतात रहते थे और दूसरों को भी मोहतात रहने की ताकीद फरमाते थे।

2) अमीर उल मोमिनीन हज़रत ए फारूक ए आज़म रदियल्लाहो अन्हो ने अपनी दौर ए खिलाफत में हज़रत ए अम्मार बिन यासिर और हज़रत ए अब्दुल्लाह बिन ओफ़

Scanned by CamScanner

को कूफा भेजा और अहले कूफा के नाम एक खत लिखा...

तर्जुमाँ:- में तुम्हारे पास अम्मार बिन यासिर को अमीर और अब्दुल्लाह बिन मसूद को मुअल्लिम और वज़ीर बना कर भेज रहा हूँ, ये दोनों रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के नजबअ सहाबियों में से हैं और अहले बद्र में से हैं पस तुम इनकी इक्तिदा करो और इनकी बात सुनो...(अल में अ राज उल साबिक़)

क्या हज़रत ए उमर फारूक रदियल्लाहो अन्हो के इस अमल से तक़लीद और ख़ुसूसन तक़लीद ए शकसी का रोशन सबूत नहीं मिल रहा है....

आपका इन दो सहाबा को अहले कूफा पर मुसल्लत करना, और तमाम अहले कूफा को तकीदन इन्ही दो सहाबियों की इत्तिबा तक़लीद ए शकसी का खुला सबूत नहीं है?

कंज़ुल ईमान में तबकात इब्न ए साद के हवाले से ये रिवायत मौजूद है:

तर्जुमाँ:- हज़रत ए इमाम हसन रदियल्लाहो अन्हो से किसी ने पुछा: क्या आप मस्जिद का पानी पीते हैं हालांकि ये तो सदका है?

Scanned by CamScanner

हज़रत ए अबु बकर सिद्दीक़ व हज़रत ए उमर रदियल्लाहो ताला अलैहि अजमाइन ने उम्मे साद की सबील से पानी पिया, तो (अगर मेने पिया तो) इसमें क्या हुवा? (कंज़ुल ईमान किताब उल ज़कात, फ़स्ल फि मुसर्रिफ़, जिल्द 3 साफ 318)

देखिये यहां पर इमाम हसन रदियल्लाहो ताला अन्हो ने हज़रत ए सिद्दीक़ और हज़रत ए फारूक रदियल्लाहो ताला अलैहि अजमाइन के अमल के सिवा कोई दलील पेश नहीं की, गोया इस मुआमले में उन्होंने हज़रात ए शैखेन की तक़लीद फ़रमाई।

सहाबी ए रसूल हज़रत ए अबुमूसा अशरी रदियल्लाहो अन्हो से कुछ लोगों ने एक मसला पूछा, आपने बता तो दिया लेकिन साथ में ये क़ैद भी लगाई की अब्दुल्लाह बिन मसऊद से पूछ लेना। चुनांचे वो लोग हज़रत ए अब्दुल्लाह बिन मसऊद राादियाल्लाहो अन्हो के पास गए और मसला पूछा और उस पर हज़रत ए अबुमूसा अशरी रदियल्लाहो अन्हो की राए भी बताई हज़रत ए अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहो अन्हो ने इस पर फतवा दिया जो हजरत ए अबु मूसा अशरी के फतवे के खिलाफ था।

Scanned by CamScanner

लोगों ने आकर हज़रत ए अबु मूसा अशरी रदियल्लाहो अन्हो को हज़रत ए अब्दुल्लाह बिन मसऊद रादियाल्लाहो अन्हो का जवाब सुनाया जो उनके जवाब के ख़िलाफ था, इस पर हज़रत ए अबु मूसा अशरी रदियल्लाहो अन्हो ने कहा, जब तक तुम्हारे दरमियान ये समंदर जैसे इल्म वाले तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, तब तक मुझसे कोई मसअला मत पुछा करो। (सही उल बुखारी, किताब उल फराईज़, जिल्द 2, सफा 997)

हज़रत ए इब्न ए मसऊद और हज़रत ए अबु मूसा अशरी रदियल्लाहो ताला अलैहि अजमाइन का ये वाकिया खिलाफत ए उस्मानिया में पेश आया, कूफा में इब्न ए मसऊद से बड़ा कोई आलिम नहीं था, हज़रत ए अबु मूसा तमाम अहले कूफा को हज़रत ए अब्दुल्लाह बिन मसऊद की तक़लीद ए शखसी का हुक्म दे रहे हैं।

सहाबा इकराम में तक़लीद ए मुतलक़ और तक़लीद ए शखसी दोनों का रिवाज था और चौथी सदी तक यही मामूल रहा। (हुज्जतुल ल्लाह अल बालिग. जिल्द 1, सफा 152, शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि)

मगर चौथी सदी हिजरी के बाद उम्मत पर तक़लीद ए

Scanned by CamScanner

शखसी ही वाजिब हो वाजिब की गई। अब तक़लीद मुतलक़ पर अमल जाएज़ नहीं, जिसका ब्यान इंशा अल्लाह तफ़सील से आगे आ रहा है।

इज्तिहाद व कयास तक़लीद ए शख्सी के वाजिब होने पर ओलमाए इकराम माज़ बिन जबल रदियल्लाहो ताला अन्हो की हदीस से इस्तिदलाल फरमाते हैं।

कुछ लोग इस हदीस पर ज़बान ए तान दराज़ करते हुवे नज़र आते हैं, हालांकि गैर मुक़ल्लिदों के पेशवा नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली हज़रत माज़ बिन जबल की हदीस ए मुबारक़ा को मशहूर हदीस कहते है। (अल रूज़ अतुल नदिह, जिल्द 1, सफा 246)

हदीस ए मशहूर क्या है और इसका हुक्म क्या है जानिए इल्म ए हदीस का उसूल:

उसूल ए इल्म ए हदीस:

हदीस ए मशहूर से इत्मीनान देने वाला इल्म हासिल होता है, और इससे साबित होने वाले हुक्म पर अमल वाजिब होता है। (मआरिफ़ ए इल्म ए हदीस, हिस्सा 2, सफा 102)

Scanned by CamScanner

अब आईय्ये हज़रत ए माज़ बिन जबल की मशहूर हदीस:

जामे तिर्मिज़ी, सुनन ए इब्न ए दूऊद शरीफ में हज़रत ए माज़ बिन जबल रादियाल्लाहो अन्हो से एक हदीस मनकूल है:

तर्जुमाँ:- हज़रत ए माज़ बिन जबल रदियल्लाहो ताला अन्हु के एक शामी शागिर्द से रिवायत है, की जब रसूलुल्लाह सलल्लाहो ताला अलैहि व सल्लम ने इन्हें जब यमन की तरफ भेजने का इरादा किया तो फ़रमाया, ए माज़! जब कोई मामला तेरे सामने आएगा तो फैसला कैसे करेगा?

अर्ज़ की: हुज़ूर अल्लाह की किताब से फैसला करूँगा। फ़रमाया अगर वहां न हो तो, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह आपकी सुन्नत से फैसला करूँगा। फ़रमाया अगर वो फैसला किताब व सुन्नत दोनों में न हो तो? अर्ज़ की उस वक़्त अपनी राये से इज्तिहाद व इस्तिनबात करूँगा, और (हक़ तक पहुँचने में) कोई कोताही नहीं करूँगा।

इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने (ख़ुशी से) हज़रत ए माज़ के सीने पर अपना दस्त ए मुबारक मारा, और फरमाया

Scanned by CamScanner

शुक्र हे अल्लाह का जिसने अपने रसूल के क़ासिद को ये तौफ़ीक़ बख्शी, जिस पर रसूल इससे राज़ी है। (सुनन ए इब्न ए दाऊद, किताब उल अक़्ज़ीयः, बाब इज्तिहाद उल राए फिल क़ज़ा, हदीस नं 3592, दारुल फज्र क़ाहिरा)

सुबहान अल्लाहिल अज़ीम

ये वाकिया तक़लीद व इज्तिहाद के मसले में एक ऐसी शमा ए हिदायत है, इस पर जितना गौर किया जाए इस मसले की गुथी उतनी सुलझती जाती है।

यहां इस वाकिये के सिर्फ एक पहलु पर तवज्जो चाहते हैं, वो ये के हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपने जलीलो क़दर सहाबा में से सिर्फ हज़रत ए माज़ बिन जबल रादियाल्लाहो अन्हो को क़ाज़ी व मुअल्लिम व मुजतहिद बना कर भेजा, और तमाम अहले यमन पर लाज़िम फ़रमाया की वो इनकी तक़लीद करें।

इसका मतलब इसके सिवा और क्या होगा की हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अहले यमन पर तक़लीद ए शख्सि को वाजिब फ़रमाया।

कोई अक़्ल का अंधा गैर मुक़ल्लिद इस हदीस की सेहत पर कलाम करना चाहेगा तो पहले जानले के उनके इमाम

Scanned by CamScanner

व पेशवा जिनकी अंधी तक़लीद गैर मुक़ल्लिदीन करते हैं यानी इब्न ए कय्युम हनबलि ने इस हदीस के बारे में लिखा है:

ये हदीस उम्मत की तलक़ी बा क़बूल की वजे से क़ाबिल ए इस्तिदलाल है। (ए अलामुल कईन, जिल्द 1, सफा 176)

हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जब माज़ बिन जबल रदियल्लाहो अन्हो यमन तशरीफ़ लाए तो दौरान ए क़याम जो आपने अपने इज्तिहाद और कयास से जो फैसले फरमाए और लोगों ने आपकी तक़लीद ए शकसी की उसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, चन्द मुलाहिज़ा फरमाएं:

मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहो अन्हो में रिवायत है:

तर्जुमाँ:- हज़रत ए माज़ रदियल्लाहो अन्हो जब यमन आये तो कबीला खोलान की एक औरत आपके पास आई और सलाम के बाद कहने लगी: ए शख्स तुम्हें किसने भेज है?

हज़रत ए माज़ बिन जबल रदियल्लाहो अन्हो ने कहा: मुझे

Scanned by CamScanner

रसूलुल्लाह ने भेजा है।
औरत ने कहा आपको अल्लाह के रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने भेजा है तो क्या आप मुझे (अहकाम ए इस्लाम)नहीं बताएंगे?
हज़रत ए माज़ ने कहा: जो पूछना हे पूछो।
(अल मजमूआ अल्ज़वाईद, जिल्द 4, सफा 308)
इस हदीस ए मुबारक से ये मालूम हुवा की हज़रत ए माज़ को सिर्फ कूफा का गवर्नर बना कर नहीं भेजा गया था बल्कि ये मनसब भी आपको सौंपा गया था के आप लोगो को अहकाम ए दीन सिखाएं और लोग सीखें.....
चुनांचे उसी हैसियत का वास्ता देकर उस औरत ने चन्द सवाल पूछे और आपने भी उसी हैसियत से उसके जवाबात भी इनायत फरमाए।
हज़रत ऐ माज़ बिन जबल वो खुशनसीब सहाबी हैब जिनके बारे में रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया:
اعلمهم بالحلال والحرام
जमात ए सहाबा में हलाल व हराम के (पहचान के) सबसे बडे आलिम माज़ हैं।

Scanned by CamScanner

एक और हदीस में हुज़ूर ए पाक सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

إنه يحشريوم القيامة بينيدي العلماء نبزة (مسنداحمد)

माज़ क़यामत के दिन इस हाल में उठेगें, की ये ओलमा(की क़यादत करते हुवे) से इतने आगे होंगें जितनी आगे तक एक तीर जाता है। (अल फतहुल रबानी, जिल्द 21, सफा 352)

हज़रत ए माज़ मुफ़्ती व क़ाज़ी की हैसियत से यमन तशरीफ़ लाये थे, और आपने जो फैसला फ़रमाया, उसे तक़लीदन क़ुबूल किया गया दलील का मुतालबा नहीं किया गया।

सही बुखारी की रिवायत है,

तर्जुमाँ:-हज़रत ए असूद बिन यज़ीद कहते हैं, हज़रत ए माज़ जब यमन तशरीफ़ लाये तो हमारे हाकिम भी थे और उस्ताद भी। हमने उनसे एक मसला पूछा के एक शख्स ने वफ़ात के बाद अपने पीछे बहन और बेटी छोड़ी (तो मीरास में उनको क्या मिलेगा)? हज़रत ने बहन को आधी और बेटी को आधी मीरास दी। (सही उल बूखारी, किताब

Scanned by CamScanner

उल फराईज़, बाब मिरासुल बनात जिल्द 2, सफा 997)

हज़रत ए माज़ ने एक मुफ़्ती की हैसियत से फतवा दिया। अगरचे आपने किताब व सुन्नत की रौशनी में दिया, लेकिन अपने फतवे में इन दलील का ज़िक्र नहीं किया, और वहां के लोगों ने महज़ तक़लीदन आपके फतवे को क़ुबूल किया।

हज़रत ए माज़ का एक और फतवा मुलाहिज़ा कीजिये, जहाँ आपने इज्तिहाद व कयास से साइल का जवाब दिया।

हज़रत ए अबु अलसौऊद कहते हैं हज़रत ए माज़ यमन में थे, लोग उनके पास ये मसला लेकर आये के एक यहूद मर गया और पीछे अपने एक मुसलमान भाई छोड़ गया, क्या उसका मुसलमान भाई उसका वारिस होगा? हज़रत ए माज़ रदियल्लाहो अन्हो ने फ़रमाया मेने रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम को फरमाते सुना है की इस्लाम ज़्यादती करता है कमी नहीं, लिहाज़ा आपने यहूदी की मीरास मुस्लिम भाई को दिलवाई।(अल मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि, जिल्द 5, सफा 236)

मुलाहिज़ा फरमाएं की हज़रत ए माज़ ने एक ईस हदीस

Scanned by CamScanner

से इस्तदलाल किया जिसका विरासत के मसले से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने इस हदीस से कयास किया और अहले यमन ने क़ुबूल किया।

मालूम हुवा की जब सराहत से मसला क़ुरआन व हदीस में मज़कूर न हो तो, मुजतहिद कयास से काम लें, और इसके कयास पर अमल ज़रूरी है यही है तक़लीद, जिसकी बा कसरत मिसालें हमने बाब नं 4 में पेश कि।

Scanned by CamScanner

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم.

बाब 5

तक़लीद ए शख्सि

बाब 1 में हक़ीक़त ए तक़लीद, 2-3 में क़ुरआन व हदीस में किस क़दर ताकीद, तक़लीद के हवाले से आई है, बाब 4 में सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाहे ताला अजमाइन के मुबारक दौर में भी तक़लीद का मामूल था। ये जान लेने के बाद अब ये जानिए की तक़लीद ए शकसी ही ज़रूरी क्यों?

अहद ए सहाबा में तक़लीद ए शकसी और तक़लीद ए मुतलक दोनों किस्म की तक़लीद पायी जाती थी।

मुतलक़ ये की जिससे चाहा मसला पुछा, जिसके क़ोल पर चाहा अमल किया.....

और शख्सि ये के तमाम दीनी मसाईल(नमाज़, रोज़ा,हज्ज, ज़कात, निकाह, तलाक़, इद्दत वगैराह के अहकाम व मसाईल) में सिर्फ एक ही मुजतहिद की पैरवी करना, उसी के मज़हब के मुताबिक़ अमल करना।

गैर मुक़ल्लिदीन जो अवाम को ये कहकर धोका देते हैं:

Scanned by CamScanner

कों जनाब अव्वल तो तक़लीद शिर्क है और आपके ओलमा जो क़ुरआन व हदीस व सहाबा के अमल से तक़लीद साबित करते हैं वो मुतलक है शकसी नहीं, सहाबा कहाँ हनफ़ी, शाफ़ई, मालकी, हम्बली थे?

और आप लोग तो तक़लीद ए शकसी करते हैं(हनफ़ी इमाम ए अबु हनीफ, शाफ़ई इमाम शाफ़ई, मालकी इमाम मालिक, हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल की। क्या सहाबा हनफ़ी, शाफई, मालकी, हम्बली थे?)

आप लोग सहाबा की तक़लीद क्यों नहीं करते, इमामों की क्यों करते हैं जबकि ये लोग न नबी के ज़माने में थे न, सहाबा के दौर में....

हम भी चाहते हैं की इस बात का पूरा खुलासा हो की तीसरी सदी हिजरी तक चार इमाम की तक़लीद क्यों वाजिब हुई? और चार ही क्यों पांच क्यों नहीं? और सुबह क़यामत तक यही चार इमाम क्यों?

इन चारों में से किसी एक को चुन लेने के बाद बकिया तीन की भी तक़लीद जाएज़ नहीं, बस एक ही का होकर रहना है ऐसा क्यों?

इन तमाम शक़ व शुबहात और ज़हनों में उठने वाले

Scanned by CamScanner

वस वसात के तसल्ली बख्श जवाबात इंशा अल्लाह अज़्०जल इस बाब में दिए जाएंगे।

वो क्या इन्तेज़ामि मस्लेहतें व ज़रूरतें थीं के तमाम अकाबिरे ओलमा व ओलिया ने इस उम्मत को इन चार मज़ाहिब की तक़लीदी तलकीन की....

मशहूर मोहद्दिस् व मुफ़स्सिर हज़रत क़ाज़ी सना उल्लाह पानी पती रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं:

فإن أهل السنة قدافترق بعدالقرون الثلثة اوالاربعة على أربعة مزاهب، ولم يبق مزهب فى فروع المسإل سوي بهذاه الاربعة فقد انعقد الإجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم.

तर्जुमाँ:- तीसरी या चौथी सदी हिजरी के बाद फ़ुई मसाईल में अहले सुन्नत वल जमाअत के चार ही मज़ाहिब बाकी रहे, कोई पांचवा मज़हब बाकि नहीं रहा, पस इस बात पर इज्मा हो गया के जो क़ोल इन इन चारों के खिलाफ है वो बातिल है। (तफ़सीर ए मज़हरी, जिल्द 2, सफा 68, मतबुआ दार अहया अलत्रास, अल अरबी)

हज़रत ए औरंगज़ेब आलमगिर रहमतुल्लाह अलैहि के उस्ताद और हिन्दूस्तान के माए नाज़ आलिम मुल्ला

Scanned by CamScanner

अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं:
قد وقع التجماع أن الاتّباع إنما يجور للأربع...الخ
तर्जुमाँ:- यानी इस पर इज्मा मुअक़ीद हो चूका है, की तक़लीद सिर्फ चार इमाम ही की जाएज़ है।

(तफसीरात ए अहमदिया)

गैर मुक़ल्लिदीन हमारे नवजवानों से ये सवाल बहुत पूछते हैं की आप अबु हनीफा की तक़लीद करते हैं, फिर वो किसकी तक़लीद करते थे?

इमाम ए आज़म अबु हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुजतहिद थे और मुजतहिद को तक़लीद हराम है, बल्कि तक़लीद गैर मुजतहिद करता हैं...

फिर कहते हैं आप तक़लीद अबु हनीफा की करते हैं, सहाबा किसकी तक़लीद करते थे? हम कहते हैं आप हदीस बुखारी मुस्लिम से क्यों लेते हो, सहाबा किस्से हदीस लेते थे? बुखारी मुस्लिम से या अल्लाह के रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम से?

सहाबा ए इकराम व ताबेईन ए इज़ाम के दौर में दयानत आम थी, हुज़ूर पाक सलल्लाहो अलैहि व सल्लम

Scanned by CamScanner

तक़लीद ए शक्सी और तक़लीद ए मुतलक दोनों पर अमल होता रहा। लेकिन बाद में जब ये ज़बरदस्त खतरा सामने आया की तक़लीद ए मुतलक के ज़रिये लोग सिर्फ आसानियों पर चलेंगें तो ओलमा ने तक़लीद ए मुतलक का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया,और तक़लीद ए मुतलक को तक़्लीद ए शख्सि के साथ ख़ास कर दिया,और सच तो यही है की अगर ऐसा न किया जाता तो जो सूरत ए हाल आज मुसलमानो की होती इस का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।

इस मसले को तफ़सील से समझने के लिए इमाम उल हिन्द शाह वली उल्लाह मोहद्दिस् दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि की मशहूर ज़माना किताब अल इन्साफ फि बयान अस्बाबुल इख़्तिलाफ़ चन्द इक़्तेबासात नक़ल करते हैं, जो इस मसले को ज़हनों में अच्छि तरह उतारने में मददगार होंगें।

शाह साहब फरमाते है:

तर्जुमाँ:- याद रखें पहली व दूसरी सदी हिजरी में तमाम लोग किसी एक ख़ास मज़हब (हनफ़ी, शाफ़ई, मालकी, हन्बली) की तक़लीद पर जमा नहीं थे...

Scanned by CamScanner

दूसरी सदी के बाद इनमे एक मुजतहिद को ख़ास करके उसी के मज़हब पर अमल का रिवाज शुरू हुवा। यहां तक के उस वक़्त ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो किसी एक मुजतहिद पर एत्माद न करते हो और उस ज़माने में यही चीज़ वाजिब थी (और तब से अब तक)

(अल इन्साफ फि ब्यान असबाब अल इख़्तिलाफ़, बाब 4, सफा 68,70, मतबुआ दारुल नफास)मुमकिन हे कुछ लोग इस पर कहे की जनाब ये कैसे मुमकिन है के एक चीज़ (तक़लीद ए शख्सी) जो सहाबा के ज़माने में तो ज़रूरी नहीं थी, जो खेर(भलाई) का ज़माना था, फिर बाद में ज़रूरी हो गयी?

इसका जवाब भी हुज़ूर शाह साहब किबला से सुने, क्या खूब फरमाते हैं:

तर्जुमाँ:- इस एतराज़ के जवाब में मेरी गुज़ारिश ये हे के असल में तो वाजिब ये है की उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हों जो शरियत में फुरुई मसाईल को तफसीली दलाईल के साथ जानते हो, (ताकि लोग उनसे सीख कर अमल करें) इस बात (के एक जमात ऐसी हो) पर अहले हक़ का इज्मा है, लेकिन वाजिब का मुक़दमा भी वाजिब ही होता है,

Scanned by CamScanner

लिहाज़ा अगर किसी वाजिब को अदा करने के कई तरीके हों तो इनमे से किसी भी तरीके को अपनाने से वाजिब अदा होता है, लेकिन अगर किसी वाजिब को अदा करने का एक ही रास्ता हो तो उसी रास्ते को अपनाना वाजिब है। मसलन हमारे अस्लाफ (सहाबा) हदीसों को नहीं लिखते थे, चूँकि ज़बानी याद पर ही काम चलता था, लेकिन हमारे ज़माने में हदीसों का लिखना वाजिब हो गया....

हमारे अस्लाफ सिर्फ नहू और लुगत के उलूम में मशगूल नहीं होते थे क्योंकि उनकी मादरी ज़बान अरबी थी, वह उन फनून के मुहताज नहीं थे। लेकिन हमारे ज़माने में अरबी सीखना वाजिब है (ओलमा को) इस लिए के हम इब्तिदाई अहले अरब से बहुत दूर हैं, और इसकी और भी बहुत सी मिसाले हैं (ज़माने के बदलने से एक चीज़ जो पहले ज़रूरी नहीं थी, लेकिन बाद में हो गई) इसी पर किसी एक ईन (चार में से कोई एक) की तक़लीद ए शक्सी करनी चाहिय्ये के वो पहले वाजिब न थी, अब है, (अल इन्साफ फि ब्यान असबाब अल इख़्तिलाफ़, बाब 4, सफा 59)

में समझता हूँ शाह साहब किबला के ब्यान की मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं, क्योंके जो खुद वाज़ेह हो उसे

Scanned by CamScanner

और क्या वाज़ेह किया जाए। अल्लाह पाक की रहमत हो शाह साहब पर और उनके सदके हमारी मगफिरत हो। आमीन या रब्बल आलामीन बिजहिल नबिय्यि सलल्लाहो अलैहि व सल्लम।

बाज़ ज़हनों में ये बात आ सकती है की किसी एक मुजतहिद की पैरवी करनी है तो ये ही चार इमाम क्यों?

इस उम्मत में तो बड़े बड़े सहाबा, ताबेईन, आईम्मए हदीस भी गुज़रे हैं, इन में से किसी एक की तक़लीद क्यों न की जाए?

मसलन हज़रत ए अली, हज़रत माज़ बिन जबल, हज़रत ए इब्न ए मसऊद, सुफियान सूरी, इमाम बुखारी रिद्वानुल्लाहे ताला अलैहिम अजमाइन वगैरह। इन हज़रात की तक़लीद नहीं करने की जो मजबूरी है वो ये हे के इनके फ़िक़्ही मज़ाहिब किताबी शक्ल में महफूज़ नहीं रह सके।

अगर इनके मज़ाहिब मुदव्वन होते तो आज इमाम चार से ज़ायेद होते और इनकी भी तक़लीद का रिवाज होता। लेकिन न तो इन हज़रात की किताबें हैं, न इनके मज़ाहिब के ओलमा हैं। इसलिए इनकी तक़लीद की अब कोई सूरत

Scanned by CamScanner

नहीं...

अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी, अल्लामा शम्स उद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि से नक़ल फरमाते हैं:

जो शक्स मुजतहिद न हो उस पर वाजिब है की चार में से किसी एक मज़हब की तक़लीद करे।

बकौल इमामुल हरमैन सहाबा व ताबेईन की तक़लीद जाएज़ नहीं, क्योंकि इनके मज़ाहिब मुदव्वन नहीं हुवे, लिहाज़ा क़ज़ा व फतवा में सिर्फ चार ही इमाम की तक़लीद जाएज़ है किसी और की नहीं, क्योंकि ये चार मज़ाहिब (हनफ़ी, शाफ़ई, मालकी, हन्बली) मुदव्वन हो कर फ़ैल चुके, इनके मुताल्लिक़ अलफ़ाज़ की क़ैद और आम अलफ़ाज़ की तख्सीसात वाज़ेह हो चुकी (यानी जो इन्होंने फरमाया सब महफ़ूज़ है) बरख़िलाफ़ दुसरे मज़ाहिब के के इनके तबईन खत्म हो चुके, और इमाम राज़ी ने इस बात पर मुहक्केकीन का इज्मा नक़ल किया है के अवाम को मशाहीर सहाबा और दुसरे अकाबिर की तक़लीद से रोकना चाहिय्ये....

(फैज़ुल क़दीर,शराह् अल जामे अल सगीर, इख्तिलाफी उम्मती रहमत. जिल्द 1. सफा 210)

Scanned by CamScanner

अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस बात की मजीद वज़ाहत इन अलफ़ाज़ में करते हैं....

सहाबा इकराम और कुरूने ओला के अकाबिर अगरचे दर्जे के एतबार से फ़िक़ह व मुजतहेदीन से बड़े बुलंद व बरतर हैं, लेकिन उन्हें इतना मौका नहीं मिला के वो अपने इल्म व उसके उसूल व फरुअ को मुदव्वन (जमअ करना/ तरतीब देना) और मन्ज़बत(महफूज़ करना) कर सकते... इस लिए किसी शक्स के लिए इनके फ़िक़्ही मज़हब की तक़लीद जाएज़ नहीं, क्यों की इनमे से किसी का मज़हब मुदव्वन नहीं, न वो लिखी हुई शक्ल में महफूज़ है। दर असल तद्वीन ए फ़िक़ह का काम बाद के आइम्मा ने किया, जो खुद सहाबा व ताबेईन के मज़ाहिब के खुशा चैन थे।

(शरह अलमज़हब, लिलनोवि, फसल फि आदाब अल मुस्तफति, जिल्द:1, सफा:91)

इससे बढ़ कर हम और क्या समझाए जो अल्लामा अब्दुल रऊफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने समझाया है। सहाबा इकराम व ताबाईन के ज़माने में चूँकि खोफ खुदा और फ़िक्र ए आख़िरत ग़ालिब थी, इस लिए उस दौर में

Scanned by CamScanner

तक़लीद ए मुतलक से ये डर नहीं था के लोग अपनी खुवाहिशो के तालिब हो कर अपनी आसानी के लिए आज इस मुजतहिद और कल उस मुजतहिद की तक़लीद करेंगे, इस लिए उस दौर में तक़लीद ए मुतलक के लिए बे रोक टोक अमल होता रहा।

लेकिन बाद में जब फ़ुक़हा ने देखा की दयानत का म्यार दिन ब दिन घटता जा रहा है, और लोगों पर नफसानियत ग़ालिब आती जा रही है तो उस वक़्त उन्होंने शरई मस्लेहतो से ये फतवा दिया ले अब लोगों को तक़लीद ए शख्सि पर ही अमल करना चाहिये।इस सिलसिले में शारेह मुस्लिम इमाम नोववि रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खूबसूरत तहरीर पढ़ें जो माफ़ी अल ज़मीर के इज़हार के लिए सब से बेहतरीन है, तक़लीद ए शख्सी के वजूब पर लिखते हैं:

तर्जुमाँ:- इस तक़लीद ए शख्सि की ज़रूरी होने की वजह ये भी हे के अगर इस बात की इजाज़त हो के इंसान जिस फ़िक़्ही मज़हब की चाहे तक़लीद करे तो नतीजा ये होगा के लोग हर मज़हब में आसानीयां ढूंढ ढूंढ कर अपनी खुवाहीशात ए नफसानि पर अमल करेंगें.... हलाल व

Scanned by CamScanner

हराम, वाजिब व जाएज़ का इख़्तियार खुद लोगों को मिल जायेगा, बिल आखिर शरई अहकाम की पाबंदिया उठ जाएँगी।

अलबत्ता सहाब इकराम व ताबाईन के ज़माने में तक़लीद ए शख्सि इसलिए मुमकिन नहीं थी की फ़िक़्ही मज़ाहिब मुक़म्मल तौर से मुदव्वन और मारूफ़ व मशहूर नहीं थे(लेकिन अब चार इमामों की फिक़्ह मुदव्वन हो कर सारे आलम में फ़ैल गयी) अब हर शख्स पर वाजिब है की वो एक को (चार में से) चुने और ता उम्र उसकी तक़लीद करे। (मजमुआ शरह अलमहज़ब, मुक़दमा फसल फि आदाब अल मुस्तफति, जिल्द:1, सफा:91, मसला नं 3, मतबुआ अल आसमतः, अल क़ाहेरा मिस्र)

अल्लामा नोववि रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जो फ़रमाया के अगर इस बात की छूट दी जाती के जिस का चाहे क़ोल इख़्तियार करे तो नतीजा ये होगा के हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो जायेगी। इस की वज़ाहत के लिए हम मजीद बता दें के ज़मानए सहाबा से लेकर अब तक हज़ारों फ़ुक़हा व मुजतहेदीन पैदा हुवे हैं, और अहले इल्म जानते हैं के हर फ़ुक़हा के मज़हब में कुछ न कुछ ऐसी

Scanned by CamScanner

आसानी है जो दूसरे फ़ुक़हा के यहां नहीं, इसके अलावा ये हज़रात मुजतहिदीन गलतियों से मासूम नहीं थे बल्कि हर मुजतहिद के यहाँ एक दो ऐसी चीजें मिलती हैं जो जम्हूर उम्मत के खिलाफ है... अब तक़लीद मुतलक़ का दरवाज़ा खोल दिया जाये तो लोग हर मुजतहिद का आसान मसअला तलाश कर उन की तक़लीद शुरु करेंगें। फिर नतीजा वो होगा जो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया की शराई अहकाम की पाबंदियां उठ जाएँगी।

इसकी चन्द मिसालें देखें:

इमाम शाफ़ई के मज़हब में शतरंज खेलना जाएज़ है...

अब्दुल्लाह बिन जाफर की तरफ ग़ना व मज़ामीर के जवाज़ का क़ोल मंसूब है....

हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद बे साया तस्वीर को जाएज़ कहते थे......

इमाम आमश के नज़दील रोज़ा की इब्तिदा तुलु ए आफताब से होती है....

हज़रत ए अता बिन अबी रबाह के नज़दीक अगर ईद जुमा को पढ़े तो नमाज़ ए ईद और जुमा दोनों साकित(खत्म) है...

Scanned by CamScanner

दाऊद ज़ाहिरी और इब्न ए हज़म ज़ाहिरी के मज़हब में जिस औरत से निकाह करना हुवा उसे बरहना(नंगी) देखना जाएज़ है...

इब्न ए शहनून मिस्री के नज़दीक वती फिल दबर(औरत के पीछे के मक़ाम से सोहबत करना) जयिज़ है....

अब सोचिये की अगर तक़लीद मुतलक़ का दरवाज़ा खोल दिया जाये तो क्या क़यामत बरपा होगी?

लोग हर मज़हब से आसनियां तलाश कर एक ऐसा मज़हब तैयार करेंगें जिसका बानी नफ़्स व शैतान होगा और दीन एक खिलौना बन जायेगा...

यही वो अज़ीम हिक़मत थी के फ़ुक़हा ने तक़लीद ए मुतलक को तक़लीद ए शख्सि के साथ कर दिया...

बाद के फ़ुक़हा ने जो तक़लीद ए शख्सि के ज़रिये जिस अज़ीम फ़ितने का किलाअ कमाअ किया, उसकी तरफ इशारा करते हुए इमाम अलहिंद हुज़ूर शाह वली उल्लाह मोहद्दिस् दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं:

हासिल ये हे के मज़हब की पाबन्दी एक राज़ है, जिसे अल्लाह ताला ने ओलमा के दिलो में डाला और शऊरी और गैर शऊरी तौर से इन को इस पर मुतफ़्फ़िक़

Scanned by CamScanner

फरमाया।

(अल इन्साफ फिल बयान असबाब उल इख़्तिलाफ़, सफा 71)

एक और मक़ाम पर हुज़ूर शाह साहब किबला फरमाते हैं:

तर्जुमाँ:- बिला शुबहा ये चार मज़ाहिब (हनफ़ी, शाफ़ई, मालकी, हंबलि) जो मुदव्वन हो कर तहरीरी शक्ल में मौजूद है, इनकी तक़लीद जाएज़ होने पर तमाम उम्मत का इज्मा है, और इसमें जो मस्लेहतें हैं पोशीदा नहीं...जबके इस ज़माने में जब हिम्मतें पास्त हो गई, खुवाहिष परस्ती लोगों में बस गई, और हर एक राए वाला अपनी राए पर इतराता है।

(हुज्जतुल्लाह अल बालिग, जिल्द:1, सफा, 154)

मशहूर मोअर्रिख इब्न खलदून तक़लीद ए शख्सि के रिवाज और असबाब पर रोशनी डालते हुवे लिखते हैं:

और तमाम शहरों में तक़लीदअन आइम्मा (इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम हंबल रदियल्लाहो अन्हो) की तक़लीद के साथ ख़ास हुई, दुसरे आइम्मा के मुक़ल्लिदीन ख़त्म हो गए, और लोगो

Scanned by CamScanner

(ओलमा) ने इन इमामो से इख़्तिलाफ़ का दरवाज़ा बंद किया। इसकी एक वजह तो ये थी की उलूम की इस्तिलाहत पेचीदा होकर फ़ैल गयी थी, और इसकी वजह से इज्तिहाद के मर्तबे तक पहुंचना सख्त मुश्किल हो गया था।और दूसरी वजह थी के इज्तिहाद न अहलों के क़ब्ज़े में न जाए और ऐसे लोग इसे इस्तिमाल न करने लगें जिनकी राए पर भरोसा नहीं किया जा सकता...

(लिहाज़ा ओलमा ने इज्तिहाद ही से आजिज़ी (बेबसी) का एलान कर दिया।

और लोगों को इन चार इमामो की तरफ फैर दिया, और इस बात से भी मना किया की इन चारों की भी बदल बदल कर तक़लीद करें, (कभी इसकी कभी उसकी) ये तरीका दीन में खेल बन जाने का सबब होगा। (मुक़दमा इब्न ए खलदून, सफा:446)

सहाबा व ताबेईन के ज़माने में तो इस बात का कोई खतराः नहीं था के इनकी ज़ात दीन को खिलौना बनाएगी, इसी लिए इनके ज़माने में तक़लीद ए मुतलक़ और तक़लीद ए शख्सि दोनों पर अमल होता रहा, मगर बाद में ऐसे आसार महसूस हुवे तो ओलमा ने ये ठोस क़दम उठाया

Scanned by CamScanner

और उम्मत पर तक़लीद ए शख्सि को वाजिब किया।
गैर मुक़ल्लिदीन नफ़्स तक़लीद ही को शिर्क कहते हैं। इनका कहना है की अल्लाह व रसूल के अलावाह दूसरों की तक़लीद शिर्क है। अगर तक़लीद किसी की करनी ही है तो सहाबा की कीजिये, न के चार इमामो की। अगर सहाबा की तक़लीद नहीं करनी तो चार ही इमाम की तक़लीद क्यों?

गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से इस किस्म के सवालात का जवाब बे कसरत ए दलाईल और ओलमा की तश्रीहात से हम ने दिया है। अब आईय्ये आईम्मए अरबा की तक़लीद के वजूब पर कुछ ऐसे ओलमा के फरामीन पेश करूँ जिन पर इनको बड़ा एतमाद है।

सौदियों के इमाम व मुक़तदा इब्न ए तैमिया और इब्न ए क़य्यूम दोनों हंबलि थे।

मशहूर सऊदी आलिम सालेह अल फ़ोज़ान रक़म तराज़ है:

तर्जुमाँ:- मुहद्दिसीन के बड़े बड़े आइम्मा मज़ाहिब के मानने वाले थे। शैखुल इस्लाम और इब्न ए क़य्युम हंबलि थे, इमाम नववी और इमाम हजर शाफ़ई थे. इमाम ताहवि

Scanned by CamScanner

हनफ़ी थे और हाफ़िज़ इब्न ए अब्दुल बरा मालकी थे। (आओनतल मुस्तफीद शराह् किताब अत्तोहीद, जिल्द 1, सफा 12)

तक़लीद ए शख्सि अगर शिर्क है तो सब के लिए शिर्क होनी चाहिय्ये, इब्न ए तैमिया, और हाफ़िज़ इब्न ए कसीर के लिए वो इस्लाम कैसे होगई?

गैर मुक़ल्लिदीन हिन्दुस्तान में अहल ए हदीस (हदीस वाले) और सऊदी जा कर सल्फि (बुज़ुर्गों वाला) बनते हैं...

क्या ये क्या ये राफ़ज़ियों की तराह तकया (धोका देना) नहीं है, फिर हम आपको छोटा राफ़ज़ी कहे तो इसमें गलत क्या है?

गैर मुक़ल्लिदीन के शैख़ उल इस्लाम इब्न ए तैमिया अपने फतवा में बड़ी सराहत से लिखते हैं:

فمن ترجح عنده تقليد الشافعى لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك، ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعى ونحو دالك.

तर्जुमाँ:-जिसके नज़दीक इमाम शाफ़ई की तक़लीद बेहतर है वो इमाम मालिक को तरजीह देने वाले को बुरा न कहे

Scanned by CamScanner

और न इमाम अहमद बिन हंबल का मुक़ल्लिद इमाम शाफ़ई के मुक़ल्लिद को बुरा कहे। (मजमुआ अल्फतावा, जिल्द:20, सफा:292)

इब्न तैमिया के नज़दीक तो मुक़ल्लिदीन को बुरा कहना गलत है बल्कि जो जिसे बेहतर समझे अपने दीनी मसाईल में उसे अपना पेशवा बनाए... अब एक शहादत और लीजिये। इब्न ए अब्दुल वहाब नजदी को कोन नहीं जानता, वहाबी फिरके का अमली बानी और मुंकिरिन ए तक़लीद का जद्दे आला है वह खुद मुक़ल्लिद था। वह एक जगह अपने मज़हब व मसलक पर तब्सिरा करते हुवे लिखता है:

ونحن أيضاً فى الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل ولا ننكر على من قلداحد ألأ مة الاربعت دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير، الرافضة والزيدية، والامامية ونحوهم،ولا نقرهم ظاهراً على شى من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأ مت الاربعة.

तर्जुमाँ:- हम फ़िक़्ही मसाईल में इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद हैं, और चार इमाम में से किसी की तक़लीद पर

Scanned by CamScanner

तनक़ीद नहीं करते, लेकिन इसके अलावाह दूसरे मसालिक मसलन रवाफ़िज़, ज़ैदी, इमामी,(शिया मसलक) वग़ैरह पर अमल की इजाज़त नहीं देते, बल्कि लोगों को मजबूर करते हैं के चार में किसी एक इमाम की तक़लीद करें।

(الدرر السنية،جلد:1،صفح:277)

इब्न अब्दुल वहाब नजदी के सिलसिले के मशहूर आलिम और साबिक़ मुफ़्ती आज़म साउदी अरब अल शैख़ सालेह मुहम्मद अलसीमीन बड़ी वज़ाहत और सराहत के साथ रक़म तराज़ है:

لا يسوغ لك هزا، لأن فرضك أنت هوالتقليد، واحق من تقلد علماؤك ولو قلدت من كان خارج بلادك ادى ذالك الى الفوضى فى امر ليس عليه دليل شرعى.(لقإات الباب المفتوح، جلد:32، صفح:19)

तर्जुमाँ:- तुम्हारे लिए ये जाएज़ नहीं इसलिए की तुम्हारा फ़र्ज़ तक़लीद है...

और सबसे ज़्यादा हक़ ये हे के तुम अपने इल्म की तक़लीद करो, और तुम अपने इलाके के ओलमा को छोड़

Scanned by CamScanner

कर दूसरों की तक़लीद करोगे तो इंतेशार होगा।

हम तक़लीद को वाजिब क़रार देते हैं तो तुम को हज़्म नहीं हो रहा है। आपके आलिम शेख सालेह तो अवाम पर तक़लीद शख्सि को फ़र्ज़ कर रहे हैं...

आगाज़े किताब में मैनें बताया था के सऊदी वाले सब के सब मुक़ल्लिद हैं जैसे के ऊपर के हवाले से भी इस बात की ताईद हो गई...

विक्टोरियन अहले हदीस कहलाने वाले फितना परवारों की तरफ से इनकार ए तक़लीद का ये फितना हिन्दुस्तान के अंदर इंग्लिश गवर्नमेंट के दौर में पैदा हुवा और इसी के साये में पल कर जवान हुवा।

मुझसे न हो सकेगा बातिल का अहतराम
मेरी ज़बान के वास्ते ताले खरीदलो।

एक ही इमाम की तक़लीद वाजिब होने पर काफी दलीलें पेश की जा चुकी हैं। ओलमा ए मुतक़द्दमीन के अक़वाल और शादात के साथ आपने गैर मुक़ल्लिदीन के मोआत्मद ओलमा की भी इबारतें पढ़ीं...

अब इस बाब नंबर 5 के तमाम(ख़त्म) पर कुछ नसीहतें इमाम उल हिन्द शाह वाली उल्लाह मोहद्दिस् दहलवी

Scanned by CamScanner

अलैहि ने एक मुस्तकिल बाब बांधा है, इस उन्वान से...
باب تأكيد الاخذبهزه المزاهب الاربعت
والتشديد فى تركها والخروج عنها.
यानी तीसरा बाब इन चरों मज़ाहिब को पकड़ने की ताकीद और इन्हें छोड़ने और उनसे बाहर निकालने की सख्त मुमानियत में।

शाह साहब इस बाब का आगाज़ इन अलफ़ाज़ से करते हैं:

तर्जुमाँ:- याद रखें इन चारों मज़ाहिब को इख़्तियार करने में बड़ी अज़ीम मस्लेहत है, और सब के सब छोड़ने में बड़े नुकसानात हैं, हम इस बात को कई वाजह से वाज़ेह करते हैं।

(अक़्दुल जदीद फि अहकाम अल इज्तिहाद वल तक़लीद, साफ:36)

फिर हज़रत ने बड़ी तफ़सील के साथ वो वजहें ब्यान फ़रमाई हैं, तवालित के पेश नज़र सिर्फ वजे का खुलासा पेश किया जा रहा है:

हुज़ूरे पाक सलल्लाहो अलैहि व सल्लम का इरशाद है: बड़े गिरोह (जमात) की पैरवी करो और अब इन चार

Scanned by CamScanner

मज़ाहिब (हनफ़ी, शाफ़ई, मालकी, हंबलि) के सिवा दुसरे हक़ मज़ाहिब (जो दीगर मुजतहेदीन के थे) न बूद (खत्म) हो गए, तो अब यही चार मज़ाहिब की तक़लीद सिवादे आज़म (बड़े गिरोह) की तक़लीद है, और न इन से बाहर जाना न इन की मुखालिफत करना है। (अक़्द अल जय्येद, सफा:39)

हज़रत शाह साहब की वह ज़ात मुक़द्दसा है जिनसे हिन्दुस्तान में इल्म ए हदीस को फरोग मिला, आपके वालिद शाह अब्दुल वाहिद ने बहयात बेदारी में हुज़ूर पाक सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की ज़ियारत की, और ये शरफ शाह साहब को भी मिला जिसका तफसीली ब्यान हज़रत ने अपनी किताब फुयूज़ुल हरमैन में किया, आपके साहब ज़ादे शाह अब्दुल अजीज़ को कोन नहीं जानता जिन्होंने हिन्दुस्तान में शियत की बुनियादें हिला दीं।

गैर मुक़ल्लिदीन जो सल्फी बने फिरते हैं ये किस तराह के सल्फी हैं जो अस्लाफ की भी नहीं मानते। गैर मुक़ल्लिदीन शाह साहब की इक्तिदा का दम भरते हैं क्या उन्हें शाह साहब के ये फरामीन नज़र नहीं आते?

चश्म ए इबरत से पढ़ें और अपनी दीनियत से तोबा करें,

Scanned by CamScanner

उम्मत के स्वादे आज़म से न हटें, नो जवानों को वर्गला कर उन्हें फ़ितने में डाल कर उनकी और अपनी आख़ेरत खराब न करें।

और जो हमारे सुन्नी भाई गैर मुक़ल्लिदीन के झांसे में क़ुरआन और हदीस के नाम पर आ रहे हैं वो लोग खुदारा! अपने ओलमा की किताबें पढ़ें, अपने अस्लाफ के फरामीन को देखें, और ला मज़हबियत (गैर मुक़ल्लिदियत) से रुजू करें और अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर कायम रहें, जिसकी पहचान इस ज़माने में मसलक ए आला हज़रत से होती है, अल्लाह ताला हम सब को ता हयात मसलक ए आला हज़रत पर कायम रखे। अमीन या रब्बल अलामीन बी जह नबियि सलल्लाहो अलैहि व सल्लम।

Scanned by CamScanner

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم.

बाब 6

हक़ीक़त ए इख़्तिलाफ़

इख़्तिलाफ़ में बरकत है, इख़्तिलाफ़ में वुसअत(गुंजाइश) है... आईम्मए अर्बा (चार इमामों) का इख़्तिलाफ़ उम्मत के लिए रहमत और वजए बरकत है।

मगर कुछ लोगों ने अपनी कम अक्लि और हिमाकत से ज़हमत (तकलीफ) समझ लिया है... और भोले भाले सीधे साधे सुन्नियो को ये कह कर वर्गलाते हैंअगर चारों हक़ पर हैं तो इख़्तिलाफ़ क्यों? और अगर इख़्तिलाफ़ है तो चरों हक़ पर कैसे? हक़ पर तो कोई एक ही होगा बाकि तीन बातिल होंगें... (माज़ अल्लाह ए रब्बिल आलमीन)

जनाब ए आला! हक़ हमेशा एक ही नहीं होता, सब हक़ पर है कोई नबी बातिल पर नहीं। अगर आप एक ही को हक़ पर मानें और बाक़ी को बातिल पर तो आपका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं रहा। जितनी आसमानी किताबे नाज़िल हुई सब हक़ हैं। मक्का शरीफ में हिजाज काबा की चरों दीवारो की तरफ मूह करके नमाज़ पढ़ते हैं गैर

Scanned by CamScanner

मुक़ल्लिदीन बताएं कोनसी तरफ वाले की नमाज सहि हुई और कौनसि तीन जानिब की नहीं हुई?

अगर काबा में चरों दीवारो की तरफ नमाज़ पढ़ने वालों की नमाज़ हो जाती है तो चार मज़हब पर चलने पर खलल कैसे हो जाता है?

अब और सुनिए शरई मसला है चार मुसलमान भाई सफर में गए जंगल का रास्ता है और नमाज़ का वक़्त हो गया किसी को किबले का रुख नहीं मालूम शरियत का हुक्म है की अब वो तहरी करे यानि जिधर दिल का झुकाओ हो उधर मुंह करके नमाज़ पढ़े, अब चारो ने अलग अलग सिम्त की तरफ मुह करके नमाज़ पढ़ी और चारो की नमाज़ हो गयी। गैर मुक़ल्लिद भी इस मसले को मानते हैं क्योंकि तहरी का हुक्म हदीस से है... अब हमे गैर मुक़ल्लिदीन बताएं नमाज़ तो एक ही की सही होनी चाहिय्ये चारो की कैसे हुई?

ये हे बरकात ए इख़्तिलाफ़। अब जैसे यहां चारों हक़ पर हैं, वेसे ही चारो इमाम हक़ पर हैं।

जैसे मशहूर आसमानी चारो किताबें,मशहूर चार फ़रिश्ते, चार खोल्फा सब हक़ पर हैं वेसे ही चार इमाम भी हक़ पर

Scanned by CamScanner

हैं।

चार इमामों के बीच हक़ व बातिल का इख़्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि इख़्तिलाफ़ ए इज्तिहाद ये है जिसकी तफ़सील आगे आ रही है...

अल्लाह पाक ने इख़्तिलाफ़ के ज़रिये अपनी क़ुदरत का मुज़ाहिरा फ़रमाया है, इस इख़्तिलाफ़ से अल्लाह पाक की अज़ीम क़ुदरत का इज़हार होता है... दुनिया में ऐसी कोनसी चीज़ है जिसमे इख़्तिलाफ़ नहीं?

लोगों के चेहरों में इख़्तिलाफ़,रंगो में इख़्तिलाफ़,तहज़ीब व तमद्दुन में इख़्तिलाफ़,नस्लो ज़बानों में इख़्तिलाफ़ हत्ता की इंसान की दासों उंगलियो के साइज़ में इख़्तिलाफ़ सोचिये अगर सारी उंगलीलियां एक जैसी होती अंगूठे की साइज़ की और घी छोटी बोटल में होता तो कैसे निकालते?

ग़रज़ ये इख़्तिलाफ़ ही है जिसकी अज़ीम बरकतें इंसान की समझ से बाला तर है। और ऐसा नहीं है की ये इख़्तिलाफ़ सिर्फ दुनियावी मुआमलात में ही है बल्कि अल्लाह पाक ने इस के नमूने दीन में भी रखे हैं...

अंबिया अलैहिस्सलाम की शरियतो में इख़्तिलाफ़ है।

Scanned by CamScanner

हज़रत ए आदम अलैहिस्सलाम की शरियत में बहन भाई का निकाह जाएज़ था, हमारी शरियत में हराम, इख़्तिलाफ़ हुवा के नहीं? फिर भी दोनों हक़ पर हैं।

हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम की शरियत में सनीचर का दिन मुअज़्ज़म (अज़मत वाला) समझा जाता था और ऊंटनी का दूध और गोश्त हराम था, हमारी शरियत में जाएज़ है। गरज़ के अम्बिया की शरियत के अहकाम व क़वानीन में ज़बरदस्त इख़्तिलाफ़ है, मगर सब हक़ पर हैं। सहाबा इकराम जो हुज़ूर ए पाक के सच्चे जानशीन हैं इनमे भी बड़ा इख़्तिलाफ़ था। चारों इमामों ने जिन हदीस की बुनियाद पर बाज़ मसाईल में इख़्तिलाफ़ किया है, दरअसल एसा इख़्तेलाफ सहाबा इकराम से मरवि असारो मरवियात के इख़्तिलाफ़ की वजह से पैदा हुवा।

इस इख़्तिलाफ़ को ज़हमत मत समझीए। ये इख़्तिलाफ़ रहमत है और अल्लाह कि इज़्ज़त व जलाल की क़सम इख़्तिलाफ़ रहमत है, हमारी नहीं बल्कि अम्र ए सनी सैयदना अम्र बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि की सुनिए, क्या फरमाते हैं:

ما احب ان اصحاب رسول اللّٰہ تعالی علیه

Scanned by CamScanner

وسلّم لم يختلفوا. لأنهٌ لو كان قولا واحداكان الناس فى ضيق،وانهم أمٔة يقتدي بهم.

तर्जुमाँ:- में ये तमन्ना नहीं करता की सहाबा में इख़्तिलाफ़ नहीं होता...इसलिए की अगर एक ही क़ोल होता तो लोग तंगी में पढ़ जाते, सहाबा में इख़्तिलाफ़ हुवा और वो ऐसे इमाम हे जिनकी इक्तिदा की जाए। (जामे ब्यानुल इल्म, हिस्सा दोम, सफा:902, मतबुआ दारुल इब्न अल ज़ोजि)

सुनिए शायर कहता है?

न हर मर्द, न हर जन, ज़नस्त
खुदा पंज अंगुश्त यकसां न क

न हर मर्द, न हर औरत एक जैसे हैं, न हाथ की पांचो उँगलियाँ एक जैसी हैं।

अल्लाह पाक ने अपनी हिकमत से इस उम्मत में जो इख़्तिलाफ़ रखा है, उसकी नेमतों बरकतों और उसके मुफीद नताईज को और बेहतर समझना चाहते हैं तो इस वाकिये को पढ़ें....

एक औरत का इंतेक़ाल हुवा, उसे नहला धुला कर उसका जनाज़ा तैयार किया गया, नमाज़ ए जनाज़ा पढ़ा दिया गया, उसे क़ब्र में उतारते वक़्त जो लोग क़ब्र में थे

Scanned by CamScanner

उन्होंने देखा की मुर्दः औरत के पेट में कुछ हरकत हो रही है....

उनमे से एक शख्स ने सबसे कह दिया की देखो औरत के पेट में कुछ हरकत हो रही है, कफ़न हटा कर देखा गया तो मालूम हुवा की औरत के पेट में बच्चा है और वो ज़िंदा है, उस वक़्त वहां काफी मजमा था औरत के मायके वाले हनफ़ी मसलक के थे और ससुराल वाले शाफ़ई मसलक के थे।

शाफ़ई मसलक के लोगो ने कहा देखो बच्चा तो पेट में है और हमारे इमाम के नज़दीक मुर्दे को अज़्यत नहीं दी जा सकती लिहाज़ा औरत के पेट को चीर कर बच्चे को नहीं निकाला जाए, औरत को ऐसे ही बच्चे के साथ दफन करदो।

हनफियो ने कहा हमारे इमाम के मसलक में अगर मुर्दा औरत के पेट में बच्चा ज़िंदा हो तो पेट चिर कर निकला जाए, बच्चे को ज़िन्दगी जीने का मोका दिया जाए, हो सकता है अल्लाह पाक इस बच्चे के ज़रिये इस औरत का नाम रोशन करे।

फिर आपस में सब बैठ गए और शाफ़ई हज़रात कहने

Scanned by CamScanner

लगे अगरचे ये हमारे मसलक के खिलाफ है लेकिन फतवा इमाम ए आज़म का है जो तमाम इमामो में बड़े हैं, तो आज हम इन्हीं के मसलक पर अमल करते हैं, चुनाचे औरत का पेट चीरा गया बच्चा सही सलामत बाहर निकला गया, वह बच्चा बगैर माँ के ज़िंदा रहा और पढ़ लिख कर बड़ा आलिम बना अल्लाह की कसम दुनियाए इल्म में उनका लोहा मना गया।

वह बच्चा अज़ीम हनफ़ी जय्यद हनफ़ी आलिम अल्लामा ताहवि रहमतुल्ला ताला अलैहि थे।(स्वानेह इमाम ताहवि रहमतुल्लाह अलैहि, सफा: 15)

बताईय्ये अगर एक ही मसलक होता, और दो न होते तो क्या दुनिया को इतना अज़ीम मोहद्दिस्, इतना जय्येद आलिम नसीब होता? नहीं, बल्कि इतना बड़ा आलिम ज़मीन में दफ़न कर दिया जाता...

ये है बरकात ए इख़्तिलाफ़

बे शक़ अम्बिया अलैहिस्सलाम ला इख़्तिलाफ़, सहाबा इकराम का इख़्तिलाफ़, आईम्मए मुजतहेदीन का इख़्तिलाफ़ रहमत है...जो इख़्तिलाफ़ उम्मत में तफ़्रीक पैदा करे, जो इख़्तिलाफ़ मन्ज़िल से दूर करे, इस

Scanned by CamScanner

इख़्तिलाफ़ यक़ीनन बुरा है, न ऐसे इख़्तिलाफ़ को रहमत से ताबीर किया गया न ऐसे इख़्तिलाफ़ की कोई गुंजाइश है...

इस मोज़ू को बेहतर समझने के लिए आपको इख़्तिलाफ़ की तीन किस्मों को ज़हन में रखना होगा, इससे आप अगली पिछली तमाम बातों को (जो इस किताब में है) समझ जायेंगे।

इख़्तिलाफ़ की तीन किस्में

1. हक़ व बातिल का इख़्तिलाफ़ (मुसलमान और कुफ्फार का इख़्तिलाफ़)
2. सुन्नत व बिदअत का इख़्तिलाफ़ (मुसलमानो में अहले सुन्नत व तमाम बातिल फिर्कों का इख़्तिलाफ़।
3. इख़्तिलाफ़ इजतिहादि

पहला इख़्तिलाफ़ मुसलमानो का तमाम गैर मुस्लेमीन से है। वहदानियत,रिसालत, मीआद (आख़िरत) में जो भी इस्लाम के खिलाफ अक़ीदह रखेगा वो यक़ीनन यक़ीनन जहन्नमी है और ये इख़्तिलाफ़ यक़ीनन बुरा है।
दूसरा वो के मुस्लमानों में बहुत से फिरके पैदा हुवे जिन्होंने अहले स़ुन्नत व जमाअत की जरूरियात से इनकार किया

Scanned by CamScanner

और गुमराह हुए जैसे बाज़ शिया फिरके और उनमे कुछ ने जरूरियात ए अहले सुन्नत के साथ जरूरियात ए इस्लाम का भी इनकार किया और मुर्तद हो गए। जैसे मनाईन ए ज़कात, वहाबी देवबंदी वगैरह ये इख़्तिलाफ़ भी पहले इख़्तिलाफ़ की तरह बुरा है और इससे बढ़ कर अहले सुन्नत से कटने वाला गुमराह है या काफिर।

तीसरा इख़्तिलाफ़ जो बाईस ए रहमत है वो हे फुरुई और इजतिहादि मसाईल में और फिक़्ह का इख़्तिलाफ़ है जैसा की सहाबा में हुवा, ताबाईन में हुवा, आईम्मए मुजतहेदीन में हुवा और आज भी ओलमाए अहले सुन्नत में फुरुई मसाईल में इख़्तिलाफ़ है...

इख़्तिलाफ़ होता क्यों है?

अल्लाह पाक ने क़ुरआन ए मजीद की किसी किसी आयत में एक से ज़्यादा मायने की गुंजाइश राखी और उसके जितने मानी होते हैं सब दुरुस्त होते हैं जैसा की बाब नं 2 में इसकी तफ़सील गुज़र चुकी।

हदीसो में भी ऐसा मुआमला है के एक ही अमल के मुताल्लिक दो या इससे ज़ायेद हदीसें मौजूद है, कोई मुजतहिद इसे लेता है कोई उसे, बस यहीं से इख़्तिलाफ़ ए

Scanned by CamScanner

इजतिहादि शुरू होता है, जैसे इमाम के पीछे सुरा: फातिहा पढ़ने की भी हदीस मौजूद है और न पढ़ने की भी हदीस मौजूद है, इमाम शाफ़ई ने उसे लिया और इमाम ए आज़म अबु हनीफा ने इसे लिया।

दोनों हक़ हैं क्योंकि दोनों का इज्तिहाद मुताबिक़ ए हदीस है। ये चार इमाम चरों के चरों मुजतहिद ए मुतलक़ थे, इन्होंने जो इज्तिहाद किया गैर मुजतहिद को इनकी तक़लीद वाजिब है। हम ये नहीं कहते की ये चारों मासूम थे। इनसे खता का एहतमाम भी है मगर मालूम होना चाहिय्ये अगर मुजतहिद क़ुरआन व हदीस से मसला निकालने में गलती भी करे तो उसे सवाब है। सही बुखारी व सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है:

إذا احكم ال حاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان
وإذا حكم فا جتهدثم أخطأ فله أجر.

तर्जुमाँ:- जब हाकिम इज्तिहाद से फैसला करे और सही फैसले पर पहुँच जाए तो उसे दो अजर मिलते हैं, और अगर हाकिम के फैसले में खता है तो उसे एक अजर है। (सहीह बुखारी, जिल्द:2, सफा: 192, सही मुस्लिम, जिल्द:2, साफा:72)

Scanned by CamScanner

ऐसा मसला जो क़ुरआन व हदीस से वज़ाहत के साथ साबित न हो तो मुजतहीदीन अपनी खुदा दाद फ़हम और सलाहियत को बरुए कार लाते हुए क़ुरआन व हदीस में डुपकि लगा कर मसले का हल तलाश करते हैं।

अब वो लोग जिनमें क़ुरआन व हदीस से मसला निकालने की सलाहियत नहीं वह भी सुनलें अल्लाह के प्यारे महबूब सलल्लाहो अलैहि व सल्लम फरमाते हैं:

من قال فی قرآن بر اۂ فأ صاب فقد اخطا

तर्जुमाँ:- जिसने कुरान में अपनी राए(अंदाजा) लगाया,अगर दुरुस्त बात भी पा लिया तब भी गुनहगार होगा (तिर्मिज़ि शरीफ, जिल्द:2, सफा:123)

इसी लिए हम कहते हैं नई तहक़ीक़ की कोई ज़रूरत नहीं, मुजतहेदीन की तहक़ीक़ात पर एतमाद करो, और शराफत से उनकी तक़लीद का हार अपने गले में डालो। जिस किस्म का इख़्तिलाफ़ मुजतहेदीन का है उसकी सैंकड़ों मिसालें क़ुरआन व हदीस से दी जा सकती हैं।

क्या अल्लाह पाक क़ुरआन मजीद को इस तरह उतारने पर क़ादिर नहीं था की कोई इख़्तिलाफ़ की गुंजाइश बाकि न होती, या इस पर क़ादिर नहीं था के एक ही मानी पर

Scanned by CamScanner

दलालत करने वाले अलफ़ाज़ नाज़िल फ़रमाता? ताकि इख़्तिलाफ़ की बुनियाद ही खत्म हो जाती?

क्या रसूल ए अकरम सलल्लाहो अलैहि व सल्लम इस तराह अपने कलाम और आमाल को अंजाम देने की ताक़त नहीं रखते थे के बाद में कोई इख़्तिलाफ़ ही न हो?

अल्लाह की मसलेहत और रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की मर्ज़ी यही थी के उम्मत में फुरुई मसाईल में इख़्तिलाफ़ हो, ताकि लोगों के लिए आसानियां हो जाएँ। आईय्ये अब इसकी तस्दीक इस हदीस से करते हैं। जंगे अहज़ाब का वाकिया है की रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपने कुछ सहाबा को बानी क़ुरैज़ा के इलाके में भेजा और फ़रमाया:

لايسلين احدالعصر الا افى بنى قريظة.

तर्जुमाँ:- हर एक असर की नमाज़ बनी क़ुरेज़ में पहुँच कर पढ़े।

रस्ते में असर का वक़्त तंग हो गया कुछ लोगों ने ये सोच कर नमाज़ पढ़ी की नमाज़ क़ज़ा हो जायेगी...

और कुछ सहाबा ने कहा हमे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है की वहां पहुँच कर नमाज़ पढ़ें, भले असर क़ज़ा हो

Scanned by CamScanner

जाये हम पहले वहां पहुंचेगे फिर असर पढ़ेंगे, बहर हाल दोनों ने अपनी अपनी राये पर अमल किया बाद में जब हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम को पूरी बात ज़िक्र की गई तो आपने किसी को गलत नहीं ठहराया न किसी को मलामत की। (सही बुखारी, बाब मरजअ अन्नबी सलल्लाहो अलैहि व सल्लम मन अल अहज़ाब ए हदीस नं 946, मतबुआ सल्फिया, क़ाहरः)

इस सादे से वाकिये में उम्मत के सलीम उल अक़्ल लोगों के लिए हिकमत का ख़ास नुक्ता मौजूद है।

हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की सही मुराद क्या थी? सीधे वहां जाओ भले असर क़ज़ा हो? या इतनी तेज़ रफ़्तार से जाओ की असर तक वहां पहुँच जाओ? या पहले असर पढ़ो भले वहां देर से पहुँचो? दोनों में से हक़ पर कोण है गैरमुक़ल्लिदीन बताएं?

बाद में जब मुआमला ज़िक्र हुवा तब भी हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने नहीं बताया बल्कि दोनों से खुश हुवे। हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम इस फरमान का मतलब जानते हुवे भी खामोश रहे और किसी को गलत नहीं फ़रमाया।

Scanned by CamScanner

जब एक ही मसले में सहाबा का इख़्तिलाफ़ हुवा और दोनों हक़ पर हैं तो चार इमाम क्यों नहीं? जबकि इनका इख़्तिलाफ़ भी बाज़ फुरुई इजतिहादि उमूर में है।

ला मज़हब (गैर मुक़ल्लिदीन) अवाम को ये धोका देते हैं की चार इमामो ने दीन के चार टुकड़े किये, हक़ के चार हिस्से नहीं होते, एक हक़ होगा बाकी बातिल। उम्मत अगर क़ुरआन व सुन्नत पर चले तो एक हो जायेगी। ये बड़ा खूबसूरत जाल है, जिसमे लोग आसानी से फंसते हैं।

ऐसा शक्स जब सहाबा के इख़्तिलाफ़ को देखता है तो उन से भी बदज़न होकर उनके हक़ में भी ये फैसला दे बैठता है के सहाबा ने भी दीन के टुकड़े किये है। सहाबा से बदज़नि की वजह से इनकार ए हदीस का रास्ता शैतान साफ़ कर देता है, क्योंकि हदीस का पहला रावी और सबसे मज़बूत और सिक़ह रावी सहाबी है। जब सहाबा इनकी नज़र में इजतिहादि इख़्तिलाफ़ की वजाह से (नाऊज़ो बिल्लाह) दीन से निकल गए (इनकी नज़र में) तो अब हदीस में एतमाद कैसा?

फिर ये मामला यहां तक पहुंचता है की गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस के लक़ब से तरक्की कर अहले क़ुरआन बन

Scanned by CamScanner

जाते हैं फिर जब इन्हें क़ुरआन में भी इन इख्तिलाफ़ात की बुनियाद मिलती है तो शैतान इनके दिलो में क़ुरआन ए मजीद के ताल्लुक से शक़ व शुबहात डाल देता है,

और फिर एक दिन वह क़ुरआन की सदाकत के मुनकिर हो कर ज़िन्दीक, दहरया, और मुल्हिद बन जाते हैं। जिसकी कई मिसालें माज़ी में मिलती है जैसे सैयद अहमद खान अली गढ़ी, अब्दुल्लाह चकढालवि, अबु अलकाम आज़ाद, इनायत उल्लाह खान मशरीकी, अब्दुल माजिद दरियाबादी वगैरह।

याद रखिये चार इमाम के मज़हब अलग हैं पर दीं एक ही है। दीन और मज़हब एक ही चीज़ नहीं है बल्कि इनमे इतना बड़ा फ़र्क़ है जितना ज़मीन और आसमान के बीच में...

इस बिना पर ये कतअन कहना गलत हे के ये चार फिरके हैं बल्कि इन चारों का एक हि फ़िर्का है अहले सुन्नत वाल जमाअत। फिरका तो वो बनेगा जो अहले सुन्नत के अक़ाईद में इख़्तिलाफ़ करेगा, इन चारो आइम्मा के अक़ाईद तो एक ही है, इख़्तिलाफ़ तो फुरुईय्या में है जिसे इख़्तिलाफ़ ए इज्तिहाद कहते हैं।

गैर मुक़ल्लिदीन अवाम को धोका देने के लिए 72

Scanned by CamScanner

फिरको वाली हदीस चार इमामो के मज़हब पर चस्पा करते हैं की देखो ये चार अलग अलग फिरके हैं।

इस हदीस की शराह् करते हुवे इमाम अबु मंसूर अब्दुल क़ादिर बिन ताहिर तमीमी लिखते हैं:

अरबाब ए इल्म जानते हैं के रसूल ए अकरम सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फिर्काए नारिया(जहन्नमी) फ़िरक़ा से उन लोगों को मुराद नहीं लिया जो इज्तिहादी मसाईल के तहत हलाल व हराम में एक दुसरे से इख़्तिलाफ़ करते हैं, बल्कि मुराद वो लोग हैं जिन्होंने उसूल ए तौहीद, तक़दीर के खेर व शर, नबुव्वत, रिसालत और असहाबे रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम से मुहब्बत या दीगर इन्ही जैसे मसाईल में अहले हक (अहले सुन्नत) की मुखालिफत की क्योंकि इस किस्म का इख़्तिलाफ़ रखने वालो में बाज़ कुफ्र में दाखिल हो गए, और पहले किस्म के लोग एक दुसरे से इख़्तिलाफ़(फुरुई मसले में इज्तिहाद की बिना पर)तो रखते हैं लेकिन एक दुसरे को काफिर या फ़ासिक़ नहीं कहते। (तहफतुल अह्वज़ी सहाराह तिर्मिज़ी जिल्द:3, सफा:376)

अल्हम्दुलिल्लाह चार इमामो के मुक़ल्लिद आपस में

Scanned by CamScanner

मुहब्बत से रहते हैं, अगरचे मसाईल में इख़्तिलाफ़ है लेकिन सबको हक़ जानते हैं, एक दुसरे का अहतराम भी करते हैं बल्कि शादी बियाह के रिश्ते भी होते हैं, इतना ही नहीं बल्कि एक दुसरे के अहले तरीकत में बैत भी होते हैं हुज़ूर गौस ए आज़म डीअस्तगीरी शैख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि हंबलि मज़हब के हैं, लेकिन लाखों हनफ़ी शाफ़ई आपके मुरीद हैं।

चूँकि इन तमाम इमामो का इख़्तिलाफ़ उसूल में नहीं बल्कि फुरु में है। क्या इमाम ए आज़म अबु हनीफ नोमान बिन सादिक़ कुफि से उनके शागिर्द इमाम युसूफ और इमाम मुहम्मद ने इख़्तिलाफ़ नहीं किया? इख़्तिलाफ़ बुरा नहीं जब ओलमा का हो और फुरु में हो। और ये इख़्तिलाफ़ तो ज़माना ए सहाबा से है...

जलिलुल क़दर ताबाई हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबु बक़र रदियल्लाहो अन्हो फरमाते हैं...

لقد نفع اللّٰه تعالى باختلاف اصحاب النبى صلى اللّٰه عليه وسلّم فى أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم الّا رأي أنه فى سعة، ورأي أن خيرا منه قد عمله.

Scanned by CamScanner

तर्जुमाँ:-सहाबा के इख़्तिलाफ़ से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को नफा पहुँचाया। कोई शख्स इन में से किसी के अमल पर अमल करता है तो उसकी गुंजाइश पाता है, और वो यही सोचता है के मुझसे बेहतर (सहाबा) ने इस पर अमल किया। (जामे ब्यानुल इल्म व फ़ज़ल, जुज़ 2, सफा:901, मतबुआ दार इब्न अलजोज़ि)

कुछ लोग दीन और मज़हब को एक समझते हैं, जिसकी वजह से धोका होता है, हम लोगो का दीन एक है, दीन ए इस्लाम और मज़हब अलग अलग हैं हनफ़ी, शाफ़ई, वगैरह, लेहाज़ा दीन सबका एक हुवा। यानी उसूल ए अक़ाईद में सब एक हैं, मज़हब और मसलक जुदा जुदा हैं। यानी फुरु और मसाईल में इख़्तिलाफ़ है इसे यूँ समझें:

मज़हब व मसलक का मानी है चलने की जगे यानी रास्ता।

जैसे पहाड़ों पर बारिश होती है और उससे बर्फ जम जाती है अब इस बर्फ का नाम न गंगा है, न जमुना। फिर वही बर्फ पिघल कर जब चटियल मैदानों में रास्ता बना कर निकलता है तो उस रास्ते को कहा जाता है गंगा जमना।

Scanned by CamScanner

अब समझिये सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाहे अलैहि अजमाइन हदीस लेने के लिए न बुखारी की ज़रुरत थी न मुस्लिम की, न हदीस की 6 सही किताबो में से किसी किताब की, मगर बाद वालों को इसकी ज़रूरत पढ़ी, इसी तराह जो लोग दरिया के क़रीब हैं उन्हें पानी लेने के लिए किसी नहर की ज़रूरत नहीं, मगर जो दरिया से दूर हैं वो नहर के बगैर पानी नहीं ले सकते।

अगर वो नहर या नदी से दूर होंगें तो दरिया के पानी से ही महरूम होंगें। मालूम हुवा अहदीस ब मानी दरिया के हैं, और फ़िक़्ही मज़ाहिब नहरों के मर्तबे में हैं, जो दरिया ही से निकले हुवे हैं। पानी एक ही दरिया ए मुहम्मदी का, सहाबा चुनके दरिया के पास थे इसी लिए मुहम्मदी कहलाए, हम ने इसी दरिया का पानी चार इमामो की नहरों से लिया इसी लिए हम हनफ़ी, शाफ़ई, हंबलि, मालकी कहलाये।

ये है मज़ाहिब ए अर्बाह की हक़ीक़त, जो कहते हैं की क्या सहाबा हनफ़ी मालकी शाफ़ई थे? उनसे हम पूछते हैं सहाबा हदीस नबी सलल्लाहो अलैहि व सल्लम से दीन सीखते थे या चोदहवी सदी के मोलवियों से? फिर तुम क्यों उनसे दीन सीखते हो?

Scanned by CamScanner

अब इन चार मज़हब को चार फिरके वही कहेगा जिसका अक़्ल से दूर दूर तक वास्ता नहीं। हदीस ए पाक में हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जिस जमाअत को जन्नती फ़िरक़ा कहा उसकी पहचान ये बताई:

ما انا علیہ و اصحابی.

तर्जुमाँ:- जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा... यही चार इमाम के मुक़ल्लेदीन हैं जो राहे सहाबा पर हैं...

और इमाम ए आअजम अबु हनीफा हमारे वलिद के मिस्ल हैं और बाकी तीन इमाम हमारे चाचा की तरह और इन के मुक़ल्लेदीन हमारे चचेरे भाई हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं।

हम चारो मज़हब वाले ही अहले सुन्नत व जमाअत फ़िरक़ा ए नाजिया (निजात पाने वाली जमाअत) और उम्मत के सवाद ए आज़म(बड़ा गिरोह) हैं और अहले सुन्नत से कटने वाले फिर्का ए जाले हैं मसलन शिया और गैर मुक़ल्लिदीन।

चार इमाम क्या हैं इनकी अज़मत का ब्यान गैर मुक़ल्लिदीन के शैख़ अल्कुल मियां सय्यद नज़ीर हुसैन दहलवी से सुनिए, मियां साहब फरमाते हैं:

Scanned by CamScanner

चारों इमाम मुसलमानो के लिए मिस्ल ए अनासिर ए अर्बाह (आग,मिटटी,हवा,पानी जिससे इंसान की तख़्लीक़ हुई) के हैं, और हासिद के सिवा कोई शख्स इससे इनकार नहीं कर सकता, ये चारों दीं के मुआविन और पुश्त पनाह हैं। (अल हयात बाद अल ममात, सफा नं:590)

सहाबा में भी इजतिहादि इख़्तिलाफ़ था। ऐसा ही इख़्तिलाफ़ इन चार आइम्मा के बीच है, न सहाबा बावजूद इख़्तिलाफ़ के फिर्कों में बटे थे, न चार इमाम बटे... वह इख़्तिलाफ़ भी रहमत है ये इख़्तिलाफ़ भी रहमत है।

जिन्होंने आइम्मा ए मुजतहेदीन के इख़्तिलाफ़ को हक़ व बातिल का इख़्तिलाफ़ समझ रखा है वो लोग नीरे दर्जे के जाहिल हैं, चुनके मुजतहेदीन का आपसी इख़्तिलाफ़ सहाबा इकराम के इख़्तिलाफ़ का नमूना है। अगर ये इख़्तिलाफ़ हक़ व बातिल, कुफ्र व इस्लाम का इख़्तिलाफ़ होता तो इनमे कोई एक दुसरे से किसी तराह का मुआमला नहीं रखता, मगर हम जब अहदीस और तारीख पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है सैंकड़ों इख़्तिलाफ़ के बावजूद इनके क़ुलूब एक दुसरे के लिए पाक व साफ़ थे... कोण नहीं जानता हज़रत ए अली और हज़रत ए ज़ुबैर, हज़रत ए

Scanned by CamScanner

आईशा सिद्दीक़ा हज़रत ए अमीर मुआविया के बीच जंगे हुयीं।

जंगे जमल में हज़रत अली के साथी ने हज़रत ज़ुबैर को जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे शहीद किया और जब हज़रत ए अली को पता चला आपने फ़रमाया:

بشر قاتل ابن صفية بالنار.
(البد أية وال نهاية،صفح:47)

तर्जुमाँ:- सूफिया के बेटे(ज़ुबेर) के क़ातिल को जहन्नम की खुश खबरी दो।

हज़रत ए अली रदियल्लाहो अन्हो को इस बात पर खुश होना था के मेरे दुश्मन को मार गया, मगर ये सहाबा हैं जिनका इख़्तिलाफ़ फ़क़त मुख़्तलिफ़ फिक्‌फ्रुई मसाईल में था और इन्होंने इस इख़्तिलाफ़ का असर अपने दीनी भाई चारगि पर नहीं आने दिया...

इमाम ए आइम्मा सिराज ए आइम्मा सैय्यदना इमाम ए आअज़म अबु हनीफ नोमान बिन साबित रदियल्लाहो ताला अन्ह फरमाते हैं:

نتولاهم جميعاً ولانذ كراحدا من اصحاب النبى صلى الله اليه وسلّم الابخير.(فقه أكبر)

Scanned by CamScanner

तर्जुमाँ:- हम अहले सुन्नत तमाम सहाबा से मुहब्बत करते हैं और हर सहाबी को भलाई से ही याद करते हैं।

इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ ए सानी सैय्यदना शेख अहमद सर हिंदी रदियल्लाहो ताला अन्ह फरमाते हैं:

خلافي ونزاع که درميان اصحاب واقع شده بود محمول بر هواي نفساني نيست در صحبت خير البشر نفوس ايشان بتزکيه رسيده بودند. (مکتوبات امام ربّاني جلد:١،صفح:٨٦)

तर्जुमाँ:- सहाबा इकराम की जो आपस में लढाईय्यां हुई, वो नफसानियत की बिना पर नहीं थी, क्योंकि सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाह ए अजमाइन का नफ़्स हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की सोहबत से पाक हो चूके थे।

सहाबा का इख़्तिलाफ़ क़ुरआन व सुन्नत की रौशनी में था, और उन्होंने हमेशा अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत दलील से की है, तज़लील से नहीं।

क्या हनफियत सदफि सद हक़ नहीं है?

यक़ीनन है और ये मेरा वजदान कहता है, मगर क्या किसी शाफ़ई को आप हनफ़ी बनाएंगे? खेर बात चल रही

Scanned by CamScanner

थी सहाबा व आइम्मा के दरमियान जो मसाईल में हलाल व हराम का जो इख़्तिलाफ़ है उसे मुजतहिद फि मसाईल कहते हैं जिसमे दोनों फरीक हक़ पर हैं।

गैर मुक़ल्लिदीन जो हमेशा सहाबा इकराम व आईम्मए मुजतहेदीन के फ़ुर्ई व इजतिहादि मसाईल में इख़्तिलाफ़ का रोना रोते हैं। वो खुद ज़रा अपने शेखुल इस्लाम इब्न ए तैमिया हंबलि की इस इबारत को बगौर पढ़ें:

मुतानाज़े फि मसाईल में(यानि जिन मसाईल में फ़िक़्ही इख़्तिलाफ़ था, उनमे) सहाबा का इख़्तिलाफ़ था के हर फरीक ने दूसरे को अपने इज्तिहाद के मुताबिक़ अमल करने दिया है जैसे इबादत, निकाह, तलाक, मीरास, अतिया, सियासत वगैरह दीगर शोबों के अहकाम... सहाबा की हैसियत दीन के ऐसे आइम्मा (इमामो) की है जिनके बारे में सही साबित नुसूस की शहादत है की वो कभी किसी बातिल या गुमराही पर जमा नहीं हो सकते, और किताब व सुन्नत ने उनकी इत्तिबा (तक़लीद) को वाजिब करार दिया।(मजमुआ अल फतावा जिल्द:19, सफा:122)

सहाबा के सच्चे जा नशीन ताबेईन और बाद के आइम्मा

Scanned by CamScanner

जिन्होंने दीन की अमानत सहाबा से लेकर बड़ी हिफाज़त व एहतियात से हम तक पहुंचाई, और अपने ज़माने के मसाईल नीज़ आने वाले ज़माने के मसाईल और दीन के तमाम मुआमलात को बड़ी हिफाज़त से हम तक पहुँचाया। जहां क़ुरआन व सुन्नत से किसी मसले का हल नहीं मिला तो अपने इज्तिहाद व कयास से ऐसे हल फ़रमाया जैसे इसका हुक्म खुद क़ुरआन व हदीस में मौजूद हो।

जब हम आइम्मा ए सल्फ के अमल को देखते हैं तो पता चलता है की वो जुज़ई, फुरोई,व फ़िक़्ही इख़्तिलाफ़ के सिलसिले में इनका तरीका ये था के वो इल्मी हलक़ो में अपनी बात पूरे ज़ोर के साथ साबित करते, मुखालिफ फरीक की दलाईल का रद्द भी करते, और खूब वज़ाहत से करते थे। मगर इनमे से किसी इमाम ने किसी शहर में जाकर ये नहीं कहा की तुम अपना मसलक बदलो, वो अपने इज्तिहाद को हक़ व दुसरे के इख़्तिलाफ़ को अल्लाह की रहमत जानते थे।

हज़रत ए सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद है:

إذا رأيتا الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف

Scanned by CamScanner

فه، وانت ترى غيرهٌ فلا تنهه. (الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، جلد:١، صفح:٤١٨)

तर्जुमाँ:- जब तुम किसी को इख्तिलाफि मसाईल में देखो के वह तुम्हारी राए के खिलाफ चल रहा है तो उसे मना मत करो।

गैर मुक़ल्लिदीन जो सल्फी(अस्लाफ वाले/बुज़ुर्गों वाले) बने फिरते हैं वो ज़रा इमाम सुफियान सूरी के क़ोल से नसीहत पकड़ें और समझें के बावजूद ए इख़्तिलाफ़ चारों मज़ाहिब वालों की नमाज़ें दुरुस्त है...

आगे इमाम सुफियान सूरी फरमाते हैं:

مااختلف فيه الفقهإ فلانهي أحد أمن أخو انى أن يأ خذبه.

तर्जुमाँ:- जिस मसले में फ़ुक़ह का इख़्तिलाफ़ है इस पर किसी दीनी भाई को अमल से में नहीं रोकता।

चार मज़ाहिब को चार फिरके समझने वाले इबरत हासिल करें! आइम्मा ए मुजतहेदीन का इख़्तिलाफ़ अगर कुफ़्र व इस्लाम का इख़्तिलाफ़ होता तो ज़रूर एक दुसरे पर अपना मसलक भी थोपते और अपने मुखालिफ को सख्त व सुस्त भी सुनाते, मगर यहां तो ये मुआमला है

Scanned by CamScanner

इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं:
لم يعبر الجسر الى خراسان مثل اسحاق، وان كان يخا لفنا في اشياء، فان الناس لم يزل يخالف بعدهم بعضاً. (تاريخ بغداد، جلد:٢،سفح:٣٤٨)
तर्जुमाँ:- खुरासान वालो में इस्हाक़ जैसा कोई नहीं, अगरचे वो बहुत से मसाईल में हमसे इख़्तिलाफ़ रखते हैं, मगर ओलमा में इख़्तिलाफ़ तो हमेशा होता ही आया है।

हज़रत ए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैहि को हज़रत ए इस्हाक़ से मसाईल में शदीद इख़्तिलाफ़ है। इख़्तिलाफ़ अपनी जगे है मगर हजरत इमाम हंबल ने खुले दिल से हज़रत इस्हाक़ की इल्मी जलालत का एतराफ़ किया।
और ये तभी मुमकिन होता है जब दीन का काम पूरे ख़ुलूस व लिल्लाहियत (अल्लाह के लिए) से किया जाए। हम सब के लिए ये बातें क़ाबिल ए तक़लीद हैं...

क्या क़ुरआन का ये इरशाद नहीं?
أُدعُا إلى سبيل ربّكا بالحكمة والمو عظة الحسنة واجادلهُم بالّتي هيا احسنُ. (سورة النحل، ايت:١٢٥)

Scanned by CamScanner

तर्जुमाँ:- अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अछि नसीहत से और उस तरीके पर बहस (मुनाज़रा) करो जो सबसे बेहतर हो।

चिल्ला पुकार से अपनी बात ऊँची करना ये दीन के दाई के औसाफ में से नहीं है। फिर मेरा रब अज़व् जल इरशाद फ़रमाता है:

तर्जुमाँ:- मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल, तो तू इन्हें देखेगा रूकू करते, सजदे में गिरते अल्लाह का फ़ज़्ल व रज़ा चाहते। (सूरे फताह,आयत:29)

अपनी बात मनवानी है तो अंदाज़े तकल्लुम में तब्दीली लाएं...

आवाज़ ऊँची करने से कोई काईल नहीं होता, क्योंकि ज़मीन पर फसल बादल के गिर जाने से नहीं बरसने से उगती है... अल्लाह पाक हम सब अहले सुन्नत वल जमाअत को बाहम इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अमीन।

गैर मुक़ल्लिदीन जो आईम्मए अरबा के मुक़ल्लिदो

Scanned by CamScanner

को आपस में दुश्मन ख्याल करते हैं, वो अपनी सोच पर नज़र सानी करलें...

इमाम औज़ाई, इमाम ए आअज़म और इमाम मालिक के मुआसिरीन में से थे। शाम में हदीस व फिक् के बड़े इमाम थे। इनसे किसी ने सिर्री नमाज़ों (ज़ोहर व असर) में इमाम के पीछे सुराः ए फातिहा पढ़ने के हवाले से पूछा तो आपने इरशाद फ़रमाया:

तर्जुमाँ:- अगर तुम पढ़ो तो रसूले अकरम सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के बाज़ सहाबा रदियल्लाहो अन्हो तुम्हारे लिए क़ाबिल ए तक़लीद नमूना हैं, और अगर तुम न पढ़ो तो बाज़ सहाबा क़ाबिल ए इत्तिबा नमूना हैं। (अल इस्तज़कार,जिल्द:1, सफा:14)

यानि ये इख्तिलाफि मसले हैं जिसमे सहाबा का इख्तिलाफ रहा है तो तुम जिसकी चाहो तक़लीद करो। इन्ही इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछलिया हुज़ूर कोई शख्स वुज़ू के बाद अपनी बीवी का बोसा ले तो वज़ू टूट जायेगा?

इस मसले में ओलमा का इख़्तिलाफ़ मशहूर है, दोनों राये है-

Scanned by CamScanner

खुद इमाम औज़ाई अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर बोसए औरत से वज़ू टूटने का फतवा देते थे। मगर आपने अजीब जवाब दिया-

कोई मुझसे पूछेगा तो में यही कहूँगा के वुज़ू टूटता है और अगर कोई बिना वुज़ू किये पिछले वुज़ू से ही नमाज़ पढ़े तो में उसे नहीं टोकूंगा।

(अल इस्तज़कार, जिल्द:1, सफा:257)

गौर फरमाईये इमाम औज़ाई कुछ दलाईल की बुनियाद पर वुज़ू टूटा हुवा जान रहे हैं, मगर वो जानते हैं कि ये इख्तिलाफि मसला है, और दूसरी राए भी अईम्मए इस्लाम की है जिन्होंने ख़ौफ़ ए खुदा और पूरी ईमान दारी के साथ रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की शरियत और अहदीस की दलाईल की बुनियाद पर ही दूसरी राए इख़्तियार की है, जो अगरचे मेरे नज़दीक गलत है लेकिन इनके नज़दीक सही है...

और इमाम औज़ाई जानते थे के अल्लाह ने अपनी मशिय्यत से ही इस मसले को ऐसा छोड़ा है के इस में दोनों सूरतों/राए की गुनजाईश रहे।

लिहाज़ा अगर कोई वुज़ू नहीं करेगा तो में ये नहीं कहूँगा

Scanned by CamScanner

की तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई और तुम हदीस के खिलाफ अमल कर रहे हो। और सुनिए इख्तिलाफि मसाईल में हमारे बुज़ुर्गों का मामूल क्या था?

इमामे मालिक, इमाम शाफ़ई, और मशहूर ताबाई हज़रत सईद बिन मुसय्यब के नज़दीक बदन से खून निकलने पर वुज़ू नहीं टूटता, लेकिन हमारे इमाम इमाम ए आअज़म अबु हनीफा और इमाम अहमद बिन हंबल के नज़दीक टूट जाता है। सुने इमाम अहमद से किसी ने पुछा क्या खून निकलने से वुज़ू टूट जाता है? हां दुबारा वुज़ू लाज़िम है... फिर साइल ने पुछा हुज़ूर शख्स उस मसलक का हो जिसमे वुज़ू नहीं टूटता और वो बगैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाये तो...?

सुनिए इमाम अहमद बिन हंबल का जवाब, फरमाते हैं:

सुबहान अल्लाह! क्या तू सईद बिन मुसय्यब और इमाम मालिक के पीछे नमाज़ नही पढ़ेगा अगर वो इमाम हों? (फतावा इब्न ए तैमिया, जिल्द:20, सफा:318)

क्या इन मामूली इख़्तिलाफ़ की वजे से तू ऐसी मुक़द्दस हस्तियों की इक़्तदा से महरूम रहेगा?

इन तमाम बातो से गैर मुक़ल्लिदीन के एतराज़ों की

Scanned by CamScanner

धोज्जयाँ उड़ गइ। जो ये बकते थे कों आइम्मा का इख़्तिलाफ़ हक़ व बातिल का इख़्तिलाफ़ है और माज़ अल्लाह उम्मत फिरकों में बट गई।

जबकि आपने जान लिया की इन इख्तिलाफ़ात की हक़ीक़त क्या है और इसके बावजूद इनमें किस क़दर मुहब्बत और दीनी भाई चारगि थी...
शरियत के नुसूस यानी क़ुरआन व हदीस की इबारतें ही कुछ इस तराह हैं की एक से ज़ाइद बात समझने की गुंजाइश होती है... और एक ही आयत या इबारत या हदीस में कई कई मानों का इमकान होता है, इसीलिए आईम्मए सल्फ में मसलकि इख़्तिलाफ़ हुवा जिसे इख्तिलाफे इज्तिहादिया से ताबीर किया गया...

अब वो लोग(नाम के अहले हदीस) जो आइम्मा के इज्तिहाद को बातिल ठहराते हैं, इन्हें किताब व सुन्नत के खिलाफ कहते हैं और अवाम के दरमियान आईम्मए मुजतहेदीन की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, ऐसे लोगो का कोई सल्फ (बुज़ुर्ग) नहीं, वो कतअन बे अल्फ हैं... इनका कोई सल्फ है तो बस इब्न ए तैमिया, इब्न ए क़य्युम,इब्न ए हज़म ज़ाहिरी(हालांकि ये लोग भी सिर्फ ज़बान ही से

Scanned by CamScanner

गैर मुक़ल्लिद होने का दावा करते थे, लेकिन ये भी मुक़ल्लिद ही थे)

इख़्तिलाफि मसाईल में आइम्मा का यही मौक़ूफ़ रहा के इन्होंने मुख़्तलिफ़ राए रखने वालों को भी हक़ जाना...

हज़रत शाह वली उल्लाह मोहद्दिस् दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक हिकायत नक़ल फरमाते हैं...

इमाम शाफ़ई का मसलक फज्र की नमाज़ में दुआ ए क़ुनूत पढ़ने का है, मगर एक मर्तबा आप को इमाम आअज़म अबु हनीफा नोमान बिन साबित रदियाल्लाहो ताला अन्ह की क़ब्र अनवर के पास नमाज़ पढ़ने का इत्तिफ़ाक़ हुवा, आपने इमाम ए आज़म के अदब में फज्र में दुवाए क़ुनूत नहीं पढ़ी। जब आपसे पुछा गया तो फ़रमाया:

तर्जुमाँ:- हम कभी कभी इराक़ वालों (इमाम ए आज़म) के मसलक को इख़्तियार करते हैं। (अल इन्साफ फि ब्यान अस्बाबुल इख़्तिलाफ़)

गैर मुक़ल्लिदीन जिन की पैदाइश को अभी 200 साल का अरसा भी नहीं गुज़रा, जिन का नापाक वजूद ही अंग्रेज़ो की अता है। ये जाहिलों का टोला जो उर्दू, हिंदी, और अंग्रेजी में क़ुरआन और हदीस का तर्जुमाँ देख कर

Scanned by CamScanner

अपना कन्धा आइेम्मए दीन से मिलाने की कोशिश कर रहा है...

हम तमाम बिरादने अहले सुन्नत वल जमाअत से अर्ज़ गुज़ार हैं के किताब बरकात ए तक़लीद का बाब नं 6 जो हक़ीक़त ए इख़्तिलाफ़ के नाम से मोसूम है समझ कर पढ़ें, और खूब समझें के चारों बावजूद ए इख़्तिलाफ़ के चारों हक़ पर किस तराह है...

इस सिलसिले में और भी बातें नक़ल की जा सकती हैं लेकिन अक़्ल मंद को इशारा काफी है, लिहाज़ा इस बाब को यहीं खत्म करते हैं...

अल्लाह ताला हम सब को ताहयात मज़हब ए अहले सुन्नत वल जमाअत यानी मसलक ए आला हज़रत पर सख्ती से कायम रहते हुवे इसकी नशर व इशाअत में लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बजाह अल नबी सलल्लाहो अलैहि व सल्लम।

Scanned by CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم.

बाब: 7

तक़लीद पर एतराज़ के जवाबात

तक़लीद की जो हक़ीक़त इस किताब के पहले व दुसरे बाब में ब्यान की गयी अगर इसमें ब नज़रे इन्साफ गौर किया जाए तो मुखालफीन की तरफ से तक़लीद के मुताल्लिक़ तमाम एतराजात अज़ खुद खत्म हो जाते हैं...

तक़लीद की सेहत (सही होने) पर सब से इत्मीनान बख्श बल्कि कतई और यकीनी दलील ये चीज़ हे के उम्मत ए मुस्लिमा की 1400 साला तारीख में तक़लीद पर अमल होता रहा है...

सहाबा व ताबयीन के ज़माने से आज तक उम्मत के ओलमा व फ़ुक़हा ने अवाम के लिए तक़लीद के अमल को वाजिब क़रार दिया है।

गैर मुक़ल्लिदीन तक़लीद की मुखालिफत में किसी ऐसे बुज़ुर्ग का क़ोल दिखा दें, जो दो सदी पहले के हों। जमाअत ए अहले हदीस ख़ूवारिज की एक जिली शाख है। फिर्काए

Scanned by CamScanner

खुवारिज की इस शाख की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल या 200 साल है, लेकिन इसका नुत्फा मुख़्तलिफ़ ज़मानों में मुख़्तलिफ़ गुस्ताख सल्बों में मुंतकिल होता रहा। दौर ए रिसालत में ज़वालखु यसरः तमीमी (जद्दे आला फिर्काए खवारिज) की सल्ब से मुंतकिल होता हुवा दाऊद ज़ाहिरी, फिर इब्न ए हज़म ज़ाहिरी, फिर सिलसिला ब सीलसला इब्न ए तैमिया, इब्न ए क़य्युम,शोकानि,इब्न अब्दुल वहाब नजदी से ये नुत्फा मोलवी इस्माईल दहलवी की शक्ल में ज़ाहिर हुवा। पूरी इस्लामी तारीख में कल भी और आज भी उम्मत मुस्लिमा का सवादे आअज़म मसलए तक़लीद में मुतहद व मुतफ़्फ़िक़ रहा।

जिन मुहद्दिसीन की रवायात पर इन्हें दिली एतमाद है इनमे से कोई भी गैर मुक़ल्लिद नहीं गुज़रा और रोज़ व शब जिसके नाम की माला जपते हैं इब्न ए तैमिया, इब्न ए क़य्युम,इब्न ए अब्दुल वहाब नजदी ये सब फिक्‌हंबलि की तक़लीद का दम भरते थे...

हुज़ूर ए पाक सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के बे शुमार मोजज़ात व इमतियाज़ात में से ये भी एक हे के आपका दीन, आपकी शरियत हमेशा महफ़ूज़ रहेगी। अहले हक़ का

Scanned by CamScanner

एक गिरोह हमेशा इसकी हिफाज़त व स्यानत करता रहेगा और ओलमाए हक़ कभी गलती पर जमा नहीं हो सकते, अकेली यही बात हमारे इत्मीनान के लिए काफी है के उम्मत की 1400 साला तारीख में तक़लीद का अमल तवातुर से होता आया है और किसी एक मोतमद आलिम ने तक़लीद को गलत या उम्मत के लिए हराम नहीं ठहराया...فالحمد لله على ذلك
गैर मुक़ल्लिदीन जिन का इल्म व फन और अक्लो फ़हम से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं भोली भली अवाम को क़ुरआन ए करीम का गलत तर्जुमाँ और तफ़सीर बिलराये के ज़रिये नीज़ हदीस ए पाक व बुज़ुर्गानि दीन के आधे अधूरे अक़वाल सुना कर और उनका मतलब अपनी तरफ से ठूंस कर बताते हैं के देखो यहाँ से साबित है तक़लीद का शिर्क व कुफ़्र होना...

तक़लीद की तरदीद व मुखालिफत में गैर मुक़ल्लिदीन जिन आयत व अहदीस को पेश करते हैं या तहरीर व तक़रीर में मुक़ल्लिदीन पर जो एतराज़ करते हैं, आईय्ये देखें इनकी पेश कर्दा आयात व अहदीस क्या वाक़ई तक़लीद को कुफ़्र व शिर्क ठहराती है या मुखलफीन ने इन

Scanned by CamScanner

आयात व अहदीस का मतलब ही नहीं समझा, या समझने के बावजूद खुवारिजो की आदत के मुताबिक़ बुतों की तरदीद में नाज़िल होने वाली आयत को ज़बरदस्ती खिंच कर मुक़ल्लिदीन पर चस्पा करते हैं।

وكان ابن عمريرا هم شرار خلق اللّٰه وقال انهم انطلقوا الى آيات نزلت فى الكفّار فجعلو ها على المؤ منين.

(بخاري، ص١٠٢٤)

इब्न ए उमर रदियल्लाहो ताला अन्ह खुवारिज को सबसे बदतरीन मखलूक समझते थे। और फरमाया करते थे के इन्होंने कुफ्फार व मुश्रेकीन के रद्द में नाज़िल होने वाली आयत को मुसलमानों पर चस्पा कर दिया।

इस बाब में इन के एतराज़ात का इल्मी जाएज़ा व मुहासबा भी लिया जाएगा।

कुछ अपना भरम रखिये, कुछ फन का भरम रखिये
शीशे की ज़मीनों पर, आहिस्ता क़दम रखिये।

तक़लीद के मुखलफीन जोशे गदब में जिन क़ुरानी आयतों को तक़लीद के हराम व शिर्क होने पर पेश करते हैं, यक़ीनन इन आयात से आईम्मए अर्बाह का कोई वास्ता

Scanned by CamScanner

नहीं।

अब हम ज़ैल (नीचे) में वो आयत पेश करते हैं जो इन की जानिब से अक्सर व बेशतर तिलावत होती है...

ऐतराज़ नं 1

मन्दरजा ज़ैल आयत में बाप दादा की तक़लीद को हराम कहा गया है, तो आइम्मा की तक़लीद क्यों हराम नहीं?

तर्जुमाँ:- और जब इन से कहा जाता है के अल्लाह ने जो अहकाम नाज़िल किए उस की पैरवी करो तो कहते हे हम तो उन बुतों की पैरवी करेंगे, जिन पर हमने अपने बाप दादा को पाया भला इनके बाप दादा बे अक़्ल और गुमराह हों तब भी? (अल क़ुरआन अल करीम)तक़लीद की जो तारीफ़ बाब 1 व 2 में ब्यान हुई अगर उस पर गौर किया जाये तो ये शुबा खुद बा खुद दूर हो जाता है के इस आयत का आईम्मए मुस्लेमीन की तक़लीद से कोई वास्ता नहीं।

पहली बात तो इस आयत में मुशरेकीन से खिताब है जो दीन के बुनियादी अक़ाईद में अपने बाप दादा के मुक़ल्लिद थे, और मुशरेकीन तौहीद, रिसालत, और आख़िरत जैसे बुनियादी मसाईल में हक़ को क़ुबूल करने के बजाए कहते हमने अपने बाप दादा को इसी अक़ाईद

Scanned by CamScanner

में थी और हमारे नज़दीक दीन के बुनियादी अक़ाईद में तक़लीद जाएज़ नहीं, उसूल ए फ़िक़ह की तमाम किताबों में ये लिखा है के अक़ाईद व जरूरियात ए दीन में तक़लीद नहीं होती बल्कि इजतिहादि मसाईल में होती है....

और जिस तक़लीद की बुराई आयत ए करीमा में है हम मुक़ल्लिदीन भी ऐसी तक़लीद को बुरी समझते हैं... अल्लाह पाक ने इस आयत में बाप दादा की तक़लीद पर मुज़म्मत के दो सबब बताए हैं, एक ये की वो लोग अल्लाह व रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की बात ठुकरा कर कहते थे के हम अपने बाप दादा की मानेंगे और दूसरा ये के इनके बाप दादा काफ़िर थे...

अब ज़रा इन्साफ से बताएं के चार में से किसी इमाम का मुक़ल्लिद ये कहता है के में अल्लाह व रसूल की नहीं मानूँगा सिर्फ अपने इमाम की मानूँगा? मुक़ल्लिद तो अपने इमाम की इसलिए मानते हैं की इमाम तो अल्लाह व रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के कलाम का शारेह(तफ़सील में समझने वाला) हे, इमाम ने जो मसाईल ब्यान किया है क़ुरआन व सुन्नत की रौशनी में है।

और इस आयत में जो दूसरा सबब ब्यान हुवा है क्या

Scanned by CamScanner

इन चार इमामो में पाया जाता है? क्या ये इमाम गुमराह थे जिनके मुक़ल्लिदीन में बड़े बड़े ओलिया गुज़रे हैं जिन की जलालते इल्म का लोहा दुनिया ने माना, जो आबिद ए शब ज़िंदा दार थे, जिनके तक़वा का आलम ये था के 20 साल तक सर से टोपी ना उतारी, काबातुल्लाह में एक पैर खड़े हो कर पूरा क़ुरआन खत्म किया।

इसलिये काफ़िरों की तक़लीद की आयत को मुसलमानो के इमामों पर चस्पा (फिट) करना ये गैर मुक़ल्लिदीन जैसे जाहिलों का मुसलमानो पर ज़ुल्म ए अज़ीम है। गैर मुक़ल्लिदीन क़ुरआन ए पाक की एक और आयत ए करीमा को आईम्मए मुजतहेदीन की तक़लीद पर चस्पा करते हैं, जिसके मिसदाक आईम्मए मुजतहेदीन और उनके मुक़ल्लिदीन हरगिज़ नहीं हैं...

एतराज़ नं 2

اتّخذُوا أحبارهُم أربابًامّن دُون اللّه.(سورة التوبة، ايت:٣١)

तर्जुमाँ:- इन्होंने अपने ओलमा और तरक अद्दुनिया ज़ाहिदों को अल्लाह के सिवा रब बना रखा है।

जवाब:- गुज़िश्ता कई मक़ाम पर इसको वज़ाहत कर दी

Scanned by CamScanner

गई है के किसी मुजतहिद की तक़लीद इसे क़ानून साज़ (क़ानून बनाने वाला) समझ कर नहीं की जाती है, बल्कि इसे शारेह क़ानून क़रार दे कर उसकी बयान करदः तश्रीहात पर एतमाद करके क़ुरआन व सुन्नत की पैरवी की जाती है... इस आयत की जामें तफ़सीर गैर मुक़ल्लिदीन के शैखुल इस्लाम इब्न ए तैमिया की इबारत करते हुवे लिखते हैं:

ये बात तो जिन्नात और इंसानो में से हर एक पर हर हाल में खुली और छुपी वाजिब है, के वो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ही की इताअत करें, जिस चीज़ को अल्लाह व रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हलाल फ़रमाया उसे ही हलाल जानें, जिसे अल्लाह और उसके रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हराम फ़रमाया उसे ही हराम मने, और जो चीज़ अल्लाह और रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने वाजिब करार दी उसे ही वाजिब ख्याल करें, लेकिन अल्लाह और रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के बहुत से अहकाम ऐसे हैं, जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते, इसी लिए इस मुआमले में किसी आलिम की पैरवी करते हैं जो इन्हें अल्लाह और रसूल सलल्लाहो

Scanned by CamScanner

अलैहि व सल्लम के अहकाम बता सके...

इसलिए के वो आलिम हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के इरशादात और उनकी सही मुराद को ज़्यादह जानता है, लिहाज़ा मुसलमान जिन इमामो की तक़लीद करते हैं वो दरअसल अवाम और रसूल ए पाक सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के बीच वसीला, रास्ता और रहनुमा की हैसियत रखते हैं, जो मुसलमानो तक हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के इर्शादात पहुंचाते हैं...

और अपने इज्तिहाद और इस्तितअत से हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम की सही मुराद को समझाते हैं और बाज़ औक़ात अल्लाह पाक किसी ख़ास आलिम को ऐसे इल्म व फहम से नवाजता है,जो दूसरो के पास नहीं होता। (फतावा इब्न ए तैमिया, जिल्द 2,सफा 239)

गौर फरमाए इब्न ए तैमिया ने जो हक़ीक़त तक़लीद की बताई और जो मक़ाम मुजतहेदीन का समझाया हम क्या उससे ज़्यादा कहते हैं? फिर जो आयत ईसाई रहिबो के बारे में उतरी जो तसलीस (तीन खुदा) के कईल थे इसे इमामो पर फिट (चस्पा) करना इस्लाम की कोनसी खिदमत है। जो हज़रात तक़लीद की शिद्दत से मुखालिफत

Scanned by CamScanner

करते हैं, अमलन वो खुद किसी न किसी मरहले में किसी न किसी हैसियत से तक़लीद ज़रूर करते हैं...

ज़ाहिर है गैर मुक़ल्लिदीन का हर फर्द माँ पेट से ही न आलिम पैदा होता है न मुजतहिद, न मोहद्दिस्, और अगर पढ़ लिख कर आलिम हो भी जाए तो कोई ज़रूरी नहीं की हर मसले में उसे क़ुरआन व सुन्नत से हवाले याद हों या उसमे मसला निकालने की सलाहियत हो।

चुनांचे गैर मुक़ल्लिद जो आलिम नहीं है वो अपने आलिम से दीनी मसाईल ज़रूर पूछता है और बिला तलब ए दलील इसकी तक़लीद करता है इसी मक़सद से गैर मुक़ल्लिदो के फ़तवों के मजमुए भी शाए हुवे है... और इन फतावो में हर जगह दलील का इलतिज़ाम नहीं और अगर हे भी तो एक आम गैर मुक़ल्लिद कैसे फैसला कर सकता है के उसके आलिम ने जो दलील दी है वो सही है? लिहाज़ा वो अपने आलिम के इल्म व फ़हम पर एतमाद करके ही अमल करता है और इसी का नाम तक़लीद है... हकीकत यही है के माहिरीन फन की तक़लीद से ज़िन्दगी का कोई गोशा खली नहीं है और अगर इसे मुतलकन शजराये ममनु करार दिया जाए तो दीन व दनिया का कोई काम नही

Scanned by CamScanner

चल सकता... क़ुरआन ए करीम की कुछ आयत के अलावा गैर मुक़ल्लिदीन अहदीस ए पाक, सहाबा व आईम्मए अर्बाअ के अक़वाल से भी तक़लीद की तरदीद साबित करते हैं और हमारे भोले सुन्नी जन्नती भाई क़ुरआन व हदीस और अक़वाल ए सल्फ के नाम पर इनके धोके में आजाते हैं... गैर मुक़ल्लिदीन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के एक इरशाद का आधा हिस्सा नक़ल करके धोका देते हैं...

ऐतराज़:-

हज़रत ए अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहो अन्ह फरमाते हैं: कोई शख्स अपने दीन में किसी दुसरे शख्स की तक़लीद न करे। (मजमुआ अल्ज़वाईद, जिल्द:1, सफा:180)

जवाब:-

ये इरशाद पूरा यूँ है,

हज़रत ए अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहो ताला अन्ह फरमाते हैं:

कोई शक्स अपने दीन में किसी दुसरे शक्स की इस तराह तक़लीद न करे की अगर वो ईमान लाये तो ये भी ईमान

Scanned by CamScanner

तक़लीद न करे की अगर वो ईमान लाये तो ये भी ईमान लाये, और वो कुफ़्र करे तो ये भी कुफ़्र करे, अगर तक़लीद के सिवा कोई चारा नहीं तो वफ़ात याफ्ता बुज़ुर्गों की तक़लीद करे जिन्दो की नहीं, क्योंकि जिन्दों के फित्नों में मुब्तला होने का अंदेशा है। (अल मजमुआ अल ज़वाईद, जिल्द:1, सफा:180)

हम तो फुरुई मसाईल में जहाँ एक से ज़्यादा मानी या राए का अहतमाल होता है वहां तक़लीद के कईल हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहो अन्हो का ये क़ोल क्या आईम्मए मुजतहेदीन की तक़लीद से मना के बारे में है? उम्मीद है पूरी इबारत पढ़ कर आप गैर मुक़ल्लिदीन का धोका समझ गए होंगे, जो इरशाद ईमान व कुफ़्र की तक़लीद का है उसे ये अक़्ल के दुश्मन तक़लीद ए आईम्मए अर्बा(चार इमाम की तक़लीद) पर फिट(चस्पा) कर रहे हैं। और आगे भी पढ़े हज़रत ए अब्दुलउल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहो ताला अन्ह गुज़रे हुवे बुज़ुर्गों की तक़लीद की इजाज़त भी दे रहे हैं, और हम भी तो इन्हीं की तक़लीद कर रहे हैं आज के ओलमा व फ़ुक़ह की नहीं।

ऐतराज़:-

Scanned by CamScanner

कुछ नसमझ लोग तक़लीद के रद्द में आईम्मए मुजतहेदीन के अक़वाल पेश करते हैं, के इन्होंने फ़रमाया:

कोई शक्स हमारे क़ोल पर तब तक अमल न करे जबतक उसकी दलील मालूम न करले।

और ये भी

आगर हमारा क़ोल हदीस के खिलाफ हो तो उसे दीवार पर मारदो और हदीस पर अमल करो।

जवाब:-

इन्साफ और हक़ीक़त पसंदी से काम लिया जाए तो बात खुल कर सामने आएगी के आईम्मए मुजतहेदीन का ये इरशाद न तक़लीद से रोकने के लिए है और न ही इस इरशाद के मुखातिब आम लोग हैं। बल्कि ये इरशाद उन लोगों के हक़ में है जिनमे इज्तिहाद की सलाहिय्यत मौजूद है।

इमाम उल हिन्द शाह वली उल्लाह मोहद्दिस् दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि इस किस्म के इर्शादात की तशरिह करते हुवे फरमाते हैं,

ये अक़वाल उस शक्स के हक़ में है, जिसे एक किस्म का इज्तिहाद हासिल हो, खुवः एक ही मसले में क्यों न हो, और

Scanned by CamScanner

जिसके सामने ये बात खुल गयी के नबी पाक सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फूलां बात का हुक्म दिया, या फूलां बात से रोका है,और ये बात भी इस पर वाज़ेह हो गई की नबी पाक सलल्लाहो अलैहि व सल्लम का ये इरशाद मनसुख (खत्म) नहीं है, या तो वो इस तराह की तमाम अहदीस की तहक़ीक़ और मसले के बारे में तमाम मुखालिफीन व मवाफ़िक़ीन के अक़वाल को जानकर इस नतीजे पर पहुंचा हो के इस हुक्म के खत्म होने की कोई दलील नहीं है... और जिस इमाम ने इस की मुखालिफत की है उसके पास सिवाए इस्तिनबात व कयास के कोई दलील नहीं है, अब ऐसी सूरत में क़ोल ए इमाम को छोड़ कर हदीस पर अमल ज़रूरी है। (हुज्जतुल्लाह अल बलगः, जिल्द:1, सफा:155, बाब हिकायत अलनास, क़बलुल माइत, अल राबेअत, व बाअद ह)

ये बात इस क़दर वाज़ेह है की इस पर कोई दलाईल देने की कोई ज़रूरत नहीं। आईम्मए मुजतहेदीन के अक़वाल का ये मतलब हो की तक़लीद किसी के लिए जाएज़ नहीं, तो उनकी ज़िन्दगी में ऐसे बहुत से वाकियात मिलते हैं जिसमे उनसे मसला पुछा गया और उन्होंने बिना

Scanned by CamScanner

दलील बता दिया, अगर ये चीज़ उनके नज़दीक जाएज़ न होती तो खुद उसके बाईस क्यों बनते?

उसके अलावा उनके मुताद्दिद अक़वाल हैं जिनसे मालूम होता है की वो गैर मुजतहिद को तक़लीद ज़रूरी क़रार देते हैं।

फिक्ए हनफ़ी की मशहूर किताब हिदाया की शराह् किफाया में है:

अगर मुफ़्ती इस दर्जे का हो(यानी मुजतहिद) तो आम आदमी को उसकी तक़लीद ही ज़रूरी है, अगरचे इससे गलती हो जाये। इमाम हसन ने इमाम अबु हनीफा का, इब्न ए रुस्तम ने इमाम मुहम्मद का और बशीर बिन वलीद ने इमाम अबु युसूफ का यही क़ोल रिवायत किया है। (किफाया शराह् हिदाया, किताबु,स्सोंम)

अब और पढ़ें गैर मुक़ल्लिदीन के शेख उल इस्लाम इब्न ए तैमिया हनबली इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में नक़ल करते हैं:

इमाम अहमद आम लोगों को इमाम अश्क़, इमाम अबु उबैद, इमाम अबु सूर, इमाम अबु मुसय्यब से मसाईल पूछने का हुक्म देते, और अपने शागिर्दों में जो ओलमा थे

Scanned by CamScanner

मसलन इमाम अबु दाऊद, उस्मान बिन सईद, इब्राहिम अल हर्बि, अबु हातिम सुजतानि और इमाम मुस्लिम वगैरह उनको तक़लीद से रोकते और फरमाते तुम पर असल किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करना वजिब है। (फतावा इब्न ए तैमाया,जिल्द:2,सफा:240)

इब्न ए तैमिया की इस इबारत ने बिलकुल वाज़ेह कर दिया के जिन मुजतहेदीन ने तक़लीद से मना किया है, अपने शागिर्दों को मना किया है, जो बज़ाहिर खुद जलिलुलक़द्र मोहद्देसीन व महिरे फिक् थे और इजतिहादि की पूरी सलाहियत रखते थे, गैर मुजतहिद अफ़राद को इन्होंने मुजतहेदीन से पूछ करअमल करने का हुक्म दिया।

और गैर मुजतहिद पर तक़लीद का वाजिब होना ऐसा मसला है जिस पर अहले सुन्नत वल जमाअत का इत्तेफ़ाक़ व इज्मा है और इसमें सिर्फ मोत्जिला(एक गुमराह फ़िरक़ा)ने ही इख़्तिलाफ़ किया है...

अल्लामा हलवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम ए आज़म अबु हनीफा नोमान बिन साबित रदियल्लाहो ताला अन्हो का क़ोल नकल करते हैं:

इमाम ए आअज़म से मरवि है के मुजतहिद के लिए

Scanned by CamScanner

अपने से बड़े की तक़लीद जाएज़ है।

(अल तालिक़ात अल सुन्निया अला तराजिम अल हनफिया, सफा:92)

इमाम ए आअज़म के नज़दीक तो मुजतहिद भी अपने से बड़े की तक़लीद करेगा, जब के इमाम अहमद बिन हंबल का क़ोल दूसरा है, इख़्तिलाफ़ सिर्फ इसमें है की मुजतहिद तक़लीद करे या न करे, मगर गैर मुजतहिद पर तक़लीद तो सब के नज़दीक वाजिब है और इसमें किसी का कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। गैर मुक़ल्लिदीन भोली भली सुन्नी अवाम को आईम्मए अर्बा के आधे अधूरे और इख्तीलफि अक़वाल बता कर गुमराह न करे।

क़ुरआन व हदीस व अक़वाल ए सल्फ के अलावा गैर मुक़ल्लिदीन क्यासी एतराजात भी बहुत करते हैं...

वेसे तो इनके यहां कयास हराम है, और ये बेचारे बाबुल कयास पढ़े बगैर ही खूब कयास करते हैं... इनके जो अकली ऐतराजात इस वक़्त मेरे ज़हन में हैं नक़ल करके जवाब देता हूँ।

ऐतराज़:

इमामो को मानना क़ुरआन व हदीस के खिलाफ है,

Scanned by CamScanner

तक़लीद जिहालत है बल्कि कुफ़्र व शिर्क है, इमामो का ज़िक्र न क़ुरआन में है न हदीस में।

जवाब:

अल्हम्दुलिल्लाह इमाम का लफ्ज़ क़ुरआन व हदीस दोनों में है...

क़ुरआन

يوم ندعُو كُلّ أُناسٍ بإمامهم. (سوره بنی اسرائیل،ایت:٧١)

तर्जुमाँ:- जिस दिन (क़यामत के) हम हर जमाअत को उस के इमाम के साथ बुलाएंगे।

क़ुरआन

وجعلنا منهم ائمّةً يهدُونا بامرنا مالمّا صبارُوا. وكانوا باياتنا يُوقنُن.(سورة يجده،ايت:٢٤)

तर्जुमाँ:- और हमने उनमे से कुछ इमाम बनाये जब इन्होंने सब्र किया जो हमारे हुक्म के मुताबिक़ लोगों की रहनुमाई करते हैं।

इसके अलावा पढ़ें इब्न ए माजा की किताब अल जिहाद में ये रिवायत मौजूद है:

तर्जुमाँ:- हज़रत ए अबु हुरैरा रदियल्लाहो ताला अन्हो से

Scanned by CamScanner

रिवायत हे के अल्लाह के रसूल सलल्लाहो अलैहे व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जिस ने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने इमाम की इताअत की उसने मेरी इताअत की,और जिसने मेरी न फ़रमानी की उसने अल्लाह की न फ़रमानी की, और जिसने इमाम की न फ़रमानी की उसने अल्लाह की न फ़रमानी की। (सुनन इब्न ए माजा, अब्वाबुल जिहाद, बाब: तात अल इमाम, जिल्द:2, सफा:189, हदीस नं:637)

एतराज़:

तुम हनफ़ी हो या मुहम्मदी?

जवाब:

अगर एक आदमी की दो निस्बतें नहीं हो सकती तो आप बताएं(गैर मुक़ल्लिद) आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हैं या अपने बाप के?

अगर आदम अलैहिस्सलाम के नहीं तो आदमी नहीं और अगर अपने बाप के नहीं तो हलाली नहीं...

जैसी यहां दो निस्बते हैं वेसे ही हमारी भी दो निस्बते हैं, हनफ़ी छोटी निस्बत है, मुहम्मदी बड़ी निस्बत है।

Scanned by CamScanner

ऐतराज़:

इमाम ए आज़म (बड़े इमाम) तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम हैं इमाम अबु हनीफा नहीं।

जवाब:

ये भी हिमाकत भरा सवाल है, किसी बुज़ुर्ग या किसी आलिम को कोई लक़ब दिया जाए तो मवाज़ना इस के मुआसरीन(हम ज़माना) और बाद के लोगों से किया जाए इसके पहलू से नहीं।

अगर ऐसा नहीं है तो गैर मुक़ल्लिदीन हज़रत अबु बक्र को सिद्दीक़ ए अकबर (बड़ा सच्चा) कहते हैं, क्या वो रसूल ए पाक सलल्लाहो अलैहि व सल्लम से बड़े सिद्दीक़ हैं? हज़रत ए उमर फारूक को फारूक ए आअज़म(हक़ व बातिल में बड़ा फ़र्क़ करने वाला) कहते हैं क्या वो रसूल ए पाक से बड़े फारूक हैं?

इब्न ए तैमिया को शैखुल इस्लाम कहते हैं, दामन ए इस्लाम में तो तमाम अम्बिया व मुरसलीन, तमाम सहाबा, व ताबाईन व जुमला मोमिन व मोमिनात हैं तो क्या वो सब के शैखुल इस्लाम हैं? उम्मीद है गैर मुक़ल्लिदीन के खोपडे में ये बात आसानी से आ गयी होगी।।

Scanned by CamScanner

ऐतराज़:

जब चारों इमाम हक़ पर हैं तो तक़लीद एक की ही क्यों, चारों की क्यों नहीं?

जवाब:

जितने नबी आए एक लाख चोबीस हज़ार कमो बेश, सब हक़ पर हैं मगर हम सिर्फ दीन ए मुहम्मदी पर ही चलेंगें। गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक तो तक़लीद एक ही इमाम की शिर्क है, तो चारों की तक़लीद शिर्क ए अकबर होनी चाहिय्ये...

ऐतराज़:

किसी मसले में तीन इमाम एक तरफ हों और एक इमाम एक तरफ तो आप किसकी मानेंगें?

जवाब:

हम अपने इमाम की मानेंगें और ये फ़िक्र गैर मुक़ल्लिदीन को क्यों होने लगी? जो हमे तीन इमामो की मुखालिफत से डरा रहे हैं... क्या वो भूल गए। एक मजलिस में तीन तलाक़ चारो इमामो के नज़दीक, बल्कि खोल्फए सालसा (उमर, उस्मान,अली रदियल्लाहो अन्हुम) के नज़दीक भी तीन ही है, मगर गैर मुक़ल्लिदीन इसे एक ही मानते हैं। तरावीह

Scanned by CamScanner

चारों इमामो के नज़दीक 20 रकअत ही हैं गैर मुक़ल्लिदीन 8 ही पढ़ते हैं, अजीब बात है जो चारों का दुश्मन हो वो हमे तीन इमामों की मुखालिफत से डरा रहा है।

जैसे अंबिकाया अलैहिस्सलाम के बीच नासिख व मंसूख का मसला है वेसे ही आइम्मा के बीच राजेह व मजरूह का मसला है हम मजरूह को छोड़ कर राजेह पर अमल करते हैं।

ऐतराज़:

क्या सहाबा हनफ़ी शाफ़ई थे? क्या सहाबा ने इमाम अबु हनीफा व इमाम शाफ़ई की तक़लीद की तो फिर तुम क्यों करते हो?

जवाब:

क्या सहाबा सल्फी, रब्बानी, सनाबलि, रश्दी सनाई, थे? क्या सहाबा ने हदीस मुस्लिम व बुखारी से ली, या डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम से फिर तुम क्यों बुखारी व मुस्लिम से हदीस लेते हो? सहाबा ने दीन रसूलुल्लाह से सीखा या तीन मीटर की दाढ़ी रखने वाले मोलवी से सीखा?

ऐतराज़:

Scanned by CamScanner

तक़लीद जो सहाबा के ज़माने में वाजिब नहीं थी बाद में कैसे वाजिब हो गई?

जवाब:

सहाबा इकराम के ज़माने में क़ुरआन ए मजीद को किसी भी हरूफ में पढ़ना जाएज़ था(जो उस दौर में राइज थे) हज़रत उस्मान गनी रदिअल्लाहो अन्हो ने तमाम हर्फों मे लिखे हुवे नुस्खों में रिवाज को रोक दिया और सिर्फ हर्फ़ ए (रस्म) क़ुरैश को बाक़ी रखा, अब इसी का पढ़ना वाजिब है। अल्लाह के रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के ज़माने में क़ुरआन किताब की शक्ल में नहीं था, बाद में इस का किताब की शक्ल में छापना वाजिब हो गया। हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के इब्तिदाई ज़माना में हदीस लिखना मना थी, बाद में इसे वाजिब कर दिया गया। क्या बुखारी मुस्लिम रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि व सल्लम या सहाबा के ज़माने में थी? जैसे वो वाजिब हुवा वेसे ही ये भी वाजिब है।

गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक फुरुई मसाईल में चार इमामो की तक़लीद शिर्क है मगर क़ुरआन पढ़ने में 10 कारियों की तक़लीद जाएज़ है और ये खुद पूरी ज़िन्दगी

Scanned by CamScanner

क़ुरआन ब रिवायत ए हफ़्स पढ़ते हैं, और रिवायत में मोहद्देसीन की अंधी तक़लीद करते हैं अजीब बात है जो तमाम मुसलमानो के लिए शिर्क है वो इनके लिए इस्लाम है।

हम गैर मुक़ल्लिदीन से कहते हैं तक़लीद जाएज़ है या नजाएज़ उम्मत को इस मसले पर मत लढाओ... बल्कि जो मसले उम्मत तक़लीद करके उम्मत लेती है तुम बिना तक़लीद क़ुरआन व हदीस से साबित करदो हम तक़लीद छोड़ देंगें... और ज़्यादा नहीं बस दो मसाईल:-

1) फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, हराम, मकरूह वगैरह किसे कहते हैं?

2) नमाज़ के अरकान और शरायित किसे कहते हैं?

ये बस दो मसले हैं और सिर्फ यही माहिरीन फन की मदद के बगैर साबित करदो तो हम तक़लीद छोड़ देंगे और अगर न कर सके (और वल्लाह हरगिज़ नहीं कर सकते) तो वल्लाह अपनी ज़िद छोड़ दो और इफ्तराके उम्मत की वजे न बनो...

हम पूरे यकीन से कहते हैं तुम मुफ़स्सिरीन व मोहद्देसीन की तक़लीद के बिना इन मसाईल को क़यामत तक

Scanned by CamScanner

क़ुरआन व हदीस से नहीं बता सकते... दोस्तों अहदीस ए मुबारक पर उस वक़्त तक अमल मुमकिन नहीं जब तक आईम्मए मुजतहेदीन की तक़लीद न की जाए, यानी जिन हदीसों को मोहद्देसीन ने सही कहा इस पर अमल करना जिसे ज़ईफ़ कहा उसे तर्क करना तब तक मुमकिन नहीं जब तक आईम्मए हदीस की तसहीह व तहसीन व तज़ईफ में तक़लीद न की जाये...

अब तफ़सील इसकी समझिये:

अहदीस की सेहत व ज़ओफ् का रावियाने हदीस के हालात पर, तसहीह व तज़ईफ और तहसीन में एतमाद आईम्मए हदीस के अक़वाल पर है। मसलन इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में तक़रीबन 4000 हदीसे पेश की हैं, अब इन चार हज़ार हदीसों को न अल्लाह पाक ने सहीह कहा, न उसके रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम ने बल्कि इमाम बुखारी ने उसूल ए हदीस की रौशनी मे या अपने इज्तिहाद से सही कहा, और जिस तराह चार इमाम नबी या रसूल नहीं, वेसे इमाम बुखारी भी नबी और रसूल नहीं हैं। इसलिए वो भी मासूम नहीं, उन से भी गलती का इमकान है। ताज्जुब की बात ये है के इमाम बुखारी के गैर मासूम होने के बावजूद

Scanned by CamScanner

गैर मुक़ल्लिदीन तक़लीद ए शकसी करते हुवे बुखारी शरीफ की सभी हदीसों को सही मानते हैं।

हालांके बुखारी की अहदीस की सेहत का दारोमदार इमाम बुखारी के कयास व इज्तिहाद और उसूल ए हदीस पर है, न इन पर कोई वही आई न ये नबी व रसूल की तराह मासूम हैं।

जब गैर मुक़ल्लिदीन किसी इमाम के इज्तिहाद को हुज्जत नहीं समझते हैं और हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि व सल्लम के अलावा हर इमाम की तक़लीद को चाहे वो इमाम ए फिक हो या इमाम ए हदीस कुफ्र व शिर्क करार देते हैं... जैसे इनका खुद नारा है:

अहले हदीस के दो उसूल

फरमान ए खुदा और फरमान इ रसूल सलल्लाहो अलैहि व सल्लम

तो हम बजा तौर पर गैर मुक़ल्लिदीन से इस सवाल का हक़ रखते हैं की अहदीस की सही में इमाम बुखारी की तक़लीद शख्सि करते हुवे कुफ्र व शिर्क कैसे तस्लीम वर्ज़ का रंग कैसे इख़्तियार कर लेता है? ये पूछते हैं आप इमाम बूखारी के मुक़ल्लिद हैं या नहीं?

Scanned by CamScanner

आगर हैं तो खुद अपने फतवे की रु से काफिर व मुशरिक हुवे और अगर नहीं हैं तो हदीसों को कैसे सही मान लिया गया जिसे इमाम बुखारी ने सही कहा क्या इमाम बुखारी नबी हैं? रसूल हैं? मासूम हैं? इनका क़ोल दीन में हुज्जत है?

जवाब जो भी देना सोच समझ कर देना और साथ में एक ऐसी हदीस भी ज़रूर दिखाएँ जिस में लिखा हो के इल्म ए हदीस में मुहद्दिसीन की तक़लीद तो जाएज़ है, मगर इल्म ए फिक् में मुजतहेदीन की तक़लीद हराम है।

न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे
ये बाज़ू मेरे आज़माये हुवे हैं।

हक़ीक़त यही है के गैर मुक़ल्लिदीन हदीस की सेहत या ज़ओफ् के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की तक़लीद करते हैं, और साथ ही साथ दूसरों के लिए इसे शिर्क कहते हैं, अगर गैर मुक़ल्लिदीन इस मसले में इमाम बुखारी की तक़लीद ए शकसी नहीं करते तो अल्लाह को समी व बसीर जान कर और आख़िरत के सवाल को पेशे नज़र रख कर बताएं के क्या इनकी जमाअत के हर फर्द ने बुखारी शरीफ की तमाम हदीस व रिवायात को नकदी व

Scanned by CamScanner

नज़र की कसोटी पर परख कर उनकी रिवात और उनकी सिफत की छान बीन की है?

अगर कोई गैर मुक़ल्लिद ऐसा दावा करता है की मेने बुखारी शरीफ की तमाम हदीसों की छान बीन करली है और मेने अपनी तहक़ीक़ की बिना पर इनकी सेहत का यकीन किया है तो ये शख़्स16 आने झुटा है।

क्योंकि गैर मुक़ल्लिदीन में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो इल्म ए हदीस में इतना बढ़ा अल्लामा हो की अपने इज्तिहाद से इन पर सेहत का हुक्म लगा सके... अगर हम मान भी ले के वाक़ई इस शख्स ने ये अज़ीम कारनामा अंजाम दिया है के उलूम ए हदीस में इमाम बुखारी सा मक़ाम हासिल किया, और अपने इज्तिहाद से बुखारी शरीफ की हदीस की सेहत पर हुक्म लगाया है तो अब बताए के इस एक की तहक़ीक़ पूरी अहले हदीस जमाअत के लिए काफी है, बकिया लोगों को तो फिर भी इसकी तहक़ीक़ करनी ही होगी।

हमे मालूम है की गैर मुक़ल्लिदीन में जहाला की कसरत ज़्यादा है और जो बेचारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी इस काबिल नहीं जो इस अज़ीम काम को अंजाम दे सके।

Scanned by CamScanner

अब दो सूरतें है एक ये की उस शख्स की तक़लीद करें जो इस बात का मुद्दई है के मेने आज के दौर में तमाम अहदीस की तहक़ीक़ की दूसरी ये के इमाम बुखारी की तहक़ीक़ पर भरोसा करे, और तहक़ीक़ का चक्कर छोड़ दें मगर ये सूरतें हर हाल में गैर मुक़ल्लिदीन के लिए गले की हड्डी है, के दोनों सूरतों में तक़लीद के सिवा चारा नहीं है, तक़लीद से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है की तमाम गैर मुक़ल्लिदीन बुखारी शरीफ की तमाम अहदीसों की फिर से तहक़ीक़ शुरू करदें।

हासिल ए क़लाम ये के आईम्मए अहदीस को सही, हसन, ज़ईफ़, मर्सल, मुदलिलस, मुहकिम, मुअल्लिम, मुअल्लिक, मारूफ़, मुज़तरीफ, मोज़ूअ, मुसहिफ, शाज़ वगैरह क़रार देना इनके अपने जन और इज्तिहाद की बिना पर है...

जब गैर मुक़ल्लिदीन बाज़ अहदीस को छोड़ते और बाज़ पर अमल करते हैं तो ये इनकी आईम्मए अहदीस की तक़लीद है, क़ुरआन व हदीस के इन ठेकेदारों का अजीब हाल है एक तरफ तो तक़लीद को कुफ्र व शिर्क क़रार देते हैं और दूसरी तरफ मोहद्देसीन के अक़वाल की तक़लीद भी करते हैं...

Scanned by CamScanner

उम्मीद हे तक़लीद की बरकत और तर्क ए तक़लीद के नुक्सानात आप अच्छि तराह समझ गए होंगें।

अल्लाह पाक हम सब सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानो को तमाम बातिल फित्नों, फ़िरक़ों, जमातों,तहरीकों और तंजीमों से महफूज़ व मामून फरमा कर सिराते मुस्तक़ीम पर चलाये।

वमा अलैना इल्लल बलाग.

الصلاة واسلام عليك يا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم

Scanned by CamScanner

हर बातिल के खिलाफ सुन्नी जमियाते अल अहनाफ
तंज़ीम S.J.A.के राब्ते में आएं

आलमी सुन्नी बरेलवी तंज़ीम सुन्नी जमीयत अल अहनाफ का क़याम 2014 ईस्वी ब मुताबिक़ 1435 हिजरी को गाज़ी अहले सुन्नत मुनाज़िर ए इस्लाम हज़रत अल्लामा सूफी मुहम्मद क्लीम हनफ़ी राजवी साहब किबला के ज़रिये अमल में आया। इस तंज़ीम ने मुख़्तसर से वक़्त में फ़रोग.ए हनफियत रद्दे गैर मुक़ल्लिदियत व देओबन्दीयत में निहायत ही अज़ीम ईशान कारनामे अंजाम दिए हैं। मुस्तक़बिल में मजीद इशाअती प्रोग्रामात,दीनी दावती लिट्रेचर की फ्राहमि, बयानात व मुनाज़रे, मदारिस व मकातिब का क़याम, तंज़ीम के मनसूबों में शामिल है।

आप भी इनकी शाखें अपने इलाके में क़ायम करें, और अहले सुन्नत व जमाअत हनफ़ी मज़हब व मालक ए आला हज़रत रदियल्लाहो अन्ह के फ़रोग.में हिस्सा लें।
तंज़ीम के अगराज़ व मक़ासिद जानने और उस से जुड़ने व दीगर मक़ासिद के तहत राब्ते के लिए दर्ज ज़ैल लिंक पर राब्ता करें।

https://m.facebook. com/sunnijamiatulhanf

Scanned by CamScanner

मज़ीद तफ़सीलात के लिए ईमेल पर भी राब्ता कर सकते हैं,

sunnijamiatulahnaaf@gmail.com

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner